खण्ड-225, अंक-3
बुधवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1883
(2 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बज दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३५

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द महेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री,
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रज नारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द्र, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारेमिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कण्डपाल, श्री

हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री

हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---स्वायत्त शासन मंत्री, श्री चतभुंज शर्मा, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सूचना केन्द्रों का विकास खंडों के साथ विलयन

१---श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार ने सूचना केन्द्रों को विकास खंडों के अधीन कर देने का निश्चय कर लिया है ? यदि हां, तो क्या उसका संक्षिप्त विवरण सकारण बताने का कष्ट करेंगे ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)---राज्य सरकार ने सूचना विभाग द्वारा स्थापित केवल उन तहसील सूचना केन्द्रों को विकास खण्डों के सूचना केन्द्रों में मिला देने का निश्चय कर लिया है जो विकास खण्डों के हेड क्वार्टर्स (Headquarters) पर हैं। चूंकि दोनों प्रकार के केन्द्रों के लक्ष्य में काफी समानता है अतः किफायतशारी की दृष्टि से यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

२---श्री झारखंडेराय**---क्या यह समाचार सही है कि राज्य सरकार सूचना अधिकारियों का पद समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी नहीं।

श्री झारखंडे राय---क्या सूचना मंत्री बतायेंगे कि इस निश्चय के अनुसार कितने सूचना केन्द्र प्रान्त भर में तोड़े जावेंगे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---३५ केन्द्र मर्ज किये जावेंगे।

श्री झारखंडे राय---सूचना केन्द्रों को तोड़ने से कितने रुपये की बचत का अनुमान सरकार का है ?

श्री रऊफ जाफरी---वहां एक केयरटेकर होता है इसके अलावा कुछ मकान के किराये की बचत होगी। असल में वह एक मैंटेलिटी का सवाल है कि छोटी बचत की ओर भी ध्यान दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि सूचना केन्द्रों के कौन-कौन से कार्य विकास खण्डों में रखे जावेंगे और कौन-कौन से केन्द्रों में बने रहेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---अगर किसी तहसील हेडक्वार्टर पर ब्लाक में भी सूचना केन्द्र हैं तो दोनों को मिला दिया जायगा। ऐसे ३५ हैं जैसा कि बताया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--ये ३५ केन्द्र किन जिलों के तोड़े जावेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--३५ केन्द्र तोड़े नहीं जा रहे हैं, वे रहेंगे। बजाय इसके कि वे अलग से रहें चूंकि दोनों का फंक्शन एकसा है, दोनों को एक जगह कर दिया जायगा। जिलों का सवाल नहीं है, यह तहसील का है। ३५ तहसीलों की फेहरिस्त तो इस समय मैं दे नहीं सकता हूं।

श्री झारखंडेराय--सवाल २ में जवाब दिया गया है 'जी नहीं'। क्या यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन किसी स्टेज पर रहा है कि ये नहीं तोड़े जावेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--उनके तोड़ने का सवाल किसी वक्त नहीं रहा। सवाल यह रहा है कि उनके और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर दोनों के फंक्शन को मिलाकर एक कर दिया जाय। इस पर विचार हुआ था लेकिन फैसला यह हुआ कि इन दोनों को अलग-अलग रहने दिया जाय।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी

****३--श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय सरकार ने किया है और इस प्रकार सेवा से मुक्त हुये लोगों के लिये कहीं दूसरी जगह रोजगार दिलाने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--वर्तमान वित्तीय वर्ष में चतुर्थ श्रेणी के लगभग ३,००० पद कम किये गये हैं। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अन्य पदों पर लगा देने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का सृजन कुछ विभागों में हुआ है। एक विभाग से मुक्त हुये कर्मचारी ऐसे नये सृजित पदों पर लगा दिये जायेंगे। जो बच रहेंगे उन्हें अन्य विभागों में समय-समय पर खाली होने वाले पदों पर लगाया जायेगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री बतलावेंगे कि १९ मई को आदरणीय सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इन ३,००० कर्मचारियों को अलग नहीं किया जा रहा है बल्कि उन्हें बराबर वेतन दिया जायगा जब तक कि उन्हें दूसरी नौकरी न दे दी जाय ? आज उन्हें किस हिसाब से वेतन मिल रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--३ तरह के लोग हैं। एक तो स्थायी दूसरे अस्थायी और तीसरे कैजुअल वेकेन्सीज में काम करने वाले हैं। स्थायी और अस्थायी को वही वेतन मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। कैजुअल वेकेन्सीज में काम करने वालों को वेकेंसी खत्म होने पर अलग कर दिया जाता था।

श्री प्रतापसिंह--३,००० में कितने कैजुअल और कितने स्थायी हैं जिन्हें निकाला गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--कैजुअल की कोई लिस्ट मेरे पास नहीं है। ४६ जिलों में १६३३ कर्मचारी हटाकर पूल में कर दिये गये। ये निकाले नहीं गये। धीरे-धीरे इनको एबजार्ब किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इन ३,००० में से कितनों को नया कार्य मिल चुका है और कितने ऐसे हैं जो जिला मैजिस्ट्रेट की हाजरी लगा रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--कुल १६३३ आदमी ४६ जिलों के हैं। ८५० पावर और नहर विभाग के हैं। एबजार्ब किये लोगों की लिस्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है।

श्री झारखंडेराय--क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश जिलों को गया है कि जब तक इन ३,००० कर्मचारियों को या चपरासियों को या चतुर्थ श्रेणी के लोगों को एबजार्ब न कर लिया जाय तब तक नयी जगहों में ये ही रखे जावें और नये लोग न लिये जावें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो लोग निकाले गये हैं उनके लिये "लास्ट कम फर्स्ट गो" वाला सिद्धान्त बरता गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--निकालने की बात तो मैं नहीं जानता। कुछ पद कम किये गये हैं। साधारणतः नियम यही है कि लास्ट वाला पहले जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, ऐसा हो रहा है कि तहसीलों में अस्थायी चपरासी काम कर रहे हैं, स्थायी निकाले गये। गन्ना विभाग, शिक्षा विभाग इन सबसे स्थायी निकाले जा रहे हैं इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आपने मिनिस्टर का काम किया कि हाउस को सूचना दे दी कि ऐसा हो रहा है।

श्री उग्रसेन--क्या यह सही है. यह बता दें ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जहां तक हमारी सूचना है माननीय सदस्य का कथन सही नहीं प्रतीत होता है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस उलट-फेर के करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--उलट फेर में तो लोग पोर्टी भी बदल देते हैं।

(हंसी)

श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि इन तीन हजार कर्मचारियों के बारे में जो सरकार ने कदम उठाया है इससे सरकार को कितने रुपये की बचत का अनुमान है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इसकी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है। जो तमाम बचत की गयी है उसी के साथ यह भी है। यह बात सही है कि इस सिलसिले में जो पोस्ट कम की गयी है उसी की वजह से यह भी हुआ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में जिनमें ये कर्मचारी एबजार्ब किये जायेंगे तो उनकी टर्म्स आफ कंडीशन्स क्या होगी, उनकी पुरानी नौकरी जोड़ी जायगी या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पुराने चपरासियों की सर्विस दूसरे विभागों में काउन्ट की जायगी, जैसी उनके पुराने विभाग में होती। यानी उनकी सर्विस ब्रेक नहीं मानी जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि जिनको नियम के अनुसार नहीं निकाला जाना चाहिये था उनको भी निकाल दिया गया है ? क्या इसकी सूचना सरकार को है ? अगर है, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। अभी हमारे सामने इसकी कोई फाइनल शेप नहीं आयी है कि कितने निकाले गये और उनमें से कितने रखे जाने के लिये बाकी हैं क्योंकि इन चपरासियों की एप्वाइन्टिंग आथोरिटी अलाहिदा अलाहिदा हैं इसीलिये इस प्रकार की सूचना इकट्ठा करने में समय लगता है। इसलिए यह सूचना कि कितने और शेष रह गये है आज देने में असमर्थ है।

सिविल लाइन्स, कानपुर में टी० बी० अस्पताल खोलने पर आपत्ति

**४---श्री त्रिलोकी सिंह---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में टी० बी० का जो अस्पताल सिविल लाइन्स में बन रहा है उस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें उनके पास आई हैं? यदि हां, तो उस अस्पताल को किसी दूसरे स्थान पर हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---जी हां। जिस स्थान पर अस्पताल बन रहा है वह उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल के निकट होने तथा उसके समीप कोई दूसरा उचित एवं पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण उक्त अस्पताल को किसी दूसरे स्थान पर बनवाने का विचार नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उर्सला अस्पताल के ठीक सामने वहां के मेयर ने टी० बी० के अस्पताल के लिये कोई दूसरा स्थान बताया था? उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री धर्मसिंह---हमने जो उत्तर दिया वह तो यही दिया कि और कोई स्थान उपलब्ध नहीं था इसलिये यह बनाना पड़ा।

श्री गौरीशंकर राय---क्या कानपुर के मेयर ने सरकार को दूसरा स्थान देने को कहा था लकिन सरकार ने उस स्थान पर यह नहीं बनाया?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है। नगर महापालिका ने ही जमीन इत्यादि देने का प्रबंध किया था और उसी के अनुसार यह बनाया गया है।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या सरकार की जानकारी है कि सेन्ट्रल टी० बी० बोर्ड ने भी सरकार के पास ऐसी सिफारिश भेजी है कि टी० बी० क्लिनिक्स उन्हीं स्थानों पर खोले जायं जहां घनी बस्ती हो और जहां टी० बी० का रोग अधिक हो?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने क्या सिफारिश भेजी, उसके आंकड़े तो मेरे पास हैं नहीं। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती कि जिस जगह यह अस्पताल खोला गया है वहां आबादी है। लेकिन आज के युग में, जहां तक टी० बी० क्लिनिक का सवाल है, अब ऐसी कोई बात नहीं कि क्लिनिक खोलने से कोई हानि होती हो, उसके जर्म्स फैलते हों। आजकल साइंस के आधार पर यह मान लिया गया है कि अगर ऐसे क्लिनिक पापूलेशन में खोले जायं तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार का ध्यान हास्पिटल कमेटी की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अस्पताल ऐसी जगह पर खोला गया है जो एक खुला स्थान नहीं है और यह कि यह शहर के घने बसे स्थान से दूर होना चाहिये। क्या इस प्रकार की कोई सिफारिश सरकार के पास आई है?

श्री धर्मसिंह---सरकार के पास इस प्रकार की इस वक्त कोई सूचना नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करने का कष्ट करेगी कि कानपुर के उन स्थानों में जहां टी० बी० अधिक होती है, जमीन तथा और सुविधायें उपलब्ध थीं, तो फिर सरकार ने सिविल लाइन्स में इस अस्पताल को खोलने के लिये स्थान क्यों चुना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यहां पर कुछ भ्रम हो गया है और वह भ्रम यह है कि यह अस्पताल तो है नहीं, यह क्लीनिक है जहां आउटडोर काम है। वहां मरीज आते हैं और देखे जाते हैं । वहां उनके लिये दवाई वगैरह प्रेस्क्राइब कर दी जाती है और फिर वे अपने घर चले जाते हैं । वहां कोई ठहरने वाला मरीज तो है नहीं । दूसरी बात यह है कि आज के युग में विज्ञान की जो देन है उसके अनुसार इस बीमारी के सिलसिले में छुआछूत का भी कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब तो देश और विदेश में जगह-जगह इस बीमारी के इलाज का इन्तजाम है। लिहाजा यदि यहां पर सरकार ने कोई क्लीनिक खोली है तो वह कोई नई बात नहीं की है । बल्कि विज्ञान की जो आधुनिक देन है उसके अनुसार अन्य देशों में भी ऐसा किया जा रहा है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जो पत्र मेयर और कारपोरेशन की तरफ से सरकार के पास है उसको माननीय मंत्री जी पढ़ने की कृपा करेंगे कि उनकी क्या सिफारिश है ?

श्री धर्मसिंह—पत्र तो इस वक्त मेरे पास है नहीं । मैंने कहा कि उन्होंने ही इसके लिये जमीन इत्यादि दी है लेकिन पत्र के डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं ।

थरमल पावर प्लान्ट लगाने की स्वीकृति

****५—श्री झारखंडेराय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में तीन थरमल पावर प्लान्ट लगाने की स्वीकृति दी है ?

****६**—यदि हां, तो ये प्लान्ट किन स्थानों पर लगेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—तृतीय योजना काल में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित थरमल पावर प्लान्ट का लगाना स्वीकृत हुआ है :

६० मेगावाट का—हरदुआगंज स्तर १ अलीगढ़ जिले में ।

३० मेगावाट का—हरदुआगंज स्तर २ अलीगढ़ जिले में ।

२५० मेगावाट का—ओब्रा थरमल, मिर्जापुर जिले में ।

१५ मेगावाट का—कानपुर एक्सटेंशन, कानपुर में ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पावर प्लान्ट्स के ऊपर क्या व्यय होगा और इस व्यय का कोई अंश प्रान्तीय सरकार को भी वहन करना पड़ेगा अथवा नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—जो हमारी योजना है, अलग-अलग तो मेरे पास है नहीं इस वक्त कि क्या व्यय होगा लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका विवरण दे दूंगा। ऐसे थर्ड प्लान में १०७ करोड़ रुपये की हमारी स्कीम है ।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन पावर प्लान्ट्स के निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने की कब से आशा की जाती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—काम तो प्रारम्भ हो गया है जैसे हरदुआगंज के ६० मेगावाट के थर्मल प्लान्ट का काम आरम्भ हो गया है और आशा है कि अप्रैल और जून, १९६२ तक यह काम समाप्त हो जायगा । उसके बाद हरदुआगंज का ३० मेगावाट वाले प्लान्ट का काम आरम्भ होगा । कानपुर में १५ मेगावाट वाले प्लान्ट का जो काम चल रहा है, आशा है कि वह भी जून, १९६२ तक समाप्त हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—मिर्जापुर वाले के बारे में भी बता दें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मिर्जापुर वाले म अभी देर है । वह रशन्स से मिला है, वह अभी उस की प्रोजेक्ट बना रहे हैं । जब उनकी रिपोर्ट आ जायेंगी क्योंकि यह बड़ी प्रोजेक्ट है इसलिये देर लगेगी, मुमकिन है कि ६३ तक का समय लग जाय, उसके बाद ही बतला सकेंगे कि कितना समय काम शुरू होने और समाप्त होने में लगेगा ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हरदुआगंज में पहले थर्मल प्लान्ट न लगाकर हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्लान्ट लगने की बात थी और वह नहीं लग रहा है जब कि पानी मौजूद है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—आपकी सूझ बड़ी है लेकिन वहां पानी नहीं है । वहां एक छोटी सी नहर है, १२०० का ग्रिड है, हाइड्रो का तो वहां लग ही नहीं सकता ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज में ६० मेगावाट वाले प्लान्ट से कितने किलोवाट बिजली पैदा होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—६० हजार किलोवाट ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यह जो मिर्जापुर में प्लान्ट लगने वाला है वह तृतीय योजना में न लगकर चौथी योजना में लगेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह अभी से कहना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं आई है, वैसे हमने इसे तृतीय योजना में रखा है लेकिन चूंकि इसे बाहर के लोग लगा रहे हैं और बहुत बड़ा काम है इसलिये रिपोर्ट आने पर ही बताया जा सकता है कि वह कब लगेगा ।

तारांकित प्रश्न

खटीमा तहसील से माफी की लकड़ी के लिये प्रार्थना-पत्र

*१—**श्री प्रतापसिंह**—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल की तहसील खटीमा में रेंज कार्यालय में १ नवम्बर, १६६० से आज तक कितने प्रार्थना-पत्र माफी के लिये आये और उनमें कितने थारू काश्तकारों के थे ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—१०० गांवों के माफी के बाबत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें ३३२१ थारू काश्तकारों के लिये थे ।

*२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त लोगों में से कितनों को आज तक माफी दी गई ?

श्री अलगूराय शास्त्री—उक्त गांवों के लिये माफी की लकड़ी प्रदान की गई । कितनों को माफी की लकड़ी मिली अथवा कितने काश्तकारों को अभी तक नहीं मिली, इसके बारे में मौके पर जांच की जा रही है ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, पिछले सत्र में इसी प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि सूचना एकत्र की जा रही है तो क्या उनके पास ऐसी कोई सूचना आई है कि थारुओं को मई और सितम्बर में जो माफी दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी गई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जो सूचना एकत्र की जा रही थी उसी के आधार पर बताया है कि १०० गांवों से अर्जियां आई थीं, जो ३३२१ थारूओं की थीं । अब बजाय इसके कि १०० गांवों में जांच हो, अच्छा हो कि माननीय सदस्य को अगर किसी को इतला हो तो वह बता दें उसको देख लिया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैंने पूछा था कि क्या मंत्री जी को सूचना मिली है कि नवम्बर, दिसम्बर में वन विभाग के नियम के अनुसार माफी मिल जानी चाहिये, वह नहीं मिली क्या इसकी जानकारी उनको है ? नहीं तो वह करायेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इसकी जानकारी नहीं है और आप चाहेंगे तो करा ली जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खटीमा तहसील में नये नियमों के अनुसार प्रति गांव प्रति व्यक्ति कितनी लकड़ी माफी की मिलती है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस माफी का कायदा यह है कि रेवेन्यू विभाग से इंडेन्ट्स इश्यू होते हैं और उसके मुताबिक माफी की लकड़ी गांवों और पंचायतों के प्रधानों को मिल जाती है और वह उसका वितरण करते हैं । इस तरीके पर यह लकड़ी जो माफी की दी गई है वह लकड़ी कुल शाल की दी गई ८,७५० क्यूबिक फीट, खैर की २,१८४ क्यूबिक फीट कोकर की ६२,८०० क्यूबिक फीट और सीसम की २,५०० क्यूबिक फीट ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २८ मार्च, १९६१ को प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में २ हजार थारू काश्तकारों ने जंगलात विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया इस बात के लिये कि उनको समय पर माफी नहीं दी गई है और उसकी सूचना विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी, तो उसके बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कहा कि उनको जानकारी नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—जानकारी तो करा दी गई थी विभाग को ।

चन्दनपुर के निकट वृक्षारोपण न हो सकने की शिकायत

*३—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६१ में ग्राम चन्दनपुर जिला बदायूं में हुई एक किसान सभा में सिंचाई मंत्री से किसानों ने यह शिकायत की थी कि उनके ग्राम के निकट की बहुत सी जमीन १०-१२ वर्ष पहले वन विभाग ने घना वन लगाने के लिये ली थी किन्तु आज तक उस जमीन में कोई पेड़ नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों की उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, जमींदारी उन्मूलन के बाद ग्राम चन्दनपुर का जितना क्षेत्रफल वन विभाग के अन्तर्गत आया उसके अन्दर छोटे २ चक ग्राम समाज व काश्तकारी के थे जिसके कारण वन विभाग की दी गई भूमि की सीमाबन्दी या उसके अन्दर वृक्षारोपण करना अत्यन्त कठिन था । इन छोटे छोटे चकों के विषय में अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद ही वन विभाग इस क्षेत्र में वृक्षारोपण कर सकेगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १०-१२ वर्ष पूर्व यह जमीन वन विभाग को मिली थी तो वन विभाग को इस बात का पता कब चला कि इस जमीन की सीमाबन्दी और इस पर वृक्षारोपण होना कठिन है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--यह जमीन जमींदारी एबालीशन के बाद १ जुलाई, १९५२ में वन विभाग को मिली जब कि प्रोप्रायटरी राइट जमींदारी एबालीशन के बाद ऐसी जमीनों का सरकार को मिला । उस समय १,४८३ एकड़ भूमि इस तरह की थी मगर वह ऐसी बिखरी हुई थी, इधर-उधर बीच में खेत थे, कि उसकी सीमाबन्दी नहीं थी । सीमाबन्दी के लिये लिखा-पढ़ी की गई क्योंकि जब वहां तक न हो जाय, वृक्षारोपण कठिन हो जाता है। १९५८ में जाकर १, ४८३ एकड़ भूमि की बात हुई कि यह वन विभाग के प्रबन्ध में जायेगी । फिर लिखा-पढ़ी के बाद सन् १९६० में तहसीलदार ने कुल ३१३ एकड़ भूमि वन विभाग को देने की बात की । इस तरह की उलझनों में वन विभाग और रेवेन्यू विभाग में लिखा-पढ़ी चलती रही । अब यह तय हो गया है कि एक ज्वाइंट सर्वे करके डी० एम० और वन विभाग के लोग एक निर्णय पर पहुंचेंगे और जब वह सैटिलमैन्ट हो जायेगा तब वृक्षारोपण होगा ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जमीन को जब ९ साल पहले लिया गया था तो सन् १९५२ से आज तक सरकार इस बात को क्यों नहीं तय कर पाई कि वृक्षारोपण नहीं हो सकता ? वृक्षारोपण नहीं होता तो किसानों को जमीन वापस करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--वृक्षारोपण तो हो सकता है । यह नहीं निश्चय किया गया कि नहीं हो सकता । लेकिन तमाम झगड़े जमींदारी उन्मूलन के बाद जगह-जगह पर थे क्योंकि कुछ जमींदारों ने अपने वन काश्तकारों को दे रखे थे कुछ में वह खेती करते आये थे । तो ये सारे झगड़े हैं कि वह काश्तकारों के हो जायं या वन विभाग के हो जायं । इसलिये सैटिलमेन्ट की प्रोसीडिंग्ज जगह-जगह पर चल रही हैं । जब तक वह सैटिलमेन्ट नहीं होता तब तक वृक्षारोपण करना मुश्किल है । बाद में दूसरे को चला जाय तो मुश्किल होगी । वह इस समय किसी किसान को भी नहीं दी जायेगी जब तक कि सेटिलमेंट आफिसर उस पर फैसला नहीं कर देता । वन की भूमि में वन लगाने का निश्चय है मगर जब वह झगड़े तय हो जायं तभी लगा सकते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मंत्री जी ने कहा कि यह निश्चय करने में कि इसमें वन लगाया जाय या नहीं, १०, १२ साल बीत गये । अब और कितना समय सरकार निश्चय करने के लिये लेना चाहती है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--मैंने यह नहीं कहा कि वन लगाने या न लगाने के निश्चय में भेद है । वन तो लगायेंगे ही । लेकिन कितनी जमीन मिलती है यह निश्चय करने में देर लगी है ।

श्री अध्यक्ष--इसी बात के लिये वह समय जानना चाहते हैं ।

श्री अलगूराय शास्त्री--मैंने कहा था कि अब यह बात तय हो गई और एक ज्वाइंट सर्वे चालू है । उसके निर्णय में बहुत देर नहीं लगेगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--जो छोटे-छोटे चक किसानों के लिये गये और जिनके बारे में १०, १२ साल में फैसला नहीं हो सका कि वन लगाया जाय या नहीं, तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि किसानों की आवश्यकता को महसूस करते हुये वह जमीन किसानों को वापस कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इससे उठता नहीं, क्योंकि अभी जांच हो रही है ।

कन्सापुर में नटों व कंजरों को बसाने की योजना का कार्यान्वयन न होना

*४--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम कन्सापुर, गोंडा में नटों एवं कंजरों के ३० परिवारों को बसाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो अब तक इस योजना में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

हरिजन कल्याण राज्य मन्त्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—३० परिवारों को नहीं बल्कि २० नटों एवं कंजरों के परिवारों को ग्राम कन्सापुर में बसाने की योजना बनाई गई थी। परन्तु अब यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

*५—श्री गंगाप्रसाद—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के सम्बन्ध में कितने एकड़ जमीन प्रति परिवार को दी जायगी और अब तक इस सम्बन्ध में कितनी जमीन उनके बसाने के सम्बन्ध में ली जा चुकी है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसाद—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि विमुक्त जातियों के बसाने के संबध में सरकार की क्या स्पष्ट नीति है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—नीति उनको बसाने की है जिसके लिये कोशिश की जाती है, जमीन मिलने की बात है। जहां जमीन मिल जाती है वहां उनको बसा रहे हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—इस बात को देखते हुये कि आमतौर से नटों और कन्जरों के घरबार नहीं हैं, क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना है, कि इनको स्थायी तौर पर आबाद कराया जाय? यदि है, तो क्या?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—बसाने की कोशिश की जाती है। इनको स्थायी तौर पर रहने के लिये तैयार किया जाता है क्योंकि खुद यह लोग बसना नहीं चाहते। उन पर असर डाला जाता है और छोटे-छोटे टुकड़ों में जहां जमीन मिल जाती है वहां बसाने की कोशिश हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अब तक कितने कन्जर बसाये जा चुके हैं, और जो बसाये गये हैं, उनको सिर्फ जमीन दी गई है या जमीन के अलावा और भी कुछ सुविधायें दी गई हैं?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इसके लिये नोटिस चाहिये। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जहां उनको बसाया गया उसके अलावा उनको बैल दिये जाते हैं, कुछ रुपया दिया जाता है, जमीन दी जाती है और जब तक सेटिल नहीं हो जाते तबतक ५,६ महीने के लिये खाना दिया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो यह लोग बसाये जा रहे हैं उनके बसाने में मकान बनाने में कठिनाई होती है, तो सरकार सोचेगी कि जहां जमीन और बैल की मदद उनको देती है वहां मकान बनाने की भी सुविधा उनको दी जाय?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मकान तो पहली जरूरी चीज है और वह बनाये ही जा रहे हैं। पहले मकान बनाये जाते हैं ताकि उनको आबाद किया जाय और उसके साथ-साथ जमीन दी जाती है खेती के लिये। जहां जमीन मिली है वहां मकान बनाये जा रहे हैं।

लोहरियासाल मल्ला के छः किसानों को माफी की लकड़ी न मिलना

*६—श्री प्रतापसिंह—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहरियासाल मल्ला तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल में कितने काश्तकार ऐसे हैं जिनको १९५२ के बाद माफी नहीं मिली है?

श्री अलगूराय शास्त्री—ऐसी शिकायत ६ काश्तकारों की है कि उन्हें १९५२ के बाद माफी नहीं मिली है।

*७—श्री प्रतापसिंह—क्या वन मन्त्री उपर्युक्त विषय पर जांच करवायेंगे और माफी की लकड़ी शीघ्र दिलवायेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जांच की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब १९५२ से इनको माफी न मिलने की शिकायत आई है तो अभी जांच में सरकार को कितने दिन और लगेंगे ताकि उनको ९ साल के बाद फिर माफी मिल सके।

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन, बात यह है कि इस तरह की शिकायत अब आई कि इन ६ आदमियों को १९५२ से लकड़ी नहीं मिली है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, परिपाटी यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्डेन्ट दे देता है और गांव सभाओं के जरिये से लकड़ी वितरित की जाती है। गांव सभापति से इस बात को पूछा गया। उन्होंने अपने पत्र में यह बताया कि माफी लकड़ी बराबर सबको मिल रही है। मगर उनके पत्र में एक चीज अस्पष्ट सी थी कि आया कि ऐसे भी कोई हैं जिनको न मिली हो। उसके लिये फिर जांच करवा ली गई तो इन ६ आदमियों के बारे में यह सन्देह है कि शायद उनको लकड़ी नहीं मिली है। अब इन ६ आदमियों के बारे में छानबीन करके, अगर लकड़ी अवेलेबिल हुई, तो दे दी जायगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह एक छोटे से गांव के ६ आदमियों का सवाल है और १७ मई को अन्तरिम उत्तर दिया गया था, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वजह है इतने दिन पता लगाने में ही लग जाते हैं कि उन ६ आदमियों को लकड़ी मिली या नहीं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने निवेदन किया कि वितरण के लिये जो ग्राम सभा के सरपंच या प्रधान की एजेन्सी हमने नियत की है इससे अच्छी जनतांत्रिक ऐजेंसी कोई हो नहीं सकती और प्रजातांत्रिक एजेंसी जो सभापति की है उसका २२-५-६१ का पत्र है कि सबको रेगुलरली माफी की लकड़ी मिली है। उसके सन्दर्भ में हम कैसे सोच सकते थे सिवाय इसके कि किसी को भी शिकायत नहीं है। लेकिन कुछ स्पष्ट न होने से फिर जांच करवा ली। अब ६ नाम आये हैं। उनकी जांच करके लकड़ी दे दी जायगी।

रामपुरा व जगम्मनपुर जागीरों की सड़कों की मरम्मत न होना

*८—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या जमींदारी उन्मूलन के पश्चात से जिला जालौन में जागीर रामपुरा व जगम्मनपुर की कच्ची व पक्की सड़कों की मरम्मत न तो डि० बो० या अन्तरिम जिला परिषद् ने ही अभी तक कराई है, और न राजकीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने। यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—क्योंकि वे सड़कें न तो अन्तरिम जिला परिषद् को हस्तान्तरित हुई और न सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में वे आती हैं।

*९—श्री गरीबदास—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त जागीरों की कच्ची व पक्की सड़कें कई वर्षों से मरम्मत न होने के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। यदि हां, तो अब उनकी मरम्मत के लिये क्या विचार किया गया है?

श्री धर्मसिंह— प्रथम भाग—हो सकता है।

द्वितीय भाग—यह सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं हुई हैं इसलिये सरकार की तरफ से इनकी मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गरीबदास---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये सड़कें न तो अन्तरिम जिला परिषद् की हैं और न सार्वजनिक निर्माण विभाग की हैं, तो अब हैं किसके कब्जे में ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---ये सड़कें जो पहले इस्टेट्स में थीं इनका प्रश्न रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में भी चल रहा है। जो बहुत छोटी-छोटी सड़कें थीं वे तो पंचायतों को दे दी गई। बाकी जो एक गांव को दूसरे गांव से मिलाती हैं या एक गांव को किसी शहर से मिलाती हैं उन सड़कों का प्रश्न उनके सामने है कि वे पी० डब्ल्यू० डी० को दी जांय या लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह को दी जांय। लेकिन अभी उसका कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन प्रश्न पी० डब्लू० डी० से किया गया था तो उसके अन्तर्गत यह सड़कें नहीं हैं इसलिये मैंने बता दिया कि अभी वह किसी की जिम्मेदारी में नहीं हैं।

श्री गरीबदास---जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि वह किसी की जिम्मेदारी में नहीं हैं तो इन सड़कों के किनारे के पेड़ों की लकड़ी और फल कौन लेता है ?

श्री गिरधारीलाल---इसकी मुझे कोई इत्तला नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार को मालूम है कि जमीन्दारी एबालीशन के बाद जागीरें सरकार में विलीन हो गईं ? यदि हां, तो यह सड़कें क्यों नहीं वलीन हुईं ?

श्री गिरधारीलाल---सड़कों की क्या बात है, सभी चीजें विलीन हुई हैं। इसलिये प्रश्न सरकार के सामने है और कुछ सड़कें पंचायतों को दे दी हैं बाकी सड़कों का जो सवाल है.....

श्री अध्यक्ष---पहला सवाल तो यह है कि सड़कें सरकार की हैं या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---अभी तो उनकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---वीरेन्द्रशाह जी क्या सड़कें वापस ले सकते हैं ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, नवें प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया है कि "हो सकता है, ऐसा हो"। तो क्या सरकार जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करेगी कि इनकी मरम्मत क्यों नहीं की जा सकी है और इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---जहां तक अन्तरिम जिला परिषद् का सवाल है उसके सुपुर्द वह नहीं हैं और न पी० डब्ल्यू० डी० के पास ही हैं इसलिये....

श्री अध्यक्ष---तो क्या आप समझते हैं कि वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपुर्द हैं ?

श्री गिरधारीलाल---हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजस्व मन्त्री बता दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय सदस्य अपने प्रश्न को दोहरा दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, प्रश्न यह है कि क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त जागीरों की कच्ची व पक्की सड़कें कई वर्षों से मरम्मत न होने के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो गई हैं ? उत्तर दिया गया है "हो सकता है ऐसा हो" अब मैं जानना चाहता हूं कि ये सड़कें न तो पी० डब्ल्यू० डी० के पास हैं और न अन्तरिम जिला परिषद् के पास हैं, तो कौन इनका इन्तजाम कर रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं समझता हूं कि सरकार के किसी विभाग में नहीं आती हैं तो गांव समाज में आती हैं और धनाभाव के कारण मरम्मत नहीं हो सकी होगी।

बेलवाखान पट्टी से हकहकूक की लकड़ी न मिलने की शिकायत

*१०--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार एवं वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के पास ग्राम सभा बेलवाखान, पट्टी पश्चिमी चखाता, जिला नैनीताल की कोई शिकायत सालाना पेड़ों के हक हकूकों के वितरण के सम्बन्ध में दिसम्बर, १९६० में आई है कि पेड़ों के हक सभी हिस्सेदारों को नियमानुसार नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी हां, इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे ग्राम सभा बेलवाखान पट्टी में हक हकूकों के अनुसार लकड़ी नहीं दी गई है?

श्री अलगूराय शास्त्री--जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि माफी की लकड़ी का इन्डेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। उसके मुताबिक लकड़ी लेकर हम ग्राम सभा के प्रधान को दे देते हैं और वह उसका वितरण करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ग्राम सभा बेलवाखान की लकड़ी का १९६० का कितना ऐलाटमेंट था और कितनी लकड़ी उनको दी गई?

श्री अलगूराय शास्त्री--सन् १९६० और ६१ का ऐलाटमेंट था--५३० क्यूबिक फीट मकान निर्माण के लिये, ७३५ क्युबिक फीट पशुशाला के लिये और ५० क्यूबिक फुट खेती के काम के लिये।

श्री अध्यक्ष--एक हिस्सा रह गया है कि इसमें से कितनी दी गई?

श्री अलगूराय शास्त्री--सब बंटी है।

गिरधारी पुरवा व हड्डीगंज की हरिजन पाठशालाओं का अनुदान बन्द होना

*११--श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कहां-कहां हरिजन पाठशालायें कब से चल रही हैं?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--बाराबंकी जिले में ३ हरिजन पाठशालायें गिरधारीपुरवा, दुल्लापुर तथा हड्डीगंज में मार्च १९५७ से चल रही है।

*१२--श्री नत्थाराम रावत--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९५९-६० तथा १९६१ में प्रत्येक को सरकार की ओर से कितना-कितना अनुदान दिया गया है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--वर्ष १९५९-६० तथा १९६०-६१ में प्रत्येक को क्रमशः ४०० रु० का अनुदान दिया गया है।

*१३--श्री नत्थाराम रावत--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६०-६१ में किन-किन पाठशालाओं का अनुदान का रुपया सरकार द्वारा भेजे जाने के बाद भी जिले के अधिकारियों ने अभी तक पाठशालाओं को नहीं दिया? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--२ पाठशालाओं, गिरधारीपुरवा तथा हड्डीगंज के बन्द हो जाने की रिपोर्ट के आधार पर निदेशक, हरिजन कल्याण द्वारा अनुदान का भुगतान रोक दिये जाने का आदेश दे दिया गया है।

श्री नत्थाराम रावत---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो यह बताया कि दो पाठशालाओं के बन्द हो जाने की रिपोर्ट के आधार पर हरिजन कल्याण संचालक ने अनुदान रोक दिया है, वह रिपोर्ट किस अधिकारी द्वारा, किस तारीख को आई और वह रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---रिपोर्ट मंगाई गई है । रिपोर्ट आने पर बतलाया जायगा ।

श्री नत्थाराम रावत---बात समझ में नहीं आ रही है। रिपोर्ट नहीं आई तो उत्तर किस आधार पर दे दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---उत्तर यहीं आ गया होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि गिरधारीपुरवा और हड्डीगंज में जो दो पाठशालायें बन्द हो गई हैं उनके बन्द होने का कारण विद्यार्थियों का न आना है या अध्यापकों का न आना है या अन्य कोई कारण है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जिला विद्यालय निरीक्षक को यह काम सुपुर्द किया गया है कि वह सब तहकीकात करें कि क्यों बन्द हैं। उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। वह आजायगी तब बता दिया जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आमने-सामने प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता को बुलायें तो बीच में एक मध्यस्थ रख दिया जाय कि क्या पूछा गया और क्या जवाब दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---हर एक की समझ दुरुस्त करने के लिये एक-एक आदमी नहीं रखा जा सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि वहां की पाठशालायें अब तक चल रही हैं और स्थानीय एम० एल० ए० के प्रभाव में आकर हरिजन कल्याण अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी कि पाठशालायें नहीं चल रही हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---मैंने अर्ज किया, तहकीकात होगी तो मालूम हो जायगा ।

बाबरपुर-कन्नौज सड़क का आंशिक भाग पी० डब्ल्यू० डी० में न होना

*१४---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत बाबरपुर ग्राम से जो सड़क फंफूद-बिबियापुर होकर तिर्वा-कनौज जिला फर्रुखाबाद तक गई है उसके मध्य सिर्फ ६ मील का भाग फफूंद से बिबियापुर तक पी० डब्ल्यू डी० में नहीं लिया गया ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

*१५---श्री भजनलाल---यदि हां, तो कब तक उसको पी० डब्लू० डी० में लिया जायगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में तो इसका लेना सम्भव न हो सकेगा।

द्वितीय भाग---

सीमित धनराशि के कारण ।

श्री भजनलाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत बाबरपुर से फफूंद होती हुई जो सड़क तिरवा और कन्नौज जाती है, कम से कम ५० मील सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत है, इस बीच में सिर्फ फफूंद से दिबियापुर, ६ मील का टुकड़ा पी० डब्ल्यू० डी० में नहीं है, तो इसका क्या कारण है और इतनी बड़ी सड़क का महत्व समझ कर क्या इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल तो हमारे पास धन की कमी है जिसके कारण इस सड़क को नहीं लिया जा सकता। जहां तक ५० मील की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं वह ५० मील नहीं है। बाबरपुर से तिर्वा तक ३२ मील ७ फर्लांग है।

श्री भजनलाल—माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वह ५० मील नहीं है। लेकिन मैं उस रास्ते से अक्सर आया जाया करता हूं। बाबरपुर से लेकर कन्नौज तक ५० मील का एरिया है, जो पूरा भाग पी० डब्ल्यू० डी० में है, सिर्फ यह ६ मील ही पी० डब्ल्यू० डी० में नहीं है, तो इसको सूचना समझकर और वहां की दिक्कत को समझकर क्या उसको पी० डब्ल्यू० डी० में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव नहीं होगा। वास्तव में माननीय सदस्य की सूचना भी गलत है। मैं समझता हूं, इसमें पहला टुकड़ा जो है दस मील का, वह एक श्रमदान की सड़क थी जिसके लिये कि एक वर्ष यह तय हुआ था कि श्रमदान की कुछ सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० में मेंटिनेंस के लिये ले ली जायं। तो उस वक्त इस पहले टुकड़े को ले लिया गया था। बाकी हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत है या किसी दूसरी लोकल बार्डी के मातहत है। यह जरूर है कि जो आखिरी हिस्सा है इस सड़क का वह अच्छा है। सिर्फ बीच में ५ मील ७ फर्लांग जिसके बाबत कि प्रश्नकर्त्ता महोदय ने प्रश्न किया है वह जरूर बीच में ऐसा पड़ा हुआ है लेकिन जहां तक इस जिले की बात है इसमें जितना टोटल माइलेज होना चाहिये करीब-करीब उतना माइलेज हो चुका है और धन की कमी की बात बिलकुल जाहिर है। अगर हम लोगों के पास धन उपलब्ध हुआ तो हम इस प्रश्न पर विचार कर लेंगे।

गोमती पर चनवक घाट का पुल बनाने की योजना

*१६—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चनवक घाट (जौनपुर) में गोमती नदी पर पुल बनाने की योजना किस हद तक कार्यान्वित हो चुकी है?

श्री धर्मसिंह—जून, १९६१ ई० के अन्त तक ८.३ प्रतिशत कार्य हुआ तथा २,२१,७०५ रुपये व्यय हुए।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि यह पूरी योजना कितने रुपयों की है और यह पुल कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—यह योजना को तैयार कर इस पर कार्य हो रहा है और १३.०० लाख रुपये की योजना है। यह उम्मीद की जाती है कि अगर कोयले वगैरह की दिक्कत न हुई तो १९६३ तक कार्य समाप्त हो जायगा।

*१७—**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)—[१० अगस्त, १९६१ के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में निर्माण कार्य करने के सम्बन्ध में जानकारी

*१८—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में इस पंचवर्षीय योजना में कौन सी सड़कें पक्की हो जायेंगी ?

श्री धर्मसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अतरौली-कासगंज तथा टप्पल-जेवर सड़कों पर इस योजना में कार्य पूरा किया जायेगा। कोई नई सड़क इस जिले में इस योजना में नहीं ली गई है।

*१९—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित सड़कों को पक्का कराने पर विचार करेंगे जो धार्मिक, तीर्थ स्थानों तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं—

(१) हाथरस-बलदेव, (२) सादाबाद-मुरसान, (३) सासनी-जलेसर, (४) सासनी-हस्तपुर, (५) सासनी-इगलास, (६) सासनी-बानऊ ?

श्री धर्मसिंह—इन सड़कों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई प्राविधान न होने के कारण इस योजनाकाल में उनको पक्का करना सम्भव न होगा।

*२०—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में मुरसान-सादाबाद रोड पर करबन नदी का पुल और अलीगढ़ ड्रेन पर दादनपुर-डकपुरा के अत्यन्त आवश्यक मार्ग का पुल बनवाने के लिये कब तक कार्य आरम्भ हो सकेगा ?

श्री धर्मसिंह—इन पुलों का निर्माण, निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है इसलिये कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री जी से विगत योजना में नहीं बल्कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण का उत्तर मांगा गया था कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में कौन-कौन सी सड़कें कितनी लम्बी बनेंगी ?

श्री अध्यक्ष—यानी और सड़कों के बारे में आप पूछ रहे हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जो प्रश्न १८ का उत्तर दिया है वह द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का है।

श्री धर्मसिंह—जी, इसमें कोई नहीं बनेगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जिला अन्तरिम परिषद् ने इन सड़कों में से किन-किन को प्राथमिकता दी थी और निर्माण विभाग के इंजीनियरों की बैठक में किन-किन सड़कों को बनाने का निश्चय किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—वह तो कई को उन्होंने प्रायरिटी दी थी। मेरे पास उसकी सूचना नहीं है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, धन की कमी के कारण उनको नहीं लिया जा सकेगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—व्यापारिक दृष्टि, अधिक आवागमन और मथुरा वृन्दावन जैसे तीर्थ स्थानों को आने जाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस सड़क के एक मील का भी निर्माण क्या इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हो सकेगा ?

श्री धर्मसिंह—उत्तर प्रदेश में और भी बहुत से जिले हैं जहां पर स्टार ग्रिड फारमूले के आधार पर नई सड़कें नहीं ली गई हैं। अलीगढ़ भी उनमें से एक है जहां पर कुछ नई सड़कें ली गई हैं। वह नई सड़कें इसमें नहीं आती हैं। हमारे पास धन की कमी है जिसके कारण इनका लेना सम्भव नहीं है।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में वहां के इंजीनियरों ने इन सड़कों के बारे में रिपोर्ट दी थी ? यदि नहीं दी, तो उसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—मैं रिपोर्ट का मतलब नहीं समझा। अगर मतलब यह है कि कितनी सड़कें बननी चाहिये तो इस प्रकार का सुझाव जरूर वहां से आया। इसमें जो सड़कों के विषय में पूछा गया है कि इन सड़कों का उसमें कोई सुझाव आया या नहीं, तो वास्तव में इसमें किसी सड़क का सुझाव नहीं आया। अगर आया है तो सासनी-जलेसर सड़क को १५वीं प्राथमिकता उस सुझाव के अन्दर थी जो वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आये थे। जैसा कि अभी डिप्टी मिनिस्टर श्री धर्मसिंह जी ने बतलाया कि धन काफी नहीं है और यहां पर स्टार ग्रिड फारमूले के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ३३४ मील सड़कें बननी चाहिये और लगभग ३३० मील सड़क वहां पर बन चुकी है। इसलिये जब तक जिले की और आवश्यकता को पूरा न कर लिया जाय इस सड़क का लेना सम्भव नहीं है।

आगरा-भोगांव सड़क से मैनपुरी में बाई-पास बनाने की प्रार्थना

*२१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी नगरपालिका ने १९५९ में और १९६० में कई बार ऐसे प्रस्ताव पास कर के चीफ इंजीनियर पी० डब्ल्यू०डी०, बिल्डिंग तथा रोड को भेजे हैं कि आगरा से भोगांव को जाने वाली पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क, जो कि मैनपुरी के बीच से होकर जाती है, बहुत कम चौड़ी है, इस कारण बहुत सी मौतें हो चुकी हैं अतः वहां बाई-पास बना दिया जाय? यदि हां, तो उन प्रस्तावों में क्या हो रहा है?

श्री धर्मसिंह—केवल ७ जुलाई, सन् १९६० का एक प्रस्ताव मैनपुरी में बाई-पास बनाने का चीफ इंजीनियर को मैनपुरी नगरपालिका से प्राप्त हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित बाई-पास के निर्माण के लिये कोई व्यवस्था न की जा सकी इसलिये इस योजनाकाल में उसका निर्माण सम्भव नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार नगरपालिका के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने की कृपा करेगी क्योंकि शहर में सड़क के कम चौड़ी होने के कारण कितने ही एक्सीडेन्ट हो चुके हैं और मौत हो चुकी हैं और जहां बाई-पास बनाने के लिये नगरपालिका ने प्रस्ताव पास किया वहां पूरी सड़क तैयार है केवल १।। फर्लांग सड़क बनाने से पूरा बाई-पास तैयार हो जाता है?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने निवेदन किया कि इस तरह का प्रस्ताव जरूर आया था लेकिन उसमें मौत इत्यादि हुई है या नहीं, यह सूचना मेरे पास नहीं है। धन की कमी के कारण इसको लेना सम्भव नहीं है और न बाई-पास के लिये योजना में हमारे पास धन है। दूसरी बात यह है कि जिला परिषद् ने जो सिफारिश हमारे पास भेजी थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि वह बन जाय। यह भी है कि जैसा हमारे मित्र माननीय सदस्य कह रहे हैं वह एक मील का टुकड़ा नहीं है बल्कि अगर बाई-पास बनने की बात हुई तो वह ३ मील १ फर्लांग के करीब होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला इटावा)—जो काछी जी का प्रश्न है, यह सिर्फ वहां की म्युनिसिपैलिटी ने ही नहीं कहा है कि वहां बाई-पास बन जाय बल्कि यात्रियों ने भी कुछ सरकार से निवेदन किया है कि जिससे उस कस्बे के लोग बचाये जा सकें इसलिये उस बाई-पास का बनना जरूरी है। इस पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष—वह कस्बा नहीं है, मैनपुरी शहर है।

श्री देवनारायण भारतीय—मौलिक प्रश्न यह है कि "आगरा से भोगांव को जाने वाली पी० डब्ल्यू० डी० सड़क" यह शब्द हैं तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सड़क आगरा से भोगांव तक आती है या आगे भी किसी स्थान तक जाती है?

श्री धर्मसिंह—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। कहां तक जाती है यह आपको मालूम होगा।

कोलतार सड़कों को डीजल आयल से बचाने का सुझाव

*२२—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार का ध्यान अभी हाल में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था की उस खोज की ओर आकर्षित हुआ है जिसके निष्कर्ष में यह कहा गया है कि "अध्ययन करने के बाद सड़क अनुसंधान के विशेषज्ञों का मत है कि सड़कों में दरारें, डीजल बसों तथा ट्रकों के धुयें से पड़ती हैं, प्रत्येक मोड़ पर डीजल बसों और ट्रकों से भारी मात्रा में धुआं निकलता है, इस धुयें में बिना जला डीजल आयल होता है जो सड़क की सतह पर छा जाता है। धीरे-धीरे यह आयल सड़क की तली तक पहुंच जाता है और पत्थर के टुकड़ों को अलग-अलग कर देता है बाद में यातायात के भारी दबाव से सड़क में दरारें पड़ जाती हैं।"

श्री गिरधारीलाल—केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने सूचित किया है कि डीजल बसों के धुयें से जो हानि कोलतार को सड़कों की सतहों को पहुंचती है उसका विशेष अध्ययन कथित संस्था ने नहीं किया है। इस संस्था द्वारा देहली क्षेत्र के निकट किये गये एक अनुसंधान में यह बात देखी गई है कि कोलतार वाली सड़कों की सतहों की Instability का कारण डीजल बसें व ट्रकों द्वारा धुयें का निकलना है।

*२३—श्री रामदुलारे मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त खोज से राज्य को लाभान्वित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है?

श्री गिरधारीलाल—इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ की जा रही है।

खीरी जिले में वन विभाग में अधिगृहीत भूमि

*२४—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला खीरी में कितने एकड़ जमीन वन विभाग के अन्तर्गत १ जनवरी, १९४८ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक किन-किन काश्तकारों या जमीदारों की वन विभाग में ली गई और उन्हें क्या-क्या मुआवजा दिया गया और नहीं दिया गया, तो क्यों?

*२५—क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जो जमीनें ली गईं उनमें किस-किस जमीन में जंगल था, किस-किस में नहीं था और जंगल में किस-किस किस्म के कितने-कितने पेड़ थे?

*२६—क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेला पहाड़ा, पिपरिया, कप्तान, कुवरहिया, नरंगाबाद, गिरंठ, अम्दाबाद, कोट वारा, रेहवा, सदियापुर, मिठनाबोझी, गेवरिया, अलीगंज, मूड़ा, सवारन, गिरंट नं० ११ गिरंट नं० १२ आदि में जो जमीनें जंगल में ली गई हैं उनमें किस-किस भूमि में जंगल हैं और कितने-कितने रुपये का ठेका प्रतिवर्ष होता है?

श्री अलगूराय शास्त्री—सूचना एकत्र करने में जितना समय और धन व्यय होगा उतना लाभ न होगा।

इलाहाबाद जिले में हरिजन कल्याण कमेटी द्वारा निर्माण कार्यों के लिये अनुदान मिलना

*२७—श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में १९५८-५९ से १९६०-६१ तक कितना धन नये कुंयें, पुराने कुयें, कृषि उद्योग और भवन निर्माण हेतु जिला हरिजन कल्याण कमेटी द्वारा स्वीकृत हुआ और उसमें से कितना धन अभी तक प्रार्थियों को नहीं दिया गया?

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर जवाहरलाल राहतगी—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृ० २७८ पर)

देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण

*२८—श्री ब्रजनारायण तिवारा (जिला देवरिया)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों का निर्माण करने का निश्चय किया गया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों का निर्माण-कार्य शेष रह गया है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—किसी का नहीं।

द्वितीय भाग—इन सड़कों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २७९ पर)

*२९-३०—श्री झारखंडेराय—[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[हटा दिया गया।]

बाड़ेछीना—सेराखाट मोटर मार्ग बनाने की प्रार्थना

*३२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या बाड़ेछीना (धौलछीना)-सेराखाट वन मोटर मार्ग बनाये जाने की बाबत उनके चीफ कंजरवेटर व कंजरवेटर को १९५९ व १९६० में प्रार्थना-पत्र मिले थे? अगर हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां। केवल अरण्यपाल को प्रार्थना पत्र मिले थे, उस पर विचार किया गया। परन्तु वन विभाग ने इस मार्ग को मोटर मार्ग (motorable) बनाने के लिये उचित नहीं समझा।

*३३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि उपर्युक्त मार्ग के चारों ओर घने सुन्दर व बहुमूल्य सरकारी जंगल हैं तथा वहां वन विभाग के कई विश्राम-गृह बने हैं?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस १८ मील मार्ग में से केवल २ मील का मार्ग सुरक्षित वन के भीतर से गुजरता है और इस पर केवल एक विश्रामगृह है।

सड़कों के निर्माणार्थ प्लानिंग कमीशन का सुझाव

*३४—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय योजना में सड़क एवं पुल निर्माण निमित्त नई योजनाओं के लिये केवल सात करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है जो दूसरी योजना में इस कार्य निमित्त स्वीकृत धनराशि से कम है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*३५—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो क्यों ? सरकार इसकी पूर्ति निमित्त क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—क्योंकि तीसरी योजना के अन्तर्गत सड़कों व पुलों के लिये स्वीकृत धनराशि का अधिकांश भाग दूसरी योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये निर्धारित किय गया है।

द्वितीय भाग—इस समय सड़क और पुलों की योजना के लिये अतिरिक्त धनराशि निकालना सम्भव नहीं है।

*३६—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या 'प्लानिंग कमीशन का कोई ऐसा सुझाव है कि प्रदेश के बड़े ग्रामों एवं कस्बों को पक्की सड़कों का निर्माण कराकर पक्की सड़कों से मिला दिया जाय ? यदि हां, तो इसके लिये प्रदेश में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—यद्यपि प्लानिंग कमीशन के कोई ऐसे खास आदेश नहीं हैं परन्तु इस कमीशन द्वारा प्रकाशित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रथम परिच्छेद में यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम को रेलवे स्टेशन व निकटवर्ती मुख्य सड़क से मिलाया जाय।

द्वितीय भाग—सड़कों व पुलों की तृतीय योजना के लिये उपलब्ध धनराशि से उक्त सुझाव को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इलाहाबाद में सड़कों पर बिजली के नये कनेक्शन न मिलना

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद महापालिका तथा इलाहाबाद की बिजली कम्पनी में आपसी झगड़ा होने के कारण नये कनेक्शन नगर की सड़कों पर बिजली कम्पनी नहीं दे रही है। यदि हां, तो कितने समय से और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इलाहाबाद नगर महापालिका और बिजली सप्लाई कम्पनी के बीच, सड़कों पर रोशनी किये जाने का पुराना समझौता १० सितम्बर, १९५८ को समाप्त हो गया। इसके बाद से अभी तक कोई नया समझौता नहीं हुआ है। इस कारण बिजली कम्पनी ने सड़कों पर रोशनी के नये कनेक्शन देना बन्द कर दिया है।

झांसी में बिजली का अभाव

*३८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली सप्लाई न कर सकने के परिणाम स्वरूप झांसी म्युनिसिपल क्षेत्र में कितने ही दिनों से ब्लेक आउट रहने के कारण वहां की जनता को बहुत ही असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—झांसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, झांसी का एक जेनरेटिंग सेट २० अप्रैल, १९६१ को जल गया था जिसके कारण कभी-कभी बिजली फेल हुई परन्तु किसी भी दिन पूरा ब्लैक आउट नहीं रहा। कम्पनी ने उक्त जेनरेटिंग सेट की मरम्मत करा ली है और वह २४ जुलाई, १९६१ को पुनः चालू कर दिया गया है।

खेरना-अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर व्यय

*३९—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नये बने खेरना-अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर अब तक कितना खर्च हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल—इस मार्ग पर अब तक १३,२८,२१७ रुपया खर्च हो चुका है।

लखनऊ में विक्टोरिया पार्क को बेगम हजरत महल के स्मारक में परिणत करना

*४०—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार ने लखनऊ स्थित विक्टोरिया पार्क को प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति बेगम हजरत महल के स्मारक के रूप में परिणत करने का निश्चय किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

बदलापुर-पिलकिछा सड़क पक्की करने की आवश्यकता

*४१—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जौनपुर जनपद की बदलापुर-पिलकिछा कच्ची सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा पक्की की जाने वाली है? यदि हां, तो इस पर कब से कार्यारम्भ हो जावेगा?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिये पे-कमीशन न बैठाना

*४२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वह कोई पे-कमीशन बैठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

लखनऊ में गोमती के पुलों को चौड़ा करने की योजना

*४३—श्री शारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित गोमती के ६ पुलों को चौड़ा करने तथा उनमें अन्य सुधार करने की योजना उसके विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल—तीन पुलों को चौड़ा करने तथा अन्य सुधार करने की योजना स्वीकृत कर दी गई है? चौथे सड़क के पुल को चौड़ा करने का कार्य बाद को लिया जायगा। रेलवे के दो पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों से लिखा-पढ़ी की जायगी।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित नियम †

राजस्व उप मंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागरक्षेत्र जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय ४ के अन्तर्गत बने हुये एवं राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०९०/१-क-३६०४-५९, दिनांक १९ जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित नियम को उक्त अधिनयम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, १९६१ †

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या २५३७-एस/१८-सी-१५०९

---

†छापे नहीं गये।

(१)–६१, दिनांक ३० जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, १९६१ को उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम १९६१ की धारा १५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री बंशीधर शुक्ल जी का एक काम रोको प्रस्ताव आया है और यद्यपि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है फिर भी उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं, इसलिये कि वह काफी महत्व का है—

"हमारे लखीमपुर जिले में थाना नीमगांव के थानेदार उस गांव में कई कत्ल करा चुके हैं और रोजाना अनहोने कार्य करते ही रहते हैं। कप्तान उसका फेवर करता है। हमने आखिर कप्तान के जुर्मों की अर्जियां पुलिस मन्त्री को दीं, उस पर कोई कार्यवाही न करके उल्टे उन्हीं अधिकारियों के पास भेज दी गईं। पुलिस कप्तान, थानेदार दोनों हमारा कत्ल कराने पर तुल गये हैं। हमारी जान का बहुत बड़ा खतरा जिले में पैदा हो गया है। पुलिस मन्त्री लापरवाही कर रहे हैं। अतः आज सदन में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पास कर सरकार से आशा करता हूं कि सर्वप्रथम इस प्राणघातक प्रस्ताव पर विचार करे।"

चूंकि स्वयं उनका प्रश्न है प्रस्ताव के रूप में, इसलिये कामरोको प्रस्ताव की बहस तो नहीं हो सकेगी, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी····

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह कविता की भाषा है या कौन सी भाषा है?

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—यह प्राणघातक भाषा है।

श्री अध्यक्ष—सवाल यह है कि एक माननीय सदस्य कहते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हमारी जान का खतरा पैदा हो गया है तो इस विषय में गृह मन्त्री जी को सदन के सामने कोई न कोई वक्तव्य देना चाहिये संक्षेप में, जानकारी हासिल करके, और अगर उनकी जान का खतरा हो तो उनकी हिफाजत के लिये भी व्यवस्था करना, मैं समझता हूं, उचित होगा। (तालियां) इसलिये मैं इसको गृह मन्त्री जी के पास भेज दूंगा किन्तु यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता क्योंकि इसपर बहस नहीं होगी। वह खुद कह रहे हैं कि जान का खतरा है इसलिये मन्त्री जी उनको बुला कर बात कर लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यही स्थिति कानपुर जिले की है।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे पास लिखित भेज दीजियेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)— इस बारे में एक निवेदन मान लिया जाय कि जबतक शुक्ल जी से उनकी बात न हो जाय, तब-तक उनको पुलिस विभाग द्वारा अंगरक्षक दिये जायं ताकि कोई दुर्घटना न घटने पाये।

श्री अध्यक्ष—आप अपना सुझाव मन्त्री जी को लिख कर दे दें।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विभिन्न विषयों पर वक्तव्य के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत, मैंने कहा था कि, जो इकट्ठे बहुत से प्रस्ताव आ गये हैं और उनमें जो मैंने महत्व के मान लिये हैं उनमें कुछ के लिये मैं चार तारीख तक समय निश्चित कर चुका हूं। अब इसके बाद ५ और ६ को छुट्टी है। ७ तारीख को श्री मोती लाल जी वाला लिया जायगा कि ६०,०००के करीब विद्यार्थीयों अनुतीर्ण होने के पश्चात् उनको सरकारी मान्य विद्यालयों में पुनः प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसी उनकी शिकायत है। इसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी अपना वक्तव्य ७ तारीख को दें।

[श्री अध्यक्ष]

इसके बाद यदि उनको तारीख बदलवानी हो तो मन्त्री जी उसकी सूचना मेरे पास भेज सकते हैं। ८ तारीख को गौरीशंकर राय जी वाला प्रश्न लिया जायगा और उसके साथ झारखंडेराय जी का है। गौरीशंकर जी वाले प्रश्न में दो प्रश्न एक साथ कर दिये हैं इसलिये मैंने उनका ही ले लिया है। दोहरीघाट पम्प नहर की क्षमता ६०० क्यूजेक्स थी। इस वर्ष ४२० क्यूबेक्स पानी देने पर भी नहर पुनः इस्तेमाल नहीं की जा सकी और नहर फट गयी। इस सम्बन्ध में चर्चा है। तो यह प्रस्ताव मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी के पास भेज दूंगा कि वे ८ तारीख को अपना वक्तव्य देंगे।

९ तारीख को मैंने श्री प्रतापसिंह जी का रखा है। उसी विषय पर श्री यादवेंद्रदत्त दुबे जी का भी है। इसमें यह है कि गत शुक्रवार को जिला चमोली में ग्राम ददुआ में जमीन के धंसने से ५५ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई....आदि।

९ तारीख को ही माननीय गेंदासिंह जी वाला प्रस्ताव, जो अनावृष्टि के सम्बन्ध में है, लिया जायगा। उस दिन दो प्रस्ताव लिये जायेंगे। उसमें उग्रसेन जी का भी है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ९ तारीख को वक्तव्य देंगे..

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अगर इस बीच में वर्षा हो जाय तब?

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में भी आप उस समय अपने वक्तव्य में कह सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, आपने ९ तारीख तक के लिये अभी से प्रस्ताव नियत कर दिये। अब अगर इस बीच में कोई इनसे भी महत्वपूर्ण घटनायें घटित हो जाती हैं जिन पर इस सदन को विचार करना, और उस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो, तब क्या होगा, क्योंकि ९ तारीख तक तो आपने प्रस्ताव ले लिये?

श्री अध्यक्ष---अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा तो उसे भी एक ही दिन में लिया जा सकता है। मैंने ९ तारीख को दो प्रस्ताव लिये हैं।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)---अध्यक्ष महोदय, अगर आपको दिक्कत न हो तो मेरे स्टेटमेंट के लिये आप ८ तारीख के स्थान पर ९ तारीख रख दें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। आप ९ तारीख को अपना बयान दे दें। जो ९ तारीख के लिये प्रतापसिंह जी वाला प्रस्ताव है वह ८ तारीख को ले लिया जायेगा।

अब एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय त्रिलोकीसिंह, नेता विरोधी दल, ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने लिखा है कि "लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा २९ जुलाई १९६१, को पुलिस की मदद इस हेतु मांगी जाना कि इमारत नं० ११, कन्टूनमेंट रोड, लखनऊ, के गिरहर हिस्से को जब मकान मालिक गिराये तो पुलिस उसकी मदद इस हेतु करे कि वहां शांति भंग न हो, और सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ, द्वारा पुलिस को मदद देना तथा पुलिस की मौजूदगी में ३० जुलाई, १९६१ को १२--१ बजे के करीब ११, कन्टूनमेंट रोड के मकान के उन भागों को गिराना, जो गिरहर नहीं थे और जिनके बारे में नगरपालिका ने कोई सूचना मालिक मकान तथा किरायेदार को नहीं दी है, गिरवा देने की ओर माननीय गृह मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा करने के वह आज्ञा प्रदान करेंगे।" तो जिस हिस्से को गिराने की आवश्यकता नहीं थी पुलिस ने उसको गिरा दिया और जब कि नगर महापालिका की ओर से उसको गिराने के लिये कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। यह स्थानीय मामला है, इसलिये इसके लिये मैं १० तारीख निश्चित करता हूं। १० तारीख को माननीय मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, अब तो ऐसे-ऐसे छोटे मामलों में भी प्रस्ताव आपके द्वारा स्वीकृत होने लगा...

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि यह नेता विरोधी दल की तरफ से आया है, इसलिये मैं यह समझता हूं कि उसमें जरूर कोई राज होगा। जब उनकी ओर से यह आया है तो जरूर कोई महत्व की बात होगी, मैं ऐसा मान कर चलता हूं। वे बहुत कम प्रश्न उठाते हैं इस कारण जब कभी भी नेता विरोधी दल कोई इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं तो यह आशा की जाती है कि उसके अन्दर जरूर कोई लोक महत्व की बात होगी।

माननीय राजनारायण जी ने जो एक प्रस्ताव नियम ५३ के अनुसार भेजा है उसके लिये अब समय बहुत कम रहा है, क्योंकि हम थोड़े ही दिन बैठेंगे, लेकिन इसमें कई विषय थे जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें बहुत सी खड़ी हो सकती थीं, इसलिये कुछ संशोधनों के साथ नियम ५२ में वक्तव्य देने के लिये मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मैं राजनारायण जी को दिखा दूंगा कि कौन-कौन से संशोधन हैं। मैंने उसके लिये तारीख मुकर्रर की है ११ को। यह पहाड़ी इलाकों से सम्बन्धित है, उत्तराखंड से सम्बन्धित है, उसमें कई चीजें दवादारू से सम्बन्धित भी हैं।

श्री राजनारायण---क्या आपने इसमें कानूनी सम्मति भी ले ली है?

श्री अध्यक्ष---जी हां, मैं आपको बता दूंगा। मैंने उसको नियम ५२ के अनुसार स्वीकार तो कर लिया ही है।

उर्दू को नया स्थान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष---एक नियम ५३ के अनुसार, जो उर्दू वाला था उसके सम्बन्ध में नेता सदन से विचार विमर्श करके कोई समय मुकर्रर करने के लिये मैंने कहा था। उसके लिये अधिक से अधिक ढाई घंटे का समय दिया जा सकता है। मैंने उसे ४ तारीख को रखा है कि उस दिन ढाई घंटे का समय उस प्रस्ताव के लिये दिया जाय।

राप्ती नदी पर कैंटी ब्रिज के गिर जाने के सबन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य इस प्रकार है

"लखनऊ तथा गोरखपुर को मिलाने वाले राष्ट्रीय मार्ग संख्या २८ पर गोरखपुर के समीप राप्ती नदी के ऊपर बडघाट पर प्रत्येक ऋतु के लिये एक आर० सी० सी० पुल के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक २७ फरवरी, १९५८ में ४१.४३ लाख रुपये पर प्रदान की गई थी और पुल के डिजाइन की प्राविधिक स्वीकृति दिनांक २४ सितम्बर, १९५६ को प्रदान की गई थी।

इस पुल के निर्माण का कार्य नई दिल्ली की एक प्रतिष्ठित फर्म, मैसर्स नार्दर्न कान्सट्रक्शन कम्पनी को ठेका २४ नवम्बर, १९५८ द्वारा ३१.९५ लाख रुपये का सौंपा गया था। कार्य उसके तुरन्त बाद ही आरम्भ कर दिया गया था और प्रथम बैल कर्ब ३१ दिसम्बर, १९५८ को डाला गया था।

प्रस्तावित पुल में १६० फीट के ७ स्पेन तथा सिरों के २ स्पेन १११ फीट ६ इंच के होंगे। पुल को आर० सी० सी० होलो बाक्स टाइप बैलेन्स्ड केन्टीलीवर पुल के अनुसार डिजाइन किया गया है जिसमें ४ मुख्य स्पेन २५७-२५७ फीट के तथा ५ सस्पेंडेड स्पेन ६३-६३ फीट के होंगे। पुल की कुल नींव, सब स्ट्रक्चर ३ मुख्य स्पेन तथा १ सस्पेंडेड स्पेन जून, १९६१ तक पूरे हो गये थे और यह आशा थी कि पुल फरवरी, १९६२ तक पूरा हो जायगा।

[श्री धर्मसिंह]

परन्तु १४ जुलाई, १९६१ को प्रातः लगभग १० बजे इस पुल का एक मुख्य स्पेन एकाएक टूट गया और उसके साथ दो खम्भे भी जिन पर वह टिका था, क्षति-ग्रस्त हो गये। यह स्पेन जून मास में ही डाला गया था। उसकी सेंटरिंग ३ जुलाई को हटाई गई थी और उस तिथि से ११ दिन तक वह स्पेन बिल्कुल ठीक रहा था और किसी भी प्रकार की दरारें या सेंगिंग का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया था।

अधिशासी अभियन्ता और अवीक्षण अभियन्ता, जो गोरखपुर में थे तुरन्त ही मौके पर पहुंच गये और उन्होंने स्पेन के टूटने के कारणों की जांच की। उन कारणों की जांच के लिये श्री कार्तिक प्रसाद, अवीक्षण अभियन्ता (पुल) और श्री शीतलाशरण अधिशासी अभियन्ता, ब्रिज डिजाइन भी १५ जुलाई को सुबह गोरखपुर पहुंच गये थे। मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग भी उसी दिन अर्थात् १५ जुलाई को वहां पहुंचे और उन्होंने टूटे हुये खंडों की तथा उसके निर्माण से सम्बन्धित कागजों की, जो वहां पर रखे जाते थे, स्वयं जांच की। भारत सरकार के अतिरिक्त कन्सलटिंग इन्जीनियर, श्री एस० एल० बजाज को इस घटना की सूचना टेलीफून पर दे दी गई थी और उन्होंने भी अपने डिवीजनल इन्जीनियर (कन्सलटेन्ट), श्री ग्रोवर के साथ १७ जुलाई, १९६१ को पुल का निरीक्षण किया था। टूटा हुआ भाग पानी के नीचे बीस फिट से नीचे अधिक गहराई पर है। इसलिये टूटने के कारणों के बारे में अभी तक कोई धारणा निश्चित नहीं की जा सकी है। फिर भी प्राथमिक जांच से पता चला है कि जिन दो खम्भों पर वह (स्पेन) टिका हुआ था उसकी नींवें बिल्कुल सुरक्षित हैं जिससे स्पष्ट है कि घटना का कारण नींवों में किसी प्रकार की खराबी का होना नहीं है।

प्रदेशीय सरकर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग राजाज्ञा, दिनांक २४ जुलाई, १९६१ द्वारा निम्नलिखित विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की है जो इस बात का पता लगायेगी कि यह घटना किन कारणों के फलस्वरूप घटी—

(१) श्री जी० पांडेय, (सेवा निवृत चेयरमैन, रेलवे बोर्ड), उपकुलपति रुड़की, विश्वविद्यालय, रुड़की .. .. अध्यक्ष

(२) श्री एच० के० एल० सेठी, भूतपूर्व जनरल मैनेजर, मौकाम (पुल) चीफ कन्सल्टेंट नेशनल इन्डस्ट्रीज डेवलेपमेंट कार्पोरेशन, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार .. सदस्य

(३) श्री एस० एल० बजाज, एडीशनल कन्सल्टिंग इन्जीनियर (पुल), भारत सरकार, संचार तथा परिवहन मन्त्रालय परिवहन विभाग (सड़क शाखा) .. सदस्य

(४) श्री डी० जी० ग्रेवर, डिवीजनल इंजीनियर कन्सलटेंट, संचार तथा परिवहन मंत्रालय, परिवहन विभाग (सड़क शाखा) भारत सरकार, ... समिति के सचिव, संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

खंभों के निर्माण में लगाई गई इंटों तथा मसाले के नमूने रिसर्च इन्जीनियर ने ले लिये हैं और वह उन्हें सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को जांच के लिये भेज रहे हैं। इनमें लगभग २.५ लाख रुपये की क्षति का अनुमान है। पुल के पूरा होने में अब लगभग ३ मास का विलम्ब हो जायगा, फिर भी आशा है कि वह १९६२ की वर्षा के पहले ही तैयार हो जायगा।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना, लोक सभा सदस्य, ने मार्च, १९६० में सिंकिंग की अपर्याप्त गहराई के विषय में एक प्रश्न भी किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार को ज्ञात

है कि जो ठेकेदार इस पुल को बना रहे हैं उन्होंने पुल के खंभों को नदी के अन्दर वांछित गहराई तक सिंक नहीं किया है और क्या सरकार उसके बारे में शिकायतों की जांच के लिये किसी विशेषज्ञ को पुल पर भेजेगी ? उस प्रश्न के संबंध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बताया था कि बात ऐसी नहीं है, मूल डिजाइन के अनुसार सिंकिंग की वांछित गहराई लो वाटर लेविल के नीचे १०० फीट रखी गयी थी । परन्तु वास्तव में जो स्ट्रेटा मिला उसको देखते हुए उसे घटाकर ८५.९० फीट रखा गया है और इसे भारत सरकार के कन्सल्टिंग इंजीनियर (रोड डेवलपमेन्ट) ने भी स्वीकृत कर दिया है। उन्होंने यह भी लिखा था कि वहां से कुछ ही मील आगे उसी नदी पर वर्तमान पुल की नींवों की गहराई केवल ८२.५ फीट और ९० फीट के बीच ही है। वाटर वे और गहराई के प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व उनकी जांच प्रदेश के मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त भारत सरकार के कन्सल्टिंग इंजीनियर ने पूरी और अच्छी तरह कर ली थी और उनके निदेशानुसार ही कार्य किया गया था ।"

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानीय इंजीनियर-सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, मिस्टर शर्मा अब भी पुल टूटने का जो कारण बताते हैं वह या तो कुंआ बैठना हो, स्पेन टूटना हो, डिवाइन गलत होना हो और चौथा कारण हो जिस पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ज्यादा जोर देते हैं कि सेबोटेज केस है । क्या सरकार को अब इस बात का इत्मीनान हो गया है कि यह सेबोटेज केस है या नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—मुझे जहां तक इत्तिला मिली है उस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि यह सेबोटेज केस मालूम नहीं होता । फिर भी उसकी जांच करने के लिये एक कमेटी बैठी हुई है, जिसमें रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हिन्दोस्तान के प्रमुख इंजीनियर्स हैं, जो उन तमाम हालात पर विचार करके उनकी रोशनी में ही अपना कोई फैसला देगी ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या इंजीनियर के सामने ऐसी भी कोई गवाही आयी है कि जहां से स्पेन टूटा है वहां पर काफी वजन रखा हुआ था, जिसको पुल बरदाश्त नहीं कर पाया ?

श्री गिरधारीलाल—अब यह तो इसकी जांच हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के बीच में वेट रखा गया था, कुछ का कहना है कि बाहर की तरफ वेट था । यह एक अलग-अलग सी कहावत है। तो जो साहब वहां पहुंचेंगे वे भी गवाहियों के जरिये से या जिस तरीके से सबूत या शहादत मिलेगी, उसके आधार पर अपना फैसला करेंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—राप्ती का जो पुल टूट गया है उसका खम्भा नं० ३ क्रेक हो चुका है, जिसे मैं परसों ही देख कर आया हूं । तो क्या यह सही है कि सार्टिफिकेट देने के बाद ठेकेदार ने बहुत सा सामान लाद दिया था तथा ८० फीट बोरिंग करके जो पाये का कुंआ बनाया गया था उसे १०० फीट होना चाहिये था? यदि हां, तो क्या इसकी जानकारी भी वह कमेटी अपनी जांच के दौरान में करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—वैसे तो मैंने पहले ही बतलाया कि यह कमेटी तो पूरी तरह से हर दृष्टिकोण से इसको देखेगी और गहराई के सिलसिले में भी अपनी रिपोर्ट देगी कि वह कितनी होनी चाहिये । अभी मैंने जवाब में बतलाया कि उसी के पास रेलवे का एक दूसरा ब्रिज है जिसके ऊपर पेडस्ट्रियन का ही बहुत ज्यादा लोड है और उसके पाये की गहराई ८२ और ९० फीट के बीच में है । उस स्तम्भ के संबंध में जो रिपोर्ट मिली है उससे जाहिर होता है कि उसके ऊपर का स्ट्रक्चर नीचे बैठा तो उसकी वजह से वह खम्भा थोड़ा-सा हिल गया ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के संबंध में यह बात है, उन्हीं की देखरेख में दारुलशफा बना था तो उस वक्त भी उनके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज लगाया गया था और इस संबंध में उनकी बहुत कुख्याति है, उनको हटा कर ही सरकार जांच की कार्यवाही कराना चाहती है?

श्री अध्यक्ष—क्या वे कमेटी के अन्दर हैं?

श्री गौरीशंकर राय—कमेटी में वे नहीं हैं, लेकिन गोरखपुर में हैं। तो हम चाहते हैं कि जांच के वक्त वे गोरखपुर में न रहें।

इतना ही बतला दिया जाय कि क्या वे वही इंजीनियर हैं जिनके खिलाफ दारुलशफा बनते वक्त गड़बड़ी का चार्ज लगाया गया था ?

श्री गिरधारीलाल—दारुलशफा के संबंध में चार्ज लगने की बात मुझे नहीं मालूम है लेकिन आज से १० वर्ष पहले उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे और वे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद से रिवर्ट कर दिये गये थे। काफी अरसे तक वे रिवर्ट रहे, उसके बाद उनका काम सन्तोषजनक होने पर प्रमोशन वगैरह के संबंध में जो कमेटी होती है, उसने उनके नाम पर विचार किया और फिर उन्हें प्रमोशन मिला। यह ठीक है कि इस पुल पर पहले श्री के० सी० माथुर इंचार्ज थे। सन् १९५८ तक तो उन्हीं की देखरेख में वह बना। उसके बाद श्री एस० जी० वर्मा दिसम्बर, १९५८ से दिसम्बर, १९५९ तक रहे और १९५९ के बाद यानी सन्६० में श्री शर्मा ने वहां का चार्ज लिया। यह वहां की पोजीशन है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत जो ध्यान आकृष्ट करने वाला प्रश्न मैंने दिया था उसमें मूल यही लिखा हुआ है जिसका सरकार से उत्तर ही नहीं मिला कि १४ जुलाई को उपर्युक्त दुर्घटना घटित होने के समय सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तथा संबंधित अधिकारी वहां पर विराजमान थे, इसकी खुली जांच करने के संबंध में वे प्रत्येक प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का षडयन्त्र कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि जिस नियम ५२ के अन्तर्गत आप ने इसे स्वीकार किया था और जो चीज इसमें चाही गई थी उसका मुझे उत्तर नहीं मिला। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इतने प्रश्न अलाऊ करने की कृपा करें जिस से पूरी बात रोशनी में आ जाय।

श्री अध्यक्ष—आप पूछिये।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि पहले नम्बर का जो लखनऊ गोरखपुर को मिलाने वाला पुल बन रहा है और जो बस्ती की तरफ से शुरू हुआ है उसका पहले, पहले नम्बर का खम्बा बना, फिर दूसरे नम्बर का बना और फिर तीसरे नम्बर का खम्बा बना और फिर छठें नम्बर का बना, फिर पांचवें नम्बर का बना और तब चौथे नम्बर का खम्बा बाद में बना है? यदि हां, तो जो पुल टूटा है उसमें पहले चौथे नम्बर का खम्बा ध्वस्त हुआ है और वह श्री शर्मा के इन्तजाम में बना है?

श्री गिरधारीलाल—इतना डिटेल तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो खम्बा टूटा ह वह ऊपर के स्ट्रक्चर से टूटा है लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि कौन-सा कुंआ किस सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की मातहती में बना है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान इस बात की तरफ गया है कि पुल टूटने के बाद जांच-पड़ताल के दौरान में जब उसके कारणों की जांच के लिये आदमी नदी में डुबोये गये तो वे भी पता नहीं लगा सके तो मंत्री जी यह किस आधार पर कहते है कि खम्बों के कम लगाये जाने के कारण वेट पड़ने से पुल टूट गया है ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने तो जो रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद पर यह बात बताई है और उसके पीछे यह चीज है कि जितने कुयें वहां हैं वह वैसे ही वहां अपने स्थान पर हैं अगर वे नीचे बैठते तो स्तम्भ भी नीचे बैठे होते, तो जाहिर है कि नदी के कुएं तो अपने स्थान पर हैं। यह ठीक है कि अभी इस स्टेज पर मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये, कमेटी इन सब चीजों को देखने के बाद फैसला देगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि तरुण भारत आदि समाचार-पत्रों में जो समाचार निकला था उसमें कहा गया था कि गांव वालों ने यह बताया कि पुल टूटने के वक्त बड़ा भारी धड़ाका हुआ है और उसके बाद पुल टूटा है, क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात आई है कि पुल धड़ाके के बाद गिरा है या यों ही गिरा है?

श्री गिरधारीलाल—इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस रेलवे पुल को उदाहरण के स्वरूप बताया कि कम गलाया गया है जब योजना बनी थी उस वक्त भी वह था और उसके जो खम्बे थे वह कम नीचे गलाये गये थे। तो क्या यह सही है कि वह इंजीनियर भारत सरकार के जो थे वे भी उस कमेटी के मेम्बर थे?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं कि ग्रोवर वगैरह जितने हैं उन्हीं की नीति स्वीकार होती है, वह सब कमेटी में है।

श्री गेंदासिंह—जिस वक्त पुल की योजना बनी उसके पहले पुल की योजना और यह जानकारी जो है कि रेलवे पुल पहले से बना था उसके जानने के बाद योजना बनी कि ज्यादा गहरे खम्बे बनाये जायं?

श्री गिरधारीलाल—वहां रेलवे का पुल पुराना है और उससे ही यह क्लू मिला कि वहां खंभे ८२ से ९० फुट तक गहरे गलाये गये थे और स्ट्रेटा देखने पर भी ८२–८५ और ९० फुट पर स्वायल मिलती थी जहां कि कुएं टिक सकते थे वहीं तक उनको ले गये।

श्री नाराथणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि नार्दर्न कांस्ट्रक्शन कम्पनी जिसको ठेका दिया गया था उसको पुल बनाने का पर्याप्त अनुभव नहीं था? यदि हां, तो क्यों उनको ठेका दिया गया इसकी जानकारी उन्होंने की है?

श्री गिरधारीलाल—इनको अनुभव था। इससे पहले राप्ती के ऊपर जो बांसी तहसील में पुल बना है, बहुत अच्छा पुल है, वह भी इस कम्पनी ने बनाया है और यू० पी० के बाहर भी बनाए हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमें ऐसा लगता है कि हमारे नियम ५२ के मसविदे को सरकार समझ ही नहीं पाई है और अपनी तरफ से अलग ही जबाब दे रही है। हमने लिखा है कि गत १४ जुलाई, सन् ६१ को जबकि न हवा की तेजी थी, न वर्षा थी, वातावरण शांत था, करीब १० बजे पाया नं० ४, पाया नं० ३ का स्पेन टूट गया। चौथे नं० का पाया ध्वस्त हो गया और तीसरे नं० का पाया भी बीच से टूटकर खड़ा है। और सरकार उत्तर में कहती है कि चौथे नम्बर का पाया कब बना, कब नहीं बना। तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी हो पाई है कि आज जो सरकार का इंजीनियरिंग विभाग है उसमें दो भाग हो गये हैं। जो बड़े-बड़े अफसर हैं उनका प्रयत्न हो रहा है कि कुंआ ठीक बना है इस बात को साबित किया जाय क्योंकि अगर कुएं की खराबी से पुल का ध्वस्त होना साबित होता है तो उसमें बड़े-बड़े लोग फंसेंगे और अगर स्पेन के टूटने से साबित होता है तो छोटे-छोटे जो ओवरसियर होते हैं, जो उसमें लोहा, सीमेन्ट, बालू देखते हैं, वह फसेंगे। जो वहां का पन्डुब्बा था वह वाराणसी .....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंजीनियरिंग विभाग में दो भाग हो गए हैं और जो वहां के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और दूसरे इंजीनियर हैं वह इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कुएं की खराबी न साबित होने दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि जब नार्दर्न कंट्रक्शन कम्पनी को यह ठेका दिया गया तो कंट्रेक्ट यह हुआ कि १२५ फीट वह कुएं धंसाए जायेंगे मगर यह कुएं केवल ८५ और ९० फीट ही धंसाए गए, तो यह किस आधार पर बदला गया ?

श्री अध्यक्ष—पहले आप यह पूछें कि कंट्रेक्ट में १२५ फीट था या नहीं।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि उस कंट्रेक्ट में यह था कि १२५ फीट गलाए जाएंगे ?

श्री गिरधारीलाल—वास्तव में होता यह है कि जहां पुल बनाना होता है इंजीनियर्स वहां का स्ट्रेटा वगैरह देखते हैं ताकि ठेके के लिये बतला सकें। तो इसमें १०० फीट गहराई की बात थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि १००फीट तक ही पेमेन्ट होगा। जितनी गहराई तक पुल गलाया गया है .....

श्री अध्यक्ष—वह यह पूछते हैं कि कंट्रेक्ट में यह था कि १२५ फीट नीचे गलाया जाएगा ?

श्री गिरधारीलाल—१२५ फीट नहीं था, १०० फीट था।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब १०० फीट तक की बात थी तो ८५ फीट किसके आदेश से गलाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—जिस वक्त नीचे से खोद कर देखा तो कहीं ८२ फीट पर, कहीं ८५ फीट पर उसका स्ट्रेटा मिलता है। मने यह भी कहा कि रेलवे ब्रिज उसके नजदीक ही था, उसमें भी ८२ फीट और ९० फीट के बीच में .....

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस की बात है। वह यह पूछते हैं कि किसके आर्डर से १०० फीट से ८५ फीट कर दिया ?

श्री गिरधारीलाल—गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो कंसल्टेंट इंजीनियर्स थे और जो उनके सहायक थे उनकी हिदायत से यह सब कुछ किया गया।

श्री राजनारायण—क्या शर्मा जी का बनारस के मीरघाट में कोई मकान भी बन रहा है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री उग्रसेन—ट्यूबवेल की जो बोरिंग होती है, उसमें अगर स्ट्रेटा ठोस मिलता है तो उसको तोड़ा जाता है, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इसकी जांच के लिये एक कमेटी बैठेगी और जो प्रश्न आपने पूछे हैं इसके मतलब यह होते हैं कि जब वह कमेटी बैठी हुई है तो जो दृष्टिकोण से आप यह प्रश्न पूछते हैं वह दृष्टिकोण कमेटी के सामने रहेगा, क्योंकि यहां की कार्यवाही उसके सामने रहेगी, और जिस तरफ आपने इशारा किया है उसकी भी कमेटी जांच करेगी।

श्री राजनारायण—विधान सभा के जो सदस्य इस सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं उनको भी कमेटी गवाही के लिये बुलाये क्या ऐसी व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर मंत्री जी दे सकते हैं। यदि कोई यहां के सदस्य कमेटी के सामने गवाही देना चाहें तो क्या वे इजाजत देंगे ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो कमेटी तय करेगी.....

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह की हिदायत कमेटी को देंगे ? माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें क्या वे इस तरह की हिदायत कमेटी को देंगे कि ऐसे सदस्यों की वह गवाही ले लें ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जरूर ।

श्री राजनारायण—मैं तैयार हूं, मुझे पहले से सूचना मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर भेंजे, यहां बहस न करें।

श्री केशव पांडेय—जिन सदस्यों ने पुल टूटते हुए नहीं देखा वह क्या गवाही देंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप बहस न करें।

नियम ५२ के अन्तर्गत गन्ना मिल-मालिकों पर किसानों के बकाया रुपये की वसूलयाबी के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्री ८ करोड़ रु० से अधिक किसानों के बकाये की वसूलयाबी के संबंध में माननीय रामस्वरूप वर्मा द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये प्रश्न पर वक्तव्य देंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

व्यवस्था यह है कि जो अभी मुख्य मंत्री वक्तव्य देने जा रहे हैं वह वक्तव्य अभी सदन में दिया नहीं, मगर इसकी प्रिन्टेड कापी छाप कर हमको बांट दी गई । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कापी इनके बयान के पूर्व प्रेस को भी चली गई है?

श्री अध्यक्ष—प्रेस को नहीं गई.....

श्री राजनारायण—गयी है ।

श्री अध्यक्ष—गयी हो तो मुझे पता नहीं ।

श्री राजनारायण—आप इसकी जांच करा लें ।

श्री अध्यक्ष—आप के पिजन होल्स में रख दी गई है इसलिये कि वक्तव्य मुख्य मंत्री आज देने वाले थे वह आपके सामने रहे। जो लोग वहां नहीं गये वह नहीं लाये ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—मेरे पिजन होल में नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं फिर से बटवा दें ? लेकिन आप वक्तव्य तो सुन लें ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—श्री रामस्वरूप वर्मा और श्री उग्रसेन द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्ताव (Calling attention motion) के सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर १९६०–६१ सीजन का किसानों के गन्ने के मूल्य का ६०.२५ करोड़ रुपया वाजिब हुआ और इसमें से मिलों द्वारा ५४.५४ करोड़ रुपया ३० जून, १९६१ तक भुगतान किया जा चुका है। केवल ५.७०

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

करोड़ रुपया बकाया रह गया है न कि रु० ८ करोड़। कुल देय धनराशि के साथ जो शेष का प्रतिशत निकलता है वह लगभग ९.४७ प्रतिशत है।

सामान्यतया चीनी मिलें चीनी के अत्यधिक उत्पादन और उनके पास चीनी का बहुत बड़ा स्टाक जमा हो जाने से सम्पूर्ण देय धनराशि (dues) का भुगतान यथासमय नहीं कर सकी हैं, इसलिये भी कि चीनी मिलों को बैंक से पर्याप्त एडवांस भी नहीं मिला है। कानूनन गन्ने का मूल्य मिलों को गन्ना पहुंचा देने पर किसानों को देय हो जाता है और एक पखवारे के बाद मिलें उस पर ७ १/२ प्रतिशत की दर से ब्याज की देनदार हो जाती हैं। गन्ने का बकाया मूल्य मालगुजारी के बकाया के रूप में भी वसूल किया जा सकता है और गन्ना आयुक्त ने अब तक लगभग ५१ चीनी मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिये हैं। आशा की जाती है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप और चीनी को बिक्री व निर्यात के साथ-साथ गन्ने की बकाया रकम शीघ्र वसूल हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ये रिकवरी सर्टिफिकेट्स किस वक्त जारी किये गये और जिन किसानों का बकाया है उनको साढ़े ७ प्रतिशत से ब्याज दिया गया है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी देने का तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। शकर की जो स्थिति है कदाचित् इस सदन के सभी सदस्य उससे भली भांति परिचित हैं। इस साल शकर बहुत अधिक बन गयी है। उसका निर्यात नहीं हो सका है। दक्खिन में भी वहां की मिलों के द्वारा जितनी उनकी आवश्यकता है उसके अनुपात में शकर पैदा हो गयी है। तो यह उत्तर की चीनी जो दक्खिन में जाया करती थी उसको वहां भी भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। चीनी अब विदेशों में ही बेची जा सकती है। केन्द्रीय सरकार इसके लिये प्रबन्ध कर रही है। जब तक चीनी का सारा स्टाक या उतनी मात्रा में जितनी अधिक बन गयी है निकल न जाय तब तक सरकार अभी वह व्यवस्था करने में असमर्थ है जिससे मिलों द्वारा प्रत्येक क़े गन्ने की कीमत दिला सके क्योंकि जैसा इस वक्तव्य में बताया गया है, बैंक भी अब मिलों को उस धनराशि से अधिक, जो उनके लिये निर्धारित है, गन्ने की कीमत को अदा करने के लिये देने के लिये उद्यत नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि रिकवरी के सर्टिफिकेट्स कब जारी किये गये हैं और जिन किसानों का रुपया बाकी था वह अदा किया गया है या अभी अदा किया जाने को है उस पर साढ़े ७ प्रतिशत की दर से सूद दिया जायगा या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो जब देय होगा, कायदे से तो लिया ही जा सकता है लेकिन अभी हमने जो कायदा है उसके मुताबिक आदेश नहीं किये हैं। जब मिलों के पास देने के लिये रुपया होगा और जब देने का प्रश्न उठेगा तो उस समय साढ़े ७ प्रतिशत ब्याज देने के प्रश्न पर भी केन कमिश्नर मिलों से कहेंगे कि वह उन्हें देना है और उसे दें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उनका प्रश्न यह है कि अभी कोई ५ करोड़ रुपया रह गया है और जो वसूल हुआ है वह भी कोई वक्त के अन्दर वसूल नहीं हुआ है और १५ रोज के बाद साढ़े ७ फीसदी ब्याज लग जाता है। तो जितना आपने वसूल कर लिया है वह जो किसानों को दिया जायगा वह साढ़े ७ फीसदी ब्याज के साथ दिया जायगा या बगैर ब्याज के दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी वसूल कहां हुआ ?

श्री अध्यक्ष—आपने यह कहा है कि ६०.२५ करोड़ रुपया वाजिब हुआ जिसमें से ५४.५४ करोड़ रुपया ३० जून तक भुगतान किया जा चुका है। तो जो यह भुगतान किया जा चुका है यह मय ब्याज के भुगतान हुआ है या बगैर ब्याज के, यह वह जानना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ब्याज के भुगतान का सवाल उठता ही नहीं क्योंकि वह जब गन्ना लेते हैं, कायदे से उसकी कीमत उनको उसी समय के अन्दर मिलती है।

श्री अध्यक्ष—यानी यह भुगतान कायदे के मुताबिक समय के अन्दर हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मैं नहीं कह सकता हूं कि जितना भुगतान हुआ है वह १५ दिन के अन्दर ही हो गया है या कुछ उसके बाद हुआ है, लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि जो नियम है वह तो यह है कि यदि १५ दिन के अन्दर भुगतान नहीं होता है तो साढ़े ७ फीसदी ब्याज उस देने वाली रकम के ऊपर मिल को देना पड़ता है।

श्री राजनारायण—प्रश्न यह है कि मान लीजिये ५४.५४ करोड़ रुपया जो ३० जून तक दिया जा चुका है सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि उसमें सूद की रकम शामिल है या नहीं। मगर क्या सरकार आज यह स्पष्ट कर रही है कि ५.७० करोड़ रुपया जो किसानों को देना अभी बाकी है इस रुपये पर जो रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी किये गये हैं वह सूद की रकम शामिल करके जारी किये गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिकवरी सर्टिफिकेट असल रकम के लिये इश्यू किये जाते हैं और असल रकम जब आती है तो कायदे के अनुसार किसान साढ़े सात फीसदी और ज्यादा रुपया मांग सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जो ५४ करोड़ ५४ लाख रुपया वसूल हो चुका है तो उसमें कितना रुपया ब्याज का शामिल है और यदि उसमें ब्याज का रुपया शामिल नहीं है तो क्या वह केन कमिश्नर को आदेश देंगे कि जिन मिलों ने १५ दिन के बाद रुपया दिया है उनसे उतने रुपये का ब्याज भी लिया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय यह सवाल सरकार उठाने वाली नहीं है, इसलिये कि जो हालात आज गन्ने की कीमत की अदायगी के सिलसिले में हैं—सरकार ने चेष्टा की है कि बैंक मिलों को अधिक रुपया दे दे जिस से किसानों का गन्ने का रुपया अदा हो जाय—उसमें सरकार को सफलता नहीं मिली है क्योंकि रिजर्व बैंक ने इजाजत नहीं दी। तो मैं ऐसी सूचना देने में असमर्थ हूं कि साढ़े सात फीसदी ब्याज का रुपया भी वसूल हुआ होगा। जो दिक्कतें थीं उनसे मैं अनुमान लगाता हूं, क्योंकि मुझे सही स्थिति मालूम नहीं है, कि केन कमिश्नर ने ब्याज का रुपया वसूल किया होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५१ मिलों के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट कब ईश्यू हुये और कितना रुपया वसूल हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—३० जून तक का मैंने बता दिया कि इतना रुपया वसूल हुआ है और इसके पूर्व यह सर्टिफिकेट्स ईश्यू हुये होंगे और किस-किस तारीख में इश्यू हुये, इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५ करोड़ से अधिक गन्ने की कीमत का जो रुपया बाकी है उसमें खाली मुजफ्फरनगर में करीब एक करोड़ के रुपया बाकी है। इसका क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कारण यह हो सकता है कि मिलों को बैंक से रुपया नहीं मिला है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रिकवरी सर्टिफिकेट्स के जारी करने के बावजूद और किसानों की प्रार्थना के बावजूद मुजफ्फरनगर और शामली वगैरह के मिल मालिक किसानों को गन्ना का रुपया नहीं दे रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि मिलों के सामने गन्ने की कीमत अदा करने में काफी दिक्कतें हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब बैंक से उनको रुपया नहीं मिलता है और शकर निकल नहीं रही है तो कहां से रुपया अदा कर दें। यह सवाल जानते हुये किया जाता है कि गन्ने की कीमत की अदायगी में ऐसी दिक्कतें हैं कि वे आसानी से हल नहीं की जा सकती हैं। हमारी केन्द्रीय सरकार भी इस प्रयास में लगी है कि यह शकर बेची जा सके। इसीलिये केन्द्रीय सरकार ने अपने मंत्री को विदेशों में भेजा था। लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं बन पाई है कि जितनी मात्रा में शकर भेजी जाय उतनी मात्रा में जो समझौता विदेशों से हुआ है, उसके अनुसार भेजी जा सके।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय मंत्री जी ने बताया कि सर्टिफिकेट जो जारी किये गये हैं, उनमें केवल असल रकम रखी गयी है, सूद नहीं रखा गया है जब कि नियम यह है कि सर्टिफिकेट सूद और असल दोनों जोड़ कर जारी किया जाना चाहिए, तो क्या कारण है कि खाली असल के लिए सर्टिफिकेट जारी किये गये, सूद के लिए नहीं जारी किये गये ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—बात यह है कि सूद का नियम यह है कि इतने दिनों के अन्दर पेमेंट न हो तो इतने फीसदी सूद दें। लेकिन जब तक आखिरी तारीख तक पेमेंट न हो, तब तक कितना सूद लगाया जाय, यह कैसे पता चले ? इसलिए मूल पर लगा दिया गया होगा। जब पेमेंट का सवाल आयेगा तो सूद भी देखा जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—चीनी उद्योग के इतिहास में अगस्त में ६ करोड़ रुपया शायद कभी बाकी नहीं रहा और यह भी है कि यह वर्ष चीनी उद्योगपतियों के लिए इस इतिहास में सबसे अधिक मुनाफे का भी होगा क्योंकि चीनी की कंट्रोल्ड प्राइस है, उससे कम में मिलने वाली है नहीं। ऐसी हालत में जैसा कि मैंने पहले भी सुझाव दिया था, सरकार मिल मालिकों को कर्जा स्वतः दिलाने की व्यवस्था करे और लाखों किसानों की कीमत दिला दी जाय, यह व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आपने एक दफा ऐसा सुझाव मुझे दिया था कि सरकार स्वतः कर्जा ले और सूद दे। फायदा किसान और मिल मालिक उठायेंगे और कर्जा सारे जनरल रेवेन्युज पर पड़े, यह बात समझ में नहीं आती।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि कुछ अर्सा पहले उत्तरप्रदेश की प्रमुख मिल, हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला गोकरणनाथ, इस बात के लिए मुन्तजिर थी कि जब यह सरकार रिकवरी सर्टिफिकेट दे तो वह बांटे और अब रिकवरी सर्टिफिकेट देने के बाद भी वह बिल्कुल खामोश बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष—एक-एक मिल का कैसे बता देंगे ?

श्री सुरथबहादुरशाह—मैंने उस मिल का उदाहरण दिया है जो कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी मिल है। पहले उनका कहना था कि सरकार से रिकवरी सर्टिफिकेट न मिलने के कारण वह नहीं दे रहे हैं। अब उनका कहना है कि चीनी नहीं जा रही है। एलेक्शन के चन्दे के लिए पैसा है, किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, रिकवरी सर्टिफिकेट देने के बाद किसानों को पैसा न मिलने का क्या कारण है ?

(श्री अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं बुलाया।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी ने कहा कि ५१ मिलों के रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये और कानून यह है कि रिकवरी सर्टिफिकेट के बाद, मालगुजारी की तरह से वसूल हो, जरिये कुर्की और वारन्ट, तो क्या किसी मिल मालिक पर कुर्की या वारंट किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुर्की और वारंट निकलने की जानकारी मेरे पास नहीं है। जिन अधिकारियों ने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये हैं उन्हें बहुत दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से काम करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि केवल मिल-मालिकों को पकड़ लेने से या मिल की कुर्की कर देने से धन नहीं आ जायगा। खरीदारी तो उस चीनी की खुलनी चाहिए।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने चीनी के अधिक स्टाक की चर्चा की है, इस बात को देखते हुए कि चीनी का स्टाक ज्यादा है, प्रान्तीय सरकार और मुख्य मंत्री जी ने इस चीनी के स्टाक की खपत के लिए कौन से कदम उठाये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार स्वतः इस चीनी को विदेश को तो भेज सकती नहीं। केन्द्रीय सरकार ही इस प्रकार की व्यवस्था की कोशिश करती है कि यह चीनी विदेश को भेजी जाय। उस संबंध में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय से, उसके प्रधान मंत्री से, उसके डिप्टी मिनिस्टर से, प्रदेशीय सरकार का बराबर वार्तालाप रहा है और उसी विचार विनिमय के फलस्वरूप वे बाहर गये और विदेशों में जाकर उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि हमारे प्रदेश की चीनी विदेशों में खरीदी जाय और यहां का स्टाक घटाया जाय। वह प्रयास आज भी जारी है।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१

श्री अध्यक्ष—अब स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ पर विचार करने का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ [The U. P. Local Bodies (Appointment of Administrator) Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, क्या तीन दिन हो गए?

श्री अध्यक्ष—अगर तीन रोज नहीं भी हुए हों तो मैंने विशेष इजाजत दे दी है इसके लिए और कार्यमंत्रणा समिति ने भी आज का दिन इसके लिए मुकर्रर किया है। कल इसकी सूचना भी मैंने दे दी थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—वह आप बाद में कहिएगा। पहले उन्हें बोल लेने दीजिए।

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बहुत छोटा सा बिल है और इसकी जरूरत यों पड़ी कि गाजियाबाद एक हमारा टाउन है जिसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज वहां बढ़ रही हैं। वहां पर जो म्युनिसिपैलिटी थी उस म्युनिसिपैलिटी को सस्पेंड करके वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। इसी उद्देश्य से कि टाउन का डेवलपमेंट बेढंगे तरीके से न हो बल्कि एक प्लान्ड तरीके से कस्बे का डेवलपमेंट हो। तो अभी जो ऐडमिनिस्ट्रेटर वहां हैं वह म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत हैं। जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में काम होता है उसके लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में कोई ऐसा प्राविजन नहीं है कि जिसके मातहत कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर वहां बनाया जाय और आशा यह की जाती है कि इस दस-पांच साल में गाजियाबाद एक बहुत बड़ा टाउन हो जायगा क्योंकि यह दिल्ली के बहुत नजदीक है और यहां कार्पोरेशन बनाने की आवश्यकता इसलिये होगी। यह विधेयक लाया गया कि वहां एक ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट किया जाय जो इम्प्रूवमेंट

---

* १ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

ट्रस्ट के मातहत जो काम होना चाहिए और म्युनिसेपैलिटीज के मातहत जो काम होता है उन दोनों कामों को देखे। इसलिए यह एक जरूरी चीज है, एक जरूरी बिल है और एक छोटा सा बिल है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर जल्दी विचार हो जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कार्य-मंत्रणा समिति में विचार होता है और बिल कहीं मिल नहीं पाया किसी सचेतक को, तो वह समय के बारे में कैसे सलाह दे सकते हैं कि इस पर कितने समय की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें तो एक मौलिक सवाल है कि प्रजातांत्रिक ढंग से काम हो या ऐडमिनिस्ट्रेटर के जरिये से काम हो और इसके लिए केवल एक घंटा समय रखा गया....

श्री अध्यक्ष—कमेटी के सामने यह बिल था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—हमारे सचेतक कह रहे हैं कि नहीं था। फिर अगर सचेतक के सामने आ जाय तो सचेतक तो पार्टी लीडर से सलाह लेते हैं। इसलिए अब आप इस पर कोई व्यवस्था ऐसी करें कि जब तक पार्टी लीडर को बिल न मिल जाय या बिल उपस्थित न हो जाय, तब तक कार्य-मंत्रणा समिति उसके ऊपर विचार न करे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—कमेटी बैठी तो उसके सामने वह बिल नहीं आया था और मैंने वहां कहा भी था शान्तिप्रपन्न शर्मा जी से....

श्री अध्यक्ष—बिल कमेटी के सामने था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—तो श्रीमन्, इस पर आपकी व्यवस्था क्या हुई ? भविष्य में तो एसा न होगा ?

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई व्यवस्था मैं पहले से नहीं दे सकता हूं। इस वक्त इसका कोई प्रश्न उठता नहीं।

अब श्री मोतीलाल अवस्थी अपना प्रस्ताव उपस्थित करें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं अपना एतराज उपस्थित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल के लिये इतना कम समय दिया गया है कि उस पर पूरी तरह से विचार होना सम्भव नहीं है। साथ ही यह १ घंटे में किस तरह से पास हो सकेगा जब कि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे सामने जो यह विधेयक मंत्री महोदय ने रखा है मैं इसके विषय में बतलाऊं.....

श्री अध्यक्ष—पहले आप अपना संशोधन उपस्थित कर दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्रस्ताव यह है कि "यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ [The U. P. Local Bodies (Appointment of Administrator) Bill, 1961] को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे। यह समिति अपना प्रतिवेदन एक हफ्ते में प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि को भी बढ़ाने की शक्ति होगी।"

श्रीमन्, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बतलाया कि यह छोटा सा विधेयक है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरी तो आपके द्वारा सदन से एक अपील है कि इस छोटे कहे जाने वाले विधेयक में एक मौलिक बात निहित है। अगर हम उस मौलिक बात को नजरन्दाज करेंगे तो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त पर चलने वाली स्वायत्त शासन संस्थाओं के साथ बड़ा अहित करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे सामने उद्देश्य और कारणों में बतलाया गया है कि २३ नवम्बर, १९५९ को गाजियाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अवक्रान्त किये जाने के बाद से गाजियाबाद नगर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के नागरिक कार्यों की देखरेख प्रशासक द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद क्षेत्र के लिये एक प्रशासक वहां पर पहले से मुकर्रर है और पहले से वह देखरेख कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक डेवलपमेंट बोर्ड भी वहां पर मुकर्रर है जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट के मुताबिक काम कर रहा है। अब यह सरकार वहां एक नई योजना ला रही है जिससे एक कामन एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जा सके जिसके हाथ में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम और म्युनिसिपल बोर्ड का काम निहित कर दिया जाय।

मैं इस सदन का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जितने भी स्वायत्त शासन के कार्य १८८५ से होते चले आ रहेहैं और बाद को जो कार्य स्थानीय निकायों में हुए हैं वह स्वायत्त संस्थाओं में जन प्रतिनिधि बहुत योग्यता के साथ कर रहेहैं। कभी-कभी यह सरकार प्रतिक्रियावादी होकर पीछे कदम उठाना चाहती है। जैसा कि इस विषय के सम्बन्ध में कहा जा रहा है कि गाजियाबाद की उन्नति हुई, तेजी के साथ हो रही है और वह भी वहां के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही हो रही है। तो यह मुझे सुनकर ताज्जुब होता है। क्या हमारे यहां गैर सरकारी सदस्य, जो बड़े-बड़े निकायों का कार्य कर रहे हैं, वे इस उन्नति का कार्य नहीं कर सकते हैं? अभी पिछले दिनों हमारे सूबे में पांच महानगरियों की स्थापना हुई है जहां पर उन नगर महापालिकाओं में उचित रीति से प्रबन्ध चल रहा है। क्या गाजियाबाद में नगरपालिका द्वारा उन्नति का कार्य नहीं हो पायेगा? हम तो यह समझते हैं कि गाजियाबाद में एक नगरमहापालिका बनाने की जरूरत है जैसी कि सरकार ने पांच नगरों में बनाई हैं, ताकि वहां के कार्य सुगमता से गैर सरकारी सदस्यों के हाथ से चल सके अगर गाजियाबाद के लिये एक विधेयक हमारे सामने सरकार ले आये और वहां के लिये एक नगर महापालिका बना द तो इसमें क्या दिक्कत है?

श्रीमन, इसके साथ ही मुझे यह भी आशंका है कि इन पांच महापालिकाओं में, जिनको कवाल टाउन्स कहते हैं, इनमें पहले एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में वहां का प्रबन्ध था। जब वहां पर उसके हाथ में शासन दिया गया तो कहा गया था कि चन्द दिनों के लिये उसके हाथ म शासन रहेगा लेकिन उसका प्रबन्ध ४, ५ साल तक चलता रहा और उसके बाद सरकार ने उनसे प्रबन्ध लेकर ए क कानून पास करके निकाय के आधार पर महापालिका की स्थापना की। गाजियाबाद के लिये जो यह प्रशासन मुकर्रर करन की बात कही जाती है क्या यह थोड़े दिनों के लिये होगा? मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि यह सरकार उस एडमिनिस्ट्रेटर की अवधि अपनी सहूलियत के अनुसार बढ़ाती चली जायगी और वह अवधि ४, ६ साल तक बढ़ाती चली जायगी। तो मैं यह कहूंगा कि हमारे प्रजातान्त्रिक तरीके पर यह एक आघात है और सरकार चाहती है कि अपने प्रशासकों द्वारा ही उन सारे कार्यों को वह कराये।

अगर हम इस विधेयक के अन्दरूनी हिस्से में जा कर देखें तो पायेंगे कि प्रशासक को सभी प्रकार के अधिकार रहेंगे और प्रेसीडेंट, चेयरमैन आदि के जो अधिकार होते हैं वह प्रशासक के अधिकार हो जायंगे। एक प्रकार से यह प्रशासक निरंकुश शासन हो जायगा और इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध बना सकती है, जिसके अन्तर्गत उक्त ऐक्टों के किन्हीं भी उपबन्धों को निलम्बित करने के उपबन्ध भी हैं, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों। इसके खंड ३ के (३) का (क), (ख) और (ग) यदि पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि सरकार गाजियाबाद का स्वायत्त शासन एक निरंकुश रूप में करना चाहती है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों की राय लेने का कहीं भी सवाल पैदा नहीं होता। प्रजातन्त्र के युग में यह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने की ओर एक कदम होगा।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

गाजियाबाद का प्रबन्ध हम वहां के नागरिकों और अनुभवी व्यक्तियों की कमेटियों द्वारा ही कराना चाहेंगे और पता नहीं सरकार यह बात क्यों समझ नहीं पा रही है। आज इस विधेयक में जो धारायें हैं उन से न सिर्फ ऐडमिनिस्ट्रेटर ही उन पर लदेगा बल्कि सम्बद्ध स्थानीय निधि में से प्रशासक के वेतन तथा भत्तों का भुगतान भी किया जायगा और यह भी संभव है कि दोनों स्थानीय निकायों के लिये एक ही प्रशासक नियुक्त किया जाय। मैं, श्रीमन् का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसमें एक ही बात दो प्रकार से कही गयी है। आप देखें कि खंड ३ के (ख) के प्रतिबन्ध में कहा गया है कि 'प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार दोनों ही स्थानीय निकायों के लिये एक ही व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकती है और उपखंड (३) के (ग) में कहा गया है कि यदि एक ही व्यक्ति दोनों स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक नियुक्त किया गया हो, तो ऐसे किसी स्थानीय निकाय के अधीन, निर्दिष्ट किये जाने वाले पदों की पूर्ति नहीं की जायगी, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों का सम्बद्ध स्थानीय निधि में से भुगतान किया जायगा।

एक सदस्य—कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—एक से दो बजे के बीच कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता यह कंवेंशन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उसका अर्थ यह होता है कि हर हालत में सरकार वहां एक प्रशासक नियुक्त करके वहां का सारा स्वायत्त शासन का काम उसी के द्वारा चलाना चाहती है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि गाजियाबाद की तरक्की जो हो रही है यह प्रदेश की तरक्की का लक्षण है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें स्वायत्त शासन के अन्य अंगों की ओर और उन साधनों की ओर भी ध्यान देना चाहिये, जिनके द्वारा हम यह कार्य करना चाहते हैं। यह कार्य उन्हीं लोगों द्वारा कराया जाना चाहिये कि जो वहां के निवासी हैं, उन्हीं के नियंत्रण में यह कार्य होना चाहिये क्योंकि उनका हित उसमें निहित है। अगर हम यह नहीं करते तो उचित न होगा। हम यह कैसे कह सकते हैं कि वहां के निवासी अपना हित न देखेंगे बल्कि एक आई० ए० एस० अफसर उनके हितों का ज्यादा ध्यान रखेगा। आज यह सरकार आई० ए० एस० आफिसरों पर ही अपना भरोसा रखती है, किन्तु हम उसको मानने के लिये कतई तैयार नहीं हैं। आज जहां-जहां नगर महापालिकायें बनी हैं वहां भी हम देखते हैं कि एक तरह से डुअल सिस्टम से कार्य हो रहा है और जो वहां के सरकारी अधिकारी हैं वही सर्वोच्च अधिकारी बने बैठे हैं। वहां जनता के प्रतिनिधियों की राय कुछ होती है और वहां के अधिकारियों की राय कुछ और होती है और इस तरह से वहां पर एक संघर्ष सा मचा रहता है।

श्रीमन्, आज हमें यह बताया जा रहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेटरों के द्वारा हम वहां पर एक नयी उन्नति करने जा रहे हैं, किन्तु मुझे इसमें शंका होती है। मैंने इस बिल की सारी दफाओं को पढ़ा और देखा। उसमें इन ऐडमिनिस्ट्रेटरों को सलाह देने के लिये कोई ऐडवाइजरी कमेटी तक नहीं रखी गयी है। उसका कहीं इसमें जिक्र नहीं है। मेरा यह निश्चित मत है कि इन ऐडमिनिस्ट्रेटरों द्वारा शासन कभी अच्छा नहीं हो सकता और गाजियाबाद शहर की उन्नति नहीं हो सकती। जो आज हमारे आई० ए० एस० आफिसरों में खामियां हैं हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। वे किस तरह का पक्षपात करते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन सब बातों को देखते हुए हम इस विधेयक को उन्नतिशील विधेयक नहीं कह सकते। यह तो एक प्रतिक्रियावादी विधेयक है और इससे गाजियाबाद का कोई हित होने वाला नहीं है।

माननीय तेजासिंह जी इस समय यहां नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति इस समय खल रही है वे होते तो वहां की स्थिति को बताते। लेकिन वे भी शासक दल में होने के कारण चूंकि मजबूर हैं, इसलिये यहां इस समय नहीं हैं।

एक घंटे के अन्दर इस विधेयक को पारित करने की बात कही गयी है। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर तो काफी विचार करने की जरूरत थी और उसके बाद ही इसे पारित होना चाहिये था। इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके, इसी ख्याल से हमने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था। अगर यह प्रवर समिति में जायेगा तो वहां इस बिल पर अच्छी तरह से विचार हो सकेगा, और गाजियाबाद की उन्नति के लिये एक उन्नति विधेयक बना सकेंगे। हमारा जो पिछला अनुभव है वह हमें बताता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटरों द्वारा शासन कभी अच्छा नहीं रहा है। अगर जल्दबाजी में हमने इस थोड़े से समय में इस विधेयक को पास कर दिया तो निश्चय ही गाजियाबाद के निवासियों के साथ अन्याय होगा। वहां की उन्नति तो वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही हो सकती है। यह भी हम जानते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ टेक्निकल विषयों की जानकारी नहीं होती, लेकिन उसके लिये तो इंजीनियर्स रहते हैं, एक्जीक्यूटिव आफिसर्स रहते हैं, वे सभी उनको सलाह देते हैं। यही लोग ऐडमिनिस्ट्रेटर को भी सलाह देते हैं। तो क्या वजह है कि वहां एडमिनिस्ट्रेटर को रखा जा रहा है। इसलिये यह एक मूलभूत प्रश्न है और सरकार को इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। सरकार की बात सुनने के बाद फिर मैं अपना उत्तर दूंगा।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दलों के बार-बार आवाज उठाने से आज करीब २ साल के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि गाजियाबाद का नियोजित ढंग से विकास किया जाय। जहां तक नियोजित ढंग से विकास करने का प्रश्न है इस सदन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसका स्वागत न करे। लेकिन प्रश्न यह है कि नियोजित ढंग से विकास होता कैसे है? इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है कि गाजियाबाद नगरपालिका और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में समन्वय लाने के लिये आवश्यक है कि एक प्रशासक की वहां पर नियुक्ति की जाय। इसके लिये हमें देखना होगा कि क्या कभी किसी स्थान पर म्युनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक साथ काम किया है।

मान्यवर, जो १९१९ में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऐक्ट बना था उसकी धारा ४ मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि जिस समय यह ऐक्ट बना उस समय भी यह प्रश्न उठा था कि इन दोनों का समन्वय कैसे किया जाय और यह धारा ४ उसी को बताती है :—मेरे पास अंग्रेजी की प्रति है और मैं समझता हूं कि माननीय अवस्थी जी जैसे विद्वान इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसलिये आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में ही उसे पढ़ना चाहता हूं :—

"4(1) The Trust shall consist of the following Trustees, namely—

(*a*) a Chairman ;

(*b*) the Chairman of Municipal Board ;

(*c*) two other members of the Municipal Board ;

(*d*) seven other persons, etc. etc."

मान्यवर, इसमें साफ लिखा है कि इसमें म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन और २ सदस्य होंगे, बाकी लोग जो ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे वह भी रहेंगे और अगर म्युनिसिपल बोर्ड के दो मेम्बर असफल रहते हैं तो सरकार उसी म्युनिसिपल बोर्ड के दूसरे २ मेम्बरों को मनोनीत कर सकती है। अब इसके रहते हुए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह बहाना कि चूंकि नगरपालिका और ट्रस्ट का समन्वय नहीं कर पा रहे हैं इसलिये ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करना चाहता हूं, कुछ उचित नहीं है। आखिर हमें प्रशासकों का भी तो तजुर्बा है। प्रशासक इस प्रदेश में पहले नियुक्त हो चुके हैं। इस शहर में जहां हम सब बैठे हुए हैं यहां का ही उदाहरण लिया जाय। अब लखनऊ नगरपालिका सुपरसीड की गई उस समय इस पर ४० लाख रुपये का कर्जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

था लेकिन उसके बाद जब यह महापालिका के रूप में बनी, इस बीच में जब ऐडमिनिस्ट्रेटर का राज्य वहां था, यह कर्जा २ करोड़ हो गया। यह उदाहरण है कि जब तक नान-आफिशियल कमेटी वहां का काम चलाती थी तब तक ४० लाख का कर्जा था और जिसके लिये सरकार यहां पर कहती रहती है कि जब तक प्रशासक रहे तब तक उन्होंने इतना बढ़िया काम किया जितना नान-आफिशियल नहीं कर सके, उनके समय में यह हालत हुई। यह दो प्रतिवाद हैं। एक ओर तो कांग्रेस गवर्नमेंट हम लोगों के कहने पर डिमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का नारा देती है कि जनता के हाथों सारी चीजें चलायी जायं और दूसरी ओर मंत्री जी यह कहते हैं कि जब तक प्रशासक का शासन रहा, न केवल यह कि काम बहुत अच्छी तरह से चलता रहा बल्कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया जितना कि नान-आफिशियल्स की कमेटीज ने नहीं किया। यह तो उसी तरह से है जैसे कि कांग्रस का राज्य उत्तर प्रदेश में और आल इंडिया लेविल पर भी है, फिर जब कांग्रेस नगरपालिका में बहुमत में रहती है उनकी नगरपालिका रहती है तब तो काम बहुत बढ़िया चलता है लेकिन दुसरों के हाथ में गयी नहीं कि काम गलत होने लगता है।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की पीलीभीत में जब तक नगरपालिका रही तब तक ग्रांट्स में अड़ंगे पर अड़ंगे लगते रहे। अब जब खुद की नगरपालिका हो गई तो मंत्री लोग वहां जाकर दावतें खाते हैं। उनको अभिनन्दन-पत्र मिलते हैं इसलिये उनको वहां की गन्दी नालियां भी नहीं दिखाई पड़तीं। विषयान्तर भले ही हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे गन्दी नगरपालिका कोई है तो वह पीलीभीत ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि लखनऊ नगरपालिका का कितना विकास प्रशासक ने किया है। यह इतिहास रहा है कि लखनऊ और इलाबाद नगरपालिकाओं में जो कुछ विकास हुआ है वह नान-आफिशियल्स की कमेटी ने ही किया है।

१९१९ के ऐक्ट में व्यवस्था थी कि एक नान-आफिशियल कमेटी होगी और ३ साल तक आफिशियल चेयरमैन होगा।

मान्यवर, यह बहुत छोटा विधेयक जरूर है लेकिन है बहुत खोटा। इसमें यह कहीं नहीं है कि प्रशासन कितने साल के लिये होगा। मंत्री जी की नियत और मकसद बहुत अच्छे हैं लेकिन गाजियाबाद के विकास को प्रशासक द्वारा कराना उचित नहीं है। मान्यवर, को भी मालूम है कि आई० ए० एस० प्रशासकों की डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर वहां पुलिस राज्य कायम करना हो तो प्रशासक की नियुक्ति ठीक हो सकती है लेकिन विकास करना है तो वहां के टैलेंटेड लोगों की, जिनकी वहां कमी नहीं है एक कमेटी बनाई जाय।

इस विधेयक में यह भी नहीं कहा गया है कि प्रशासक किसकी राय पर काम करेगा। जिस मास्टर प्लान के लिये हम सारे विरोधी दलों ने तीन साल तक जोर लगाया उसे देर आयद दुरुस्त आयद मानकर मैं कहता हूं कि मंत्री जी अब विकसित करना चाहते हैं। लेकिन क्या वह मुझे बता सकेंगे कि दुनिया के इतिहास में कहीं भी प्रशासकों द्वारा नियोजन का कार्य हुआ है? गुहा कमेटी रिपोर्ट कहती है कि इन प्रशासकों ने ही पहले और दूसरे प्लानों के इम्पलीमेंटेशन को फेल किया। गाजियाबाद एक छोटा सा टाउन है। एक ऐक्सपेरिमेंटल स्टेज पर सरकार वहां का विकास करना चाहती है। मगर मैं कहूंगा कि मंत्री जी वहां की जनता के साथ खिलवाड़ न करें चूंकि सन् ६२ आ रहा है। वह वहां की जनता को नाराज न करें। मान्यवर, अगर मेरे या आपके ऊपर २ रुपये लगान के बाकी हों तो बैलों की कुर्की हो जाती है लेकिन अगर किसी मिल वाले पर लाखों रुपये बकाया होते हैं तो सरकार कहती है कि इसमें बड़ी दूरदर्शिता है। मुबारक हो सरकार की ऐसी दूरदर्शिता। १९१९ के ऐक्ट की धारा ४ को पढ़ कर मंत्री जी हमें बताने की कृपा करें कि इस विधेयक में प्रशासक की क्या उपयोगिता है। हो सकता है कि

मंत्री जी की बात को हम समझ नहीं पा रहे हों तो वह हमें समझाने का प्रयत्न करें। जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के युग में सरकार हमारे ऊपर प्रशासक न लादे, चाहे कहीं भी हो।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। जो दलीलें उन्होंने दी हैं उनके सिद्धांतों से कोई इंकार नहीं कर सकता। सब मानते हैं कि तानाशाही नहीं होनी चाहिये, प्रजातांत्रिक ढंग से काम होना चाहिये। लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हर काम का अलग-अलग ढंग होता है। सलाह-मश्विरा दूसरी बात है, लेकिन एक विकास का काम कैसे अच्छा चले, यह देखने की बात है। वह शायद ऐसा समझे कि उत्तर प्रदेश में प्रजातांत्रिक राज्य है ही नहीं। लेकिन मैं उनसे निवेदन कर दूं कि प्रशासक कोई तानाशाही नहीं होगा। उसके ऊपर कोई सवाल करने वाला, देखभाल करने वाला या जांच-पड़ताल करने वाला नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य, कानपुर और नैनीताल और अन्य सदस्य भी इस विधेयक में इतनी दिलचस्पी रखते हैं। प्रशासक की देखभाल उत्तर प्रदेश के सारे नुमाइन्दे कर सकते हैं। यह बात नहीं है कि वह कोई डिक्टेटर होगा। वहां म्युनिसिपैलिटी में ऐडमिनिस्ट्रेटर पहले से ही मौजूद है, वहां म्युनिसिपैलिटी फंकशन नहीं कर रही है, ऐडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, और उस शहर का प्लान्ड तरीके से विकास करना है। म्युनिसिपल ऐक्ट में ऐडमिनिस्ट्रेटर का प्राविजन है लेकिन इम्प्रूवमेन्टट्रस्ट ऐक्ट में कोई प्राविजन इस बात का नहीं है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर हो सके। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के काम वहां हो रहे हैं। वहां चेयरमैन का या म्युनिसिपैलिटी के नुमाइन्दों का सवाल नहीं है क्योंकि वहां म्युनिसिपैलिटी काम ही नहीं कर रही है। सवाल तो यह है कि वहां विकास का काम कौन देखे। जिस काम को दो आदमी करेंगे उसको एक ही आदमी करेगा तो पैसे की बचत होगी।

श्रीमन्, अवस्थी जी ने कहा कि यह बहुत बड़ा अहम बिल है। लेकिन मेरी समझ में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें केवल २ क्लाजेज हैं। छोटा ऐक्ट वही है जिसमें कम क्लाजेज हों और बड़ा ऐक्ट जैसे कारपोरेशन ऐक्ट है उसमें ५०० से अधिक धारायें हैं। इसलिये इसको छोटा ही कहा जा सकता है। इसमें केवल ऐडमिनिस्ट्रेटर को ज्वाइंट करने का मूल प्रश्न है जिसका अवस्थी जी विरोध करते हैं। इसमें प्रवर समिति क्या करेगी? अगर कोई बहुत बड़ा बिल होता है तो उसमें प्रवर समिति जांच-पड़ताल करके उसके प्राविजन्स को बदलती है और उसके रूप को शुद्ध करती है। इसमें जो दूसरे क्लाजेज हैं वे भी उसको पावर देने के बारे में ह। जिन पर यहीं सदन में विचार किया जा सकता है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य मुझसे भी ज्यादा अपव्यय को रोकने के पक्ष में हैं। इसलिये इस पर यहीं अच्छी प्रकार से विचार हो सकता है। ऐसा समझकर यहीं विचार करने के पक्ष में हो जायेंगे।

श्री प्रताप सिंह जी ने भी दो एक बातें कहीं। मुझे अफसोस है कि मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैंने यह कहा कि प्रशासक जनता के चुनने हुए आदमियों से अच्छा काम करेगा, यह बात नहीं है। लेकिन अगर किसी स्थान पर किसी प्रशासक ने अच्छा काम किया हो तो उस बाकये को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। मेरे जिले में एक म्युनिसिपैलिटी है जिसके चेयरमैन ने अपने कार्यकाल में इतना अच्छा काम किया कि अगर उनकी जगह कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर होता तो वैसा काम न कर सकता था। दूसरी बात म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां के चैयरमैनों ने अच्छा काम करके नहीं दिखाया। चेयरमैनों के सामने कुछ दिक्कतें भी होती हैं। मामूली मीटिंग बुलाने में १०-१२ दिन लग जाते हैं। १०-१२ आदमियों की राय से काम करने में कुछ देर तो लग ही जाती है।

मैंने जो मिर्जापुर की बात कही थी वह, फैक्ट्स की बात कही। इत्तफाक से वहां के कामों की फेहरिस्त मेरे पास है। अगर वह सही है तो इस थोड़े से अर्से में जो काम वहां हुआ है दूसरा उतना काम उस अवधि में नहीं कर सकता था। इसके माने यह नहीं हुए कि प्रशासक

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

ही अच्छा काम कर सकता है। यह तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। चेयरमैन अच्छा होगा तो वह अच्छा काम कर दिखायेगा और ऐडमिनिस्ट्रेटर अगर अच्छा होगा तो वह अच्छा काम कर दिखायेगा।

अवस्थी जी ने स्वयं ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कानपुर में ट्रस्ट और म्युनिसिपैलिटी को मिलाकर काम किया और अच्छा काम किया, वह मिसाल आपके सामने है। जब उसका (प्रशासक) काम हो जायगा तो मैं एक दिन के लिये भी उसको बरदाश्त नहीं कर सकता, तुरन्त चुनाव कराकर म्युनिसिपैलिटी अथवा कारपोरेशन, जैसा भी होगा, उसके सुपुर्द काम किया जायगा। थोड़ा काम तो है नहीं पूरे नगर के बनाने का सवाल है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने दिनों में वह काम हो जायगा। जहां तक वहां के रिप्रेजेन्टेटिव्स की शिकायत का सवाल है तो वहां के रिप्रेजेन्टेटिव्स ने तो कोई शिकायत अभी तक की ही नहीं। वहां के रेप्रेजेन्टेटिव की कोई शिकायत हो ऐसी बात नहीं है। फिर वहां की ये सारी चीजें देखनी हैं, और यह आप लोगों को ही देखना है कि जो प्रशासकीय होगा वह आपके मातहत होगा, जिस तरह से आप डाइरेक्शन्स देंगे उन्हीं के अनुसार वह काम करेगा। प्रवर समिति में इस बिल को भेजने से कोई काम नहीं होगा बल्कि बिला वजह उससे देर लगेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल के प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने बड़े गौर से स्वशासन मंत्री की बातों को सुना और मुझे आश्चर्य है कि हमारे स्वशासन मंत्री पहले भी इस कार्य में रह चुके हैं और जो कुछ नये विचारों को लेकर नई पद्धति से यहां आये हैं, वे इतनी रूढ़िवादिता की बातें क्यों करते हैं। मुझे दूसरा आश्चर्य यह भी हुआ कि यह स्पष्ट है कि वहां २३ नवम्बर १९५९ से एक ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर है। हां, एक अन्तर अवश्य है कि एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी वहां चल रहा है। एक ऐडमिनिस्ट्रेटर का शासन वहां चल रहा है और अब दूसरा ऐडमिनिस्ट्रेटर नई रूपरेखा लेकर शायद सरकार मुकर्रर करेगी, तो इन दोनों में क्या अन्तर होगा? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अगर बीच में अड़ंगा लगाये जिसकी तरफ उनका कुछ संकेत है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस इम्प्रूवमेंट में ऐसी कौन सी बातें हैं कि वे हमारे सामने नहीं आयीं और जिनकी वजह से गाजियाबाद की तरक्की में अनियोजन और अनियंत्रण पन आ गया है। जो मूल बात है उसका सरकार ने किसी न किसी प्रकार से तोड़-मरोड़ कर जवाब दे दिया कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटर तानाशाह नहीं होता। लेकिन मैं खुद अपने अनुभव से कहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटर तानाशाह होते हैं और उनकी तानाशाही के हमलोग भुक्तभोगी हैं, चाहे हम कानपुर के निवासी हों, चाहे लखनऊ के निवासी हों, चाहे इलाहाबाद के निवासी हों। सभी इस बात की जानकारी रखते हैं।

गाजियाबाद के बारे में सरकार के पास एक दवा निकली कि वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर का शासन होना आवश्यक है और वह भी इस रूप में उन्होंने किया कि अगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से कोई बाधा हो तो सरकार इस बात को करें। दिल्ली के नजदीक रहने वाले गाजियाबाद के निवासी यह महसूस करेंगे कि वे क्या इस योग्य भी नहीं हैं कि स्वायत्त शासन की जिम्मेदारी को सम्भाल सकें? मेरा विश्वास है कि गाजियाबाद में ऐसे बहुत से योग्य पुरुष होंगे जो स्वायत्त शासन को को चलाने वाले भी होंगे। मेरा विश्वास है कि इस तरह का विधेयक लाकर गाजियाबाद वालों को एक चुनौती दी गई है और एक तरह से उनका अपमान किया गया है। इस विधेयक द्वारा हमारे देश में एक ऐसा नमूना रखा गया है जो प्रतिक्रियावादी नमूना है और हमको काफी पीछे ले जाने वाला है तथा हमारी हिम्मत को तोड़ने वाला है। यह जो सन् १९६२ में भी वहां स्वायत्त शासन न देने की बात है और यह चीज ब्यूरोक्रेसी पर ही आधारित है तथा विकेन्द्रीयकरण से हटने की बात है। ये दोनों हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। तो मैं फिर सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह प्रवर समिति में भेजने वाले मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और उन सभी सज्जनों की बातें सुने जो कि उस वर्ग से आये हैं।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि अब परम्परा के अनुसार २ बजे तक मतदान नहीं होगा, इसलिये २ बजे तक के लिये इसको स्थगित किया जाता है और अगला आइटम लिये लेते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मैंने खंडशः संशोधन दिया है, अभी समय बाकी है उसे ले लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--वह अभी नहीं आ सकता, जब जनरल डिएस्कशन खत्म हो जायगा उसके बाद आयेगा ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१*

स्वशासन राज्य मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक १९६१ [The U. P. Nagar Mahapalika (Amendment) Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन् क्या मंत्री जी आज अपनी बात कहते थक गये, वह इस सम्बध में कुछ नहीं कहेंगे ?

मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन उपस्थित करता हूं--"कि, यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे । यह समिति अपना प्रतिवेदन एक हफ्ते में प्रस्तुत करे । समिति को विधेयक की परिधि को बढ़ाने की शक्ति होगी" ।

हमें आश्चर्य है कि आज हमारे सामने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के कारण बताना उचित नहीं समझा । मैं कहूंगा कि जहा कहीं कुछ धोखा होता है वहीं पर सरकार चीजों को ज्यादा छिपाती है । आज इस विधेयक को लाने में भी सरकार धोखे में है कि कहीं भंडाफोड़ न हो जाय । इस के उद्देश्य और कारणों में केवल एक ही बात बताई गई है कि "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ के इस छोटे संशोधन विधेयक को मुख्यतः इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है कि राज्य सरकार उन कतिपय कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञाओं की अवधि बढ़ा सके जिनकी अवधि ३० सितम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाली है । उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रचलित होने के बाद ऐसी अनेक आज्ञायें जारी की गई थीं और उन में से कुछ जो अस्थायी प्रकार की थीं, व्यपगत हो चुकी हैं । केवल कुछ ऐसी आज्ञायें रह गई हैं जिन का कुछ और समय तक प्रचलित रखना आवश्यक है" । यद्यपि इसमें एक ही मुख्य कारण बताया गया है कि वह इस के द्वारा कठिनाइयों के निवारण की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह बढ़ाना अनुचित ही नहीं होगा बल्कि इस के द्वारा जो और दूसरे संशोधन रखने की चेष्टा की गई है, वह भी हमारे साथ अन्याय करने के समान होगी ।

मैं आप की आज्ञा से इसमें जो २-३-४ धारायें हैं जिनमें संशोधन आये हैं, उन सब का उल्लेख करूंगा । सबसे पहले तो सरकार ने कठिनाई निवारण की अवधि बढ़ाने की बात की है । अभी तक २ वर्ष की अवधि थी अब ४ वर्ष की की जा रही है । जब यह मूल ऐक्ट पास हुआ था तो उसके पास होने की एक कहानी है उस समय एक ऐसी विचित्र बात हुई थी जिसकी ओर मैं ध्यान दिला दूं । यह बिल उस समय पारित हुआ जब कि इस सदन में एक विचित्र प्रकार की स्थिति थी । उस समय इस विधानसभा में एक ऐसा कार्य सरकार की तरफ से हुआ जिस को विरोधी पक्ष के लोगों ने अनुचित ठहराया और न केवल यही बल्कि वह इतिहास में एक नई बात हुई कि विरोधी पक्ष के सभी लोगो ने सामूहिक रूप से सदन का त्याग किया, और बराबर तब तक त्याग किये रहे जब तक कि सरकार को अपनी गलती महसूस नहीं होने लगी । उसी अंधेरे काल में

---

*१ अगस्त १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सरकार के एकांगी अधिवेशन में यह विधेयक पारित किया गया । परिणाम यह हुआ कि इसमें जगह-जगह खामियां दिखाई पड़ने लगीं और कई संशोधन भी हमारे सामने आ चुके हैं । उन संशोधनों से भी सरकार को चेतावनी मिल जानी चाहिये थी कि कितने गलत ढंग से यह विधेयक पारित हुआ । धारा १०७ जो हमारे सामने आज दूसरे ढंग से आ रही है इसका भी संशोधन पिछले संशोधन विधेयक में हमारे सामने आया था और मैंने भी इसके बारे में अपना संशोधन रखा था, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया । आज फिर अपनी गलती को महसूस करते हुये उसको नये ढंग से लाने की कोशिश की गई है ।

दूसरा संशोधन जो रखा गया है वह कुछ शैक्षिक और दानोत्तर प्रयोजन के लिये की गई चीजों के हस्तान्तरण के बारे में है और तीसरा संशोधन विकास निधि की स्थापना के बारे में है जो सरकार एक नये नामकरण के साथ लाना चाहती है । चौथा संशोधन कोर्ट फी के सम्बन्ध में है कि किस प्रकार से कोर्ट फी लगे । तो चारों संशोधनों से बहुत कुछ असर पड़ने वाला है यद्यपि सरकार की निगाह में ये किसी विशेष महत्व के नहीं हैं । उसने उद्देश्य और कारणों में उनका कोई उल्लेख विशेष तौर से नहीं किया है और हमारे मंत्री जी ने विधेयक पर अपनी कोई राय भी नहीं जाहिर की शायद उनका खयाल था कि लंच का समय है जल्दबाजी में पारित हो जायगा । लेकिन मैं अपना कर्त्तव्य अवश्य पालन करूंगा ।

जो दफा १०७ में परिवर्तन की बात है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा । इसकी उपधारा (४) में एक मुख्य नगर लेखा परीक्षक को बढ़ाने की बात सरकार कहती है । इसे स्पष्ट कर देने के लिये मैं धारा १०७ को पढ़ देना चाहता हूं । इसमें लिखा है "उप नगराधिकारी, सहायक नगराधिकारी, नगर अभियंता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षक के पदों पर नियुक्त राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से नगर-प्रमुख द्वारा, विहित रीति से की जायगी : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति, जहां तक हो सके, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों में से जिनको कि राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति पर भेजना स्वीकार करे, की जायेगी तथा ऐसी दशा में राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनावश्यक होगा ।" फिर उप-खंड (२) में लिखा है—"२०० रुपया मासिक से अन्यून प्रारम्भिक वेतन पाने वाले अन्य पदों पर नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से विहित रीति के अनुसार की जायेगी । महापालिका के ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति का अधिकार—

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में, जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों, मुख्य नगर लेखा परीक्षक को, तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी को, होगा ।"

फिर तीसरी उपधारा में लिखा है :- "उपधारा (१), (२) तथा (५) में उल्लिखित नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सब नियुक्तियां उपधारा (४) के अधीन संगठित चुनाव करने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायंगी, और ऐसी नियुक्तियों का अधिकार—

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों मुख्य नगर लेखा परीक्षक को, तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में मुख्यनगराधिकारी को; होगा ।"

उपधारा ४ इस प्रकार है :—

"उपधारा (३) में उल्लिखित समिति (Selection Committee) में मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति, तथा उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिये नियुक्ति करनी हो,

होगे। मुख्य नगराधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा एतदर्थ नामोदिष्ट किया गया सदस्य, चुनाव करने वाली समिति का सभापति होगा :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक को तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनाई जायगी उसमें मुख्यनगरअधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो, सभापति के रूप में होंगे तथा महापालिका के दो और पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी समिति नामोद्दिष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होंगे ।"

बस में इतना ही पढ़ना चाहता हूं । एक सेलेक्शन कमेटी हमारे सामने आती है जो कि उन पदों पर नियुक्ति करेगी जो २०० रुपये से कम होंगे । इस सेलेक्शन कमेटी में मुख्यनगराधिकारी या उसका नामीनेटेड व्यक्ति और उस विभाग का अध्यक्ष अभी तक होता था । अब सरकार चाहती है कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक भी रखा जा सके । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि लेखा परीक्षक ऐसे हिस्सों में पहले ही रहता है जिनका सम्बन्ध मुख्य लेखा परीक्षक से है । सेलेक्शन कमेटी जो अन्य विभागों की होगी उसमें यह उचित समझा गया था कि विभाग का अध्यक्ष ही सारा काम सम्हाल लेगा। तो क्यों आवश्यकता पड़ी कि मुख्य लेखा परीक्षक को भी उसमें शामिल किया जाय ? मैंने पहले एक एतराज किया था कि इसमें और भी व्यक्ति रखे जाने की व्यवस्था है, उसमें २, १ ऐसे व्यक्ति होंगे जो इन अधिकरियों के बाद होंगे और दो सरकारी सदस्यों को भी रखने की बात है । लेकिन इस सेलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष वही अधिकारी बनेगा, गैरसरकारी सदस्य नहीं बनेगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। अब सरकार ने कुछ हेरफेर करने की बात सोची है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि जब सेलेक्शन कमेटी में हेड आफ दि डिपार्टमेंट मौजूद है, एक नगराधिकारी है, तो लेखा परीक्षक की क्या आवश्यकता है ?

अब सरकार ने दूसरा संशोधन पेश किया है वह धारा १२९ केसम्बन्ध में है। यह धारा सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी उपबन्ध के बारे में है और उस सम्पत्ति के लिये है जो महापालिका की हो, और उसके लिये संचालन की व्यवस्था के सम्बन्ध में है । मैं उसको पढ़ दूं—

"१२९—उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिये जो कि महापालिका की हो, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात—

(१) महापालिका की सम्पत्ति का प्रत्येक निस्तारण महापालिका की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा ।

(२) मुख्य नगराधिकारी स्वविवेकानुसार महापालिका की किसी एसी चल सम्पत्ति को बेच कर, किराये पर देकर या अन्य रूप से व्यय न कर सकता है जिसका मूल्य प्रत्येक व्ययन में ५०० रुपये से अथवा उस मूल्य से अधिक न हो जिसे महापालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर निर्धारित करे, या महापालिका की अचल सम्पत्ति का पट्टा, जिसमें मछली मारने या फल इकट्ठा करने या लेने तथा इसी प्रकार का कोई और अधिकार सम्मिलित हो, किसी ऐसी अवधि के लिये दे सकता है जो किसी एक समय में १२ महीने से अधिक न हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह मासिक लगान (monthly tenancy) का संविदा न हो या उसका वार्षिक लगान ३,००० रुपये से अधिक न होता हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को अचल सम्पत्ति के प्रत्येक पट्टे की सूचना उसके दिये जाने के १५ दिन के अन्दर देगा।

(३) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से महापालिका की ऐसी चल सम्पत्ति को बेच सकता है, किराये पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकता है जिसका मूल्य ५,००० रुपये से अधिक न हो, और इसी प्रकार की स्वीकृति महापालिका की किसी अचल सम्पत्ति को जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकार भी है, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक साल से अधिक हो पट्टे पर दे सकता है, या महापालिका की किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति को बेच सकता है, या स्थाई रूप से पट्टे पर दे

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सकता है जिसका मूल्य या नजराना (premium) ५०,००० रुपये से अधिक न हो या जिसका वार्षिक किराया ३,००० रुपये से अधिक न हो ।

"(४) मुख्य नगराधिकारी महापालिका की किसी चल या अचल सम्पत्ति को महापालिका की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है, किराये पर उठा सकता है या अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण कर सकता है ।

(५) उन मामलों को छोड़ कर जिनमें हस्तातंरण शैक्षिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये किया जाय वह प्रतिफल (consideration) जिसके लिये महापालिका का कोई अधिकार या अचल सम्पत्ति बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण की जाय, ऐसे नजराने (Premium), किराये या अन्य प्रतिफल के बाजार मूल्य से कम न होगा ।"

इस (५) में सरकार ने जो थोड़ा परिवर्तन करना चाहा है उसमें लिखा है कि "उन मामलों को छोड़कर जिनमें हस्तांतरण शैक्षिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये किया जाय या जिनमें यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ या कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ या इस अधिनियम के अध्याय १४ के अधीन अर्जित सम्पत्ति का हस्तांतरण किया जाय"

अब मैं, कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ और इस अधिनियम के अध्याय १४ के अधीन अर्जित सम्पत्ति के बारे में सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर का मैं विशेषतौर से उदाहरण देता हूं कि वहां महापालिका बनते ही बहुत से ऐसे क्षेत्र जो नगरपालिका कानपुर के विकसित होने के पहले नहीं थे और जिनमें रेवेन्यू और पंचायत, सभी कानून लागू थे, वे सब महापालिका के अन्तर्गत आ गये । उस समय से उन हिस्सों पर बहुत ज्यादती हुई, और ज्यादती यहां तक हुयी कि पंचायत का काम भी वहां बिल्कुल ठप्प हो चुका है और जो राजस्व विभाग का संचालन था, या यों कहिये कि जो सिंचाई विभाग का संचालन था वहां आज मनमाने तौर पर अनेक कार्य होरहे हैं । अभी हाल ही में वहां की महापालिका ने अपनी निरंकुशता दिखा कर एक ऐसा नियम बना दिया है कि भूमि की सिंचाई १५ रुपये फी बीघा के हिसाब से ली जायगी चाहे उसमें कोई भी फसल हो । मेरे पास इस सम्बन्ध में अनेक प्रार्थना-पत्र वहां के निवासियों की तरफ से आये हैं जो मैं स्वायत्त शासन मंत्री के पास भेज दूंगा और मैं उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि वे देखें कि उसी क्षेत्र के निवासियों को जो सुविधायें पहले उपलब्ध थीं वे सब खत्म कर दी गई हैं । मुझे यह सूचना मिली है कि सरकार ने अब इस सम्बन्ध में अपनी कुछ दुरुस्ती की है और शायद वह यह करने जा रही है कि जो पंचायत के वहां कार्य थे उनको पुनर्जीवित किया जाय जिलाधीशों को कोई अधिकार दे कर । मैं चाहूंगा कि उसका स्पष्टीकरण भी इस सिलसिले में सरकार करे क्योंकि उन हिस्सों में जहां पहले नगरपालिका का शासन नहीं था वहां आज बड़ी अशान्ति और कशमकश फैली हुई है । तो मेरा कहना यह है कि नगरपालिका की सम्पत्ति के हस्तान्तरण के मामलों में या टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऐक्ट के संबंध में सम्पत्ति के हस्तांतरण के मामलों में भी सरकार ने अपने अधिकारों को बढ़ा लिया है । इस संशोधन के साथ साथ एक विशेष परिवर्तन सरकार १३९ (३) में करने जा रही है । उसे मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने रख देना चाहता हूं क्योंकि वह एक प्रभावकारी चीज है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---श्रीमन, २ बज चुके हैं और सदन में इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन, मैं धारा १३९ को जिसका संशोधन इस अधिनियम के खन्ड ४ में है, आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं । वह इस प्रकार है ---

"१३९-(१) प्रत्येक महापालिका के लिये एक निधि, जिसे आगे महापालिका निधि कहा जायगा, की स्थापना की जायगी और इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन, इस निधि में वे सभी धनराशियां जमा की जायंगी जो इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि अथवा संविदा के अधीन महापालिका द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त हों ।"

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष (श्री रामनारायण, त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

इन धनराशियों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं—

(क) महापालिका की संपत्ति से प्राप्त होने वाला धन,

(ख) महापालिका की संपत्ति के किराये ।

(ग) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये गये समस्त करों अथवा शुल्कों और जुरमानों (न्यायालय द्वारा लगाये गये जुर्मानों से भिन्न) से प्राप्त धन ,

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रतिकर के रूप में अथवा अपराधों के अभिसंधित (compounding) करने से प्राप्त समस्त धनराशियां,

(ङ) महापालिका के धन के किसी विनिहितकरण (investment) से अथवा इस धन के सिलसिले में किये गये किसी संव्यवहार (transaction) से, प्राप्त समस्त ब्याज और लाभ,

(च) महापालिका द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं, निजी संस्थाओं (private bodies) अथवा अन्य व्यक्तियों से अनुदान, दान, (gift) अथवा जमा की हुई धनराशि के प में समस्त प्राप्त धन, उन शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, जो ऐसे अनुदान, दान अथवा जमा की हुई राशि पर लगाई जायं ।

(२) महापालिका निधि में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियां मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्राप्त की जायंगी । मुख्य नगराधिकारी इन धनराशियों को तत्काल स्टेट बैन्क आफ इंडिया अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैन्क या बैन्कों जिन्हें महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति निर्दिष्ट करें, एक खाते में जिसे '.....' की महापालिका निधि का खाता कहा जायगा, जमा कर देगा ,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए इतना नकद रुपया रोक सकता है जितना चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो ।

(३) महापालिका ऐसी विशेष निधियों की, जो विहित की जांय अथवा ऐसे अन्य निधियों की भी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो, स्थापना कर सकती है । ऐसी निधियों का संगठन तथा निस्तारण विहित रीति से किया जायगा । "खन्ड ४ में यह है कि मूल अधिनियम की धारा १३९ की उपधारा (३) में शब्द "महापालिका तथा" "ऐसी विशेष" के बीच में शब्द "एक विकास निधि की स्थापना करेगी और" रख दिये जायं ।

सरकार एक डेवलपमेन्ट फन्ड नाम की कोई निधि मुकर्रर करने की बात सोचती है जबकि इसमें यह भी व्यवस्था है कि नगरपालिका विशेष निधियों अथवा अन्य निधियों को भी स्थापित कर सकती है । जहां तक मैं समझा हूं जो इसमें भावना है वह यह है कि हर महापालिका के पास एक डेवलपमेन्ट फन्ड हुआ करेगा और वह इसीलिए कि उसमें एक नये प्रकार के सीमित कार्य करने की बात सरकार रखेगी । यह एक अकांउंटिग की बात है । और इसमें कोई परिवर्तन करने का मुख्य कारण मुझे दिखायी नहीं पड़ता क्योंकि इसमें अनेक निधियां थीं उनमें से एक निधि का नाम विकास निधि रखा गया । इसका कारण क्या है इस पर सरकार ने चुप्पी साध ली है ।

धारा ४८४ में जो एक परिवर्तन है वह भी मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं । धारा ४८४ में है—"(१) राज्य सरकार समय समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित के निमित्त देय शुल्क यदि कोई हो, विहित कर सकती है—

(क) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किसी प्रार्थना-पत्र, अपील अथवा अभिदेश पर, तथा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

(ख) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) की किसी जांच अथवा कार्यवाही में कोई आह्वान (Summons) अथवा अन्य आदेशिका (Process) जारी होने से पूर्व:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खन्ड (क) के अधीन विहित शुल्क यदि कोई हो, उन दशाओं में जबकि दावे अथवा वाद विषय (Subject matter) का मूल्य पयों में आंका जा सकता हो, प्रांविशियल स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के उपबन्धों के अधीन ऐसे मामलों में तत्समय लगाये गये (Levied) शुल्क से अधिक न होगा जिसमें दावे अथवा वाद विषय का मूल्य समान धनराशि का हो।

(२) राज्य सरकार समय समय उक्त प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि उपधारा (१) के खन्ड (क) की अधीन विहित शुल्क किस व्यक्ति द्वारा देय होगा।

(३) न्यायाधीश (Judge) द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र अपील अथवा अभिदेश तब तक नहीं लिया जायगा जब तक कि तदर्थ उपधारा (१) के खन्ड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हो, न दे दिया गया हो।"

इसमें यह परिवर्तन किया गया है कि उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड में शब्द तथा अंक "प्रांविशियल स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट, १८७०" के स्थान पर शब्द तथा अंक "कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०" रख दिये जायं।

इसमें थोड़ा मैं यह कह दूं कि आज सरकार के सामने कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आ गयी हैं कि इन नगरपालिकाओं के बहुत से अनियमित कार्यों के विरुद्ध कोर्ट्स में मामले भी जाने लगे हैं। कानपुर महापालिका की एक मिसाल है कि वहां पर पहले साल का बजट पास नहीं हो पाया। उस बजट को वहां के सदस्यों ने बहुमत से अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार होने के बाद भी वहां के मेयर ने उसको एक प्रकार से स्वीकृत रूप में ही माना। उसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने स्टे आर्डर निकाल कर उनकी कार्यवाहियों को रोकना भी चाहा। ऐसी स्थिति भी हमारे इन महापालिका के कार्यों में आयी है और यह वाद इस हद तक पहुंचे है कि महापालिकाओं के कार्य पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गए हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि यह थोड़े से परिवर्तन करके सरकार क्या यह समझती है कि वहां का कार्य विहित रीति से चलने लगेगा? हमें इसमें शंका है, क्योंकि जो वास्तविक रूप से दिक्कतें वहां दिखाई पड़ीं वह यह दिखाई पड़ीं कि कभी-कभी इन महापालिकाओं के जो अधिकारी हैं, चाहे वह मेयर हों, चाहे वह नगराधिकारी हों, वह सब वहां के सदस्यों की प्रकट रायों के विरुद्ध कार्य करते हैं और इन मामलों को लेकर कभी कभी मुकदमेबाजी सालों तक चलती है और सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती।

श्रीमन्, अभी तक तो मैंने सरकार के प्रस्तावित संशोधनों का ही उल्लेख किया है, लेकिन मेरा विशेष लक्ष्य यह है कि जिसको लेकर मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि यह बिधेयक एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, अब उस लक्ष्य को मैं बताना चाहूंगा। आज सरकार ने एक प्रकार से नगर महापालिका के विधेयक में संशोधन लाने का प्रयास किया है जबकि इसके ठीक पहले इसी सरकार के द्वारा यह प्रयास हो चुका है कि नगर महापालिकाओं के जो मेयर और उपाध्यक्ष, डिप्टी मेयर आदि हैं उनकी एक राउंड टेबिल कानफ्रेंस के तरीके की समिति भी उसने बनायी है और उसमें उन सभी दिक्कतों को उनसे जानने की कोशिश की है जिनको कि दूर करना आवश्यक और उसकी क्षमता के अन्दर है। वह विचार विमर्श सरकार ने किया है या कर रही है। ऐसी हालत में हम यह देखें कि आज सरकार ने उन विचार विमर्शों को या तो खटाई में डाल रखा है या बालाये ताक रख छोड़ा है। उनमें से कोई भी मुख्य बात इस प्रस्तावित संशोधन में नहीं आ पायी है। यह क्यों? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इस विधान सभा को नये रूप से चुनकर आने में केवल पांच छः महीने रह गए हैं। क्या सरकार यह समझती है कि इन नगर महापालिकाओं में जो हेरफेर करना वांछनीय है उनको हम इसी तरह से टालते रहें क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि हमारे चुनाव

पर इसका असर पड़े। लेकिन इन बातों के टालने से आज कोई काम होने वाला नहीं है। मेरी तो यह धारणा बन गई है कि यह नगर महापालिका अधिनियम अधूरा है और एक गलत ढंग से बना है जिसके बनाने में हम विरोधी पक्ष वालों का हाथ नहीं रहा। मैंने उल्लेख किया कि यह उस समय बना जब कि विरोधी पक्ष के लोगों ने अपने एक अपमान पर इस सदन का त्याग किया था। एक दल विशेष के द्वारा यह बिल बना था। उसी का परिणाम यह निकला कि यह बिल अधूरा बना और लागू हुआ जिसके फलस्वरुप आज उस अधिनियम के कार्यान्वित करने के बाद उसके सारे नुक्स हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे किसी भी नगर महापालिका को आप देखें, चाहे लखनऊ नगरपालिका को ले लें, चाहे कानपुर, इलाहाबाद या आगरा की महापालिका को आप देखें....

श्री उपाध्यक्ष---कोरम नहीं है। आप कृपया बैठें।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि हमारे नवीन स्वशासन मंत्री जी के सामने इन महापालिकाओं के संबंध में, जो वहां के अधिकारों के संबंध में या नये अनुभवों के संबंध में लोगों को दिक्कतें दिखाई पड़ी हैं, वह समय-समय पर पहुंचाई गई हैं। अभी हाल ही में कानपुर महापालिका की तरफ से एक डेपुटेशन श्री राम स्वरूप यादव जी से मिला भी था। उसने कानपुर के संबंध में बहुत सी शिकायतें उनके सामने रखीं और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वे उन सुझावों पर गौर से विचार करेंगे। इस समय वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं। पता नहीं वे इस विषय में कहां तक रुचि लेंगे। यादव जी के बारे में मुझे शुरू से शंका रही है। जैसा भारतीय जी कहते हैं कि सब मर्जों की दवा अमलतास, वही बात यादव जी के बारे में भी लागू होती है। यादव जी सब विभागों में अपनी दक्षता रखते हैं। स्वशासन, शिक्षा और पुलिस, मालूम नहीं कितने पोर्टफोलियों उनके पास रहते हैं और वह सब की तरफ से जबाब देते रहते हैं। पता नहीं किस स्थिति में उन्होंने डेपुटेशन से बातचीत की और आश्वासन दिया, यह मैं नहीं जान पाया---

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है कि मैं माननीय वक्ता महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है उससे, कानपुर के संबंध में जो वे चर्चा कर रहे हैं, उसका क्या विशेष संबंध है?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मुझे विभव जी से इस उम्र में ऐसे सवाल को सुनकर आश्चर्य हुआ। मेरे संशोधन को विभव जी पढ़ लें। उसमें परिधि को भी बढ़ाने की बात कही गई है। प्रचलित महापालिकाओं में जो दिक्कतें हैं वह सब इसमें आती हैं। इन दिक्कतों को कानपुर महापालिका के सदस्यों ने बड़ी योग्यता के साथ श्रीमान् मंत्री जी के पास उपस्थित किया है। मैं उसी का उल्लेख कर रहा था। विभव जी यह जान लें कि महापालिकाओं में कानपुर भी शरीक है। केवल आगरा ही शरीक नहीं है।

माननीय रामस्वरूप जी यादव से जो मुख्य-मुख्य बातें कही गईं कानपुर के संबंध में उनमें एक यह थी कि कानपुर नगर महापालिका की बहुत बड़ी आबादी है। उसमें महापालिका को ऐसी दिक्कतें महसूस हो रही हैं जिससे वह अपना कार्य समुचित रूप से चला नहीं पा रही है। उस नगर महापालिका का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो नहर विभाग के अधिकार में आता है। वहां पर बहुत से कार्य ऐसे हैं जो बिजली आदि अनेक प्रतिष्ठानों के द्वारा चलाये जाते हैं। वहां नगर महापालिका चाहती है कि ऐसे नागरिकों की सुविधा देने वाले कार्य भी उसके अधिकार में हों। इसलिये उसने सरकार के सामने अपनी बातें रखी थीं। आज उनकी तरफ ध्यान होने की तथा उन सब बातों का समावेश इस विधेयक के अन्दर होने की जरूरत थी।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मैं अपने वर्तमान स्वशासन मंत्री जी का आभार प्रकट करूं कि उन्होंने अपना पद लेते ही अपने उरई जिले की तरफ ध्यान दिया है। वहां पर भंगियों के लिये उन्होंने बड़ी सहानुभूति प्रकट की है और वाह वाही ली है। उन्होंने यह भी कहा है कि भंगियों के लिये सिर पर टोकरी ले जाना आज के समय में बहुत अशोभनीय है। यह बात उन्होंने जगह जगह कहना शुरू कर दी है। इसलिये कहना शुरू कर दिया है कि अब चुनाव आने वाला है और उनको यह दिखाना है कि यह सरकार उनके लिये बहुत कुछ करना चाहती है। यह भंगियों को सहानुभूति दिखाकर पता नहीं वह बनारस क्यों नहीं जाते और उस हड़ताल को बन्द क्यों नहीं कराते जो वहां कई दिनों से चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बहुत विस्तार में प्रकाश डाल रहे हैं। जरा संक्षेप में बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं विशेषतौर पर अपने नये स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस नये संशोधन में वे नयी मौलिक बातें नहीं ला पाये हैं जिनको लाकर अच्छे और नये ढंग से कार्य चलाया जा सकता था। यदि वह संशोधन विधेयक लाये थे तो उनको एक कंप्रिहेंसिव संशोधन विधेयक लाना चाहिये था जिसमें उन सभी बातों और आश्वासनों का समावेश होता जिनको कि समय-समय पर इस विभाग के मंत्रियों ने यहां दिया है। मुझे संदेह है कि यह वर्तमान मंत्री जी के मंत्रित्व काल में अंतिम संशोधन विधेयक है। मेरा निवेदन था कि इसमें वास्तविक बातें होनी चाहिये थीं। हमारे कैलाश प्रकाश जी ने समय-समय पर कई प्रकार के आश्वासन दिये हैं। उनके स्थान पर आज नये दो सज्जन विराजमान हैं। मैं चाहता था कि उनके द्वारा नगर महापालिकाओं का कुछ भला होता।

श्रीमन् जो विधेयक पेश है मुझे उससे निराशा हुई है। उसमें सरकार की एक चाल है। वह कठिनाई निवारण के हथियार को लम्बा कराना चाहती है। जब कोई हथियार नहीं चला तो रामबाण उठाया। इसी प्रकार एक त्रिशूल था जब कोई हथियार सफल नहीं होता था तो वह चलाया जाता था। इसी प्रकार यह कठिनाई निवारण का हथियार है। धारा ५८० में लिखा है "यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधायन को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल आज्ञा देकर यह निर्देश कर सकती है कि यह अधिनियम उस अवधि में जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय किन्तु जो इस धारा के प्रवर्तित होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के आगे तक न हो ऐसे अनुकूलों सहित चाहे वे परिष्कार परिवर्तन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा जो आश्वयक तथा इष्टकर समझे जायं," यानी कठिनाई निवारण का रामवाण हर प्रकार से चल सकता है और उसकी अवधि दो वर्ष के स्थान पर चार वर्ष की जा रही है। दो वर्ष उसे चला कर मर्ज का इलाज नहीं कर पाये इसलिये उसका समय बढ़ाया जा रहा है। मैं अर्ज करूंगा कि सरकार तो असली कठिनाई को पहचानती ही नहीं, वह निवारण क्या करेगी। नगर महापालिका में एक नौकरशाही रूपी मर्ज है उसे दूर करने के लिये वह क्या उपाय कर रही है। उस नगरमहापालिका अधिनियम में वह आमूल परिवर्तन करने का साहस करे और खामियों को दूर करने के लिये आगे बढ़े और विधेयक को प्रवर समिति में भेजे तभी यह संभव है। प्रवर समिति में जाकर हम लोगों को मौका मिलेगा उन खामियों को दूर करने का जो हम इस समय इसमें देखते हैं और जो सन् १९५९ से इसमें घुसी हुई है। जन्म से ही इसमें वह त्रुटियां घुसी हुई हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को यह सदन स्वीकार करे। अब भी इसमें सुधार हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—इस भाषण के बाद मैं इसे स्थगित करता हूं और पहले उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) बिल पर राय लिये लेता हूं उसके बाद उस पर विचार होगा।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे। यह समिति अपना प्रतिवेदन एक हफ्ते में प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि को भी बढ़ाने की शक्ति होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ [The U. P. Local Bodies (Appointment of Administrator Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ तथा ३

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(१) "बोर्ड" या "नगरपालिका बोर्ड (Municipal Board)" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन स्थापित गाजियाबाद के म्युनिसिपल बोर्ड से है और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति या वे व्यक्ति भी हैं जो बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने क लिये उक्त ऐक्ट की धारा ३१ के खंड (बी) के अधीन नियुक्त किये गये हों; — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६।

(२) "गाजियाबाद क्षेत्र (Ghaziabad Region)" का तात्पर्य गाजियाबाद तहसील के भीतर और बाहर ऐसे क्षेत्रों से है जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३ के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गाजियाबाद की सीमाओं में सम्मिलित हैं, या जो सम्मिलित हों और उस क्षेत्र से भी हैं जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति गाजियाबाद की म्युनिसिपैलिटीज के भीतर हो। — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९।

(३) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड, गाजियाबाद या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गाजियाबाद से है, और

(४) "ट्रस्ट" का तात्पर्य यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ की धारा के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद से है। — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९।

प्रशासक की नियुक्ति

३—(१) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये, गजट में आज्ञा प्रकाशित करके गाजियाबाद क्षेत्र के किसी भी या समस्त स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक (Administrator) नियुक्त कर सकती है, और — यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६।

(क) यह घोषणा कर सकती है कि उस दिनांक से जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, स्थानीय निकाय, यथास्थिति उसके अध्यक्ष (President) सभापति (Chairman) अथवा उसकी समिति (Committee) के समस्त अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य, चाहे वे उक्त अधिनियमितियों में से किसी के, या किसी अन्य विधि के, अधीन हों, उक्त प्रशासक में निहित हो जायेंगे और, जब तक कि उक्त आज्ञा अतिक्रान्त या निरस्त न कर दी जाय, उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन प्रशासक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जायगा, और वह यथावसर, बोर्ड ट्रस्ट, अध्यक्ष, सभापति या समिति समझा जायगा, और — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९।

(ख) ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध बना सकती है, जिनके अन्तर्गत उक्त ऐक्ट के किन्हीं भी उपबन्धों को निलम्बित करने के उपबन्ध भी हैं, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों,

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार दोनों ही निकायों के लिये एक ही व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा प्रकाशित हो जाने पर, यथा संघटित बोर्ड या ट्रस्ट तथा उसकी कोई भी समिति कार्य नहीं करेगी, और बोर्ड या ट्रस्ट अथवा उसकी समितियों के समस्त सदस्य, जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसका सभापति या अध्यक्ष भी है उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट दिनांक से अपने पद रिक्त कर देंगे।

(३) विशेषतया तथा उपधारा (१) के खंड (ख) में दिये हुये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार उसी या अनुवर्ती आज्ञा द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि--

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये उपर्युक्त ऐक्टों में, गाजियाबाद क्षेत्र में उनकी प्रवृति के सम्बन्ध में परन्तु उनके सार पर कोई प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार तथा परिवर्तन कर सकती है जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों, और तदुपरान्त उपर्युक्त ऐक्ट इस प्रकार किये गये अनुकूलनों, परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुये उस क्षेत्र में उस समय तक प्रभावी होंगे जब तक उक्त क्षेत्र में नगर महापालिका की स्थापना न हो जाय।'

(ख) सम्बद्ध, स्थानीय निधि में से प्रशासक के वेतन भत्तों का भुगतान किया जायगा, और

(ग) यदि एक ही व्यक्ति दोनों स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक नियुक्त किया गया हो, तो ऐसे किसी स्थानीय निकाय के अधीन, निर्दिष्ट किये जाने वाले पदों की पूर्ति नहीं की जायगी अथवा उनकी पूर्ति दोनों स्थानीय निकायों के लिये संयुक्त आधार पर की जायगी, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों का सम्बद्ध स्थानीय निधि में से भुगतान किया जायगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६, यू० पी० ऐक्ट, संख्या ८, १९१९।

(४) यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ तथा यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी उपधारा (१) के खंड (ख) या उपधारा (३) के अधीन दी गई आज्ञा प्रभावी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और खंड ३ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ४

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं "विधेयक के खंड ३ के उपखंड (४)" के अन्त में खंड ४ बढ़ा दिया जाय—

"४—विधेयक की अवधि लागू होने की तिथि के आगे २ वर्ष तक सीमित होगी।"

श्रीमन, मैंने यह जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें मैंने यह बात कही है कि जो प्रशासक होगा वह असीमित काल के लिये नहीं होगा। जिसके लिये माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि असीमित काल के लिये होगा। बीच में माननीय सदस्य प्रतापसिंह जी ने पूछा भी कि उसकी अवधि

क्या होगी तो उसके उत्तर में स्वशासन मन्त्री जी ने कहा कि वे कोई अवधि निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे की हनुमान जी की पूंछ लम्बी होती है उसी प्रकार से वह उसको भी लम्बे अरसे तक रखना चाहते हैं। उसके अलावा वह यह कह सकते हैं कि उसकी अवधि ६–८ साल की भी हो सकती है। इसलिये में समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जो संशोधन मैंने रखा है, वह प्रजातांत्रिक तरीके से उचित ही होगा। उसमें मैंने २ साल की अवधि इस आशय से रखी है कि उस बीच में हम यह देख लेंगे कि वह काम अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है और अगर काम पूरा हो जायगा तो प्रजातांत्रिक तरीके पर हम फिर गाजियाबाद में आ जायेंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर भी समझेगा कि २ साल की अवधि हमारे लिये रखी गई है, वह उस अवधि में अपना पूरा कार्य करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार से उसके लिये भी वह काम में तेजी लायेगा और उस पर अंकुश भी रखेगा इसलिये मन्त्री जी को मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं मोतीलाल जी के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। कोई अवधि मान लेना ठीक नहीं होगा इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने संशोधन तो स्वीकार किया नहीं और अफसोस जाहिर कर दिया। वे तो चाहते हैं कि जितने भी हथियार उनको मिल जायं उतना ही अच्छा है। वे किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं और मैं उनको सुनाने के लिये कहता भी नहीं हूं। हम तो उस लाखों जनता को सुनाने के लिये कहते हैं जो बाहर हमारी ओर देखती है। हम उनको सुना रहे हैं कि हम विकेन्द्रीकरण चाहते हैं और यह सरकार निरंकुश शासन चाहती है। हम चाहते हैं कि शासन जनता के द्वारा हो और यह सरकार नौकरशाही चाहती है हमारी बात उन लोगों के कानों तक पहुंचेगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड (३) के उपखंड (४) के अन्त में खंड ४ बढ़ा दिया जाय—

"४—विधेयक की अवधि लागू होने की तिथि के आगे २ वर्ष तक सीमित होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१

आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये गाजियाबाद क्षेत्र में स्थानीय निकायों के निमित्त प्रशासक की नियुक्ति की व्यवस्था करने का

विधेयक

गाजियाबाद क्षेत्र में नगरमहापालिका की स्थापना सुकर बनाने के उद्देश्य से वहां नागरिक कार्यों के निमित्त प्रशासक की तुरन्त नियुक्ति करने के लिये और अन्य कतिपय आनुषंगिक विषयों के निमित्त व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्त) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट, संख्या ८, १९१९।

(२) इसका प्रसार गाजियाबाद तहसील के भीतर और बाहर ऐसे क्षेत्रों में होगा, जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३ के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद की सीमाओं के भीतर सम्मिलित हैं, या जो सम्मिलित हों और उस क्षेत्र में भी होगा जो यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन विज्ञापित गाजियाबाद की म्युनिसिपैलिटी के भीतर हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक खंड १, इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ [The U. P. Local Bodies (Appointment of Administrator) Bill, 1961] पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि.....

श्री मोतीलाल अवस्थी—मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप कृपया बैठिये। अब मत का प्रश्न आरम्भ हो गया है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ [The U. P. Local Bodies (Appointment af Administrator) Bill, 1961] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका विधेयक पर विचार होगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक है उसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है कि ३० सितम्बर, १९६१ तक जो कानूनी दिक्कत हो रही है उसके कारण विधेयक की अवधि को दो साल बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधनों की वजह से भी यह किया जा रहा है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सम्मेलन महापालिका के प्रमुखों का होने वाला था उसको क्यों समाप्त कर दिया गया है और नहीं बुलाया जा रहा है? इसका उससे सम्बन्ध है इसलिये मैं यह बात कह रहा हूं।

दूसरे, जब हम पुराना विधेयक देखते हैं तो सन् ५९ के बिल में जो ५८० धारा मूल है उसमें संशोधन किया गया है उसमें लिखा गया है कि दो साल से ज्यादा की अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज जो यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है उसमें २ के बजाय ४ साल रखा गया है। इसका तात्पर्य है कि सरकार जो हाउस के पावर्स हैं, उनको अपने हाथ में लेना चाहती है। अगर कोई दिक्कत आवे तो आप २ साल तक के लिये रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अब ४ साल के लिये वह ताकत आप चाहते हैं। जो ताकत आज हाउस के हाथ में है वह भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार इसको अपने हाथ में नहीं ले सकती। मान लिया जो सन् ५९ के बिल में आपको ताकत दिया है उसको आप अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो ६ महीने के लिये बढ़ाते, साल भर के लिये बढ़ाते, लेकिन दो साल के लिये आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं?

हम जब प्रस्ताव करते हैं कि लोकल बाडीज का चुनाव होना चाहिये जिसकी अवधि पूरी हो गई हैं, चुनाव होना परमावश्यक है तो हमसे कहा जाता है कि ६२ के चुनाव आ रहे हैं इसलिये हम लोकल बाडीज के चुनाव नहीं कराना चाहते। जब हम लोकल बाडीज का चुनाव होना नितान्त आवश्यक समझते हैं तो वहां पर आप उसको जरूरी नहीं समझते, लेकिन दूसरी ओर जो आपके हाउस के अधिकार हैं उनको भी ले लेना चाहते हैं और अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनतन्त्र के विपरीत बात यह नहीं है? मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे हमें इसका कारण बतावें कि वह क्यों ऐसा करना चाहते हैं। सन् ५४ के पहले कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। जितने भी ड्राफ्ट्समैन थे वे बहुत कैपेबिल थे, लेकिन आज जो इस विधेयक की ड्राफ्टिंग करते हैं, हमें तो ऐसा अन्दाजा लगता है कि वह यह समझते ही नहीं हैं कि इससे क्या-क्या कानूनी अड़चने हो सकती हैं और इसको लागू करने में कौन-कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जहां वे २ साल और बढ़ाना चाहते हैं तो वहां अच्छे ड्राफ्टसमैन रखकर इसको ड्राफ्ट करावें जिससे अच्छा विधेयक बन सके। आज जो सरकार को दिक्कत पड़ रही है और सरकार आज उसके कहने से जो मनमाना आदेश निकाल देती है वह नहीं होने पावेगा। मैं समझता हूं कि सरकार को आज ऐसे अधिकार की जरूरत नहीं है।

इसके अतिरिक्त, आज नगरपालिकाओं को महापालिका बनाने की बात बढ़ती जा रही है, यानी स्वायत शासन की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जनता की इच्छा प्रजातन्त्रीय शासन स्वायत्त शासन के विस्तार की है। तो मैं चाहता था कि सरकार ऐसा ही एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाती। आज प्रगति का जमाना है, हमारे निर्माण कार्य बढ़ रहे हैं और तमाम शहरों के फिर से मास्टर प्लान बन रहे हैं, ऐसे समय में मन्त्री जी को चाहिये था कि वह एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाते। इस समय इस बात की जरूरत नहीं थी कि दो साल की अवधि उसमें बढ़ाई जाय वह बहुत अधिक है। ६ मास काफी हैं या अधिक से अधिक एक वर्ष रख सकते हैं। इसका मतलब तो यह है कि सदन के अधिकार को सरकार अपने हाथ में ले रही है। इस सदन के अधिकार को लेने का क्या कारण है और क्या उसका यह कार्य जनतंत्र प्रणाली के विपरीत नहीं है?

दूसरे, तमाम महापालिकाओं के प्रमुखों ने यह प्रार्थना की है कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल बनाना चाहिये, लेकिन मन्त्री जी ने उनके सुझावों को अस्वीकार कर दिया। जो सम्मेलन उनका जुलाई में बुलाया गया था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। इस तरह से सदन के अधिकारों को लेना उचित नहीं है, सदन के सदस्यों की राय अवश्य लेना चाहिये और इस प्रकार के अधिकार लेना जनतन्त्र प्रणाली के विपरीत है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है उसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ऐक्ट में कोई खास परिवर्तन या कोई डिटेल्ड परिवर्तन करना चाहती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि महापालिकाओं का जो हमारा अधिनियम है उसमें काफी परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं यह भी समझता हूं कि महापालिकाओं के प्रशासन के सम्बन्ध में जो अधिनियम बना है उसमें बहुत कम अधिकार जनता की चुनी हुई महापालिका की कमेटी को दिये गये हैं और बहुत से जरूरी कार्य वहां के अधिकारियों तक ही सीमित रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करने की जरूरत है।

इस सम्बन्ध में जहां तक मेरी जानकारी है, जनता की ओर से और महापालिकाओं के सदस्यों की ओर से यह मांग है कि महापालिका के चुने हुये सदस्यों को, वहां के निर्वाचित अधिकारियों-मेयर और उप-मेयर को अधिक अधिकार दिये जायं। मैं इससे सहमत हूं क्योंकि हम इतना बड़ा एक विधान बनाते हैं तो उसकी व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि हम जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में उस सत्ता को दें। यह एक बड़ा प्रयोग है जिसे हम ने

[श्री देवकीनन्दन विभव]

किया। कारपोरेशन के निर्माण में इस सूबे में यह पहला ही अवसर था, कलकत्ता, बम्बई और दूसरी जगह जहां भी महापालिकाओं का निर्माण हुआ है और कार्य हो रहा है उसी आधार पर ऐक्ट यहां बना था, लेकिन मैं यह समझता हूं कि उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक है। जैसे कि मेयर का कार्य-काल केवल एक वर्ष का रखा गया है। अब उसमें होता यह है कि जैसे ही मेयर आता है उसके स्वागत में जहां-जहां सभायें होती हैं और कुछ दिन काम करने के बाद ही उसकी बिदाई की सभाओं का समय आ जाता है। तो इस तरह से स्वागत और बिदाई में ही बहुत सा समय व्यतीत हो जाता है और उसे वह समय और अवसर नहीं मिलता कि गम्भीरता से काम कर सके। मेरा खयाल है कि मेयर को जो अधिकार दिये गये हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसे कुछ और अधिकार देने की आवश्यकता है। हमने मुख्य नगराधिकारी को जितने अधिकार दे दिये हैं उनपर भी विचार करने की आवश्यकता है। नगर महापालिका आटोनोमस होती है इसलिये कहा जाता है कि सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। इस तरह से मुख्य नगराधिकारी बहुत कुछ अपने अधिकार सरकार से भी सुरक्षित कर लेता है और दूसरी तरफ निर्वाचन कमेटी के अधिकार सीमित कर दिये जाते हैं तो मुख्य नगराधिकारी या कुछ भी ब्यूरोक्रेसी होती है उस पर अंकुश लगाना कठिन होता है। जो हमारी निर्वाचित बाडी है उसको हमें कुछ और अधिकार देने चाहिये। मैं समझता हूं कि महापालिका का जो अधिनियम बना है उसमें निर्वाचित एजेंसी को, जो पहले म्युनिसिपैटीज ऐक्ट में अधिकार थे उससे भी कम अधिकार मिले हैं। तो इस चीज पर भी विचार किया जाना चाहिये।

मुझे जहां तक मालूम है, शायद इसी सदन में यह बात कही गई थी कि जल्दी ही उचित समय पर महापालिका के सम्बन्ध में एक काम्प्रीहेंसिव बिल पेश किया जायगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के लिये इतनी जल्दी न तो यह मुनासिब था और न सम्भव था कि इस तरह का काम्प्रीहेंसिव बिल इस सदन में प्रस्तुत करे। साल, डेढ़ साल के अनुभव से जो चीजें हमें मिल रही हैं और थोड़ा और समय व्यतीत होने के बाद जो अनुभव हमको प्राप्त होंगे, उनके आधार पर एक काम्प्रेहेंसिव बिल इस सदन में सरकार प्रस्तुत करेगी, ऐसी मेरी आशा है। मैं समझता हूं कि उस समय जो कुछ भी इसमें कमियां रह गई हैं वह दूर की जायंगी।

अब यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है, वह जो जरूरत की कुछ चीजें हैं उनको पूरा करने के लिये पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि इसे कहीं घूमाने या प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रवर समिति के सामने तो यह बिल उस समय भेजा जाता जब कि विस्तारपूर्वक कोई परिवर्तन किये गये होते। इसमें तो थोड़ी सी बातें हैं जो तात्कालिक कठिनाई के सम्बन्ध में हैं।

हां, एक बात मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। उन्होंने, जो २०० रुपये से कम के अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो कमेटी का सेलेक्शन है, उसमें मुख्य नगर लेखा परीक्षा को भी सम्मिलित करने का संशोधन रखा है, मेरा खयाल है कि यह मुनासिब होता अगर उसमें डिप्टी मेयर को भी जोड़ दिया जाता उससे निर्वाचित प्रतिनिधित्व आ जाता है। जिससे एक स्वस्थ परम्परा और परिणाम निकलेगा। मेरा खयाल है कि मन्त्री जी इस पर अब भी विचार करेंगे और डिप्टी मेयर को रखने की कृपा करेंगे।

बाकी और जो संशोधन आये हैं, मेरे ख्याल से उनपर ज्यादा गम्भीरता से विचार करने की या इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा महापालिका अधिनियम

बनने के बाद उसमें काफी दिक्कतें महसूस हुई हैं। यह सर्वविदित है कि दिक्कतें उसमें हैं। क्योंकि इसके पहले भी संशोधन आ चुके हैं और आज भी प्रस्तुत हैं। लेकिन तजुर्बे से यह मालूम पड़ता है कि महापालिका अधिनियम बनने से हमारी कठिनाइयां बढ़ी हैं। हालांकि बनाने का उद्देश्य यह था कि बड़े नगरों की म्युनिसिपैलिटीज जो हैं और जो बड़े नगरों में डेवलपमेन्ट बोर्ड बने हुये हैं, दोनों को कोआर्डीनेट करने के लिये, शासन में एकरूपता लाने के लिये महापालिका अधिनियम बनाया गया। पर हुआ क्या? हम देखते हैं कि नागरिकों की कठिनाइयां तो बढ़ गई हैं और लाभ कम हुआ। मैं भी एक नागरिक हूं, कानपुर का रहने वाला हूं, लाभ इतना जरूर दिखाई दिया कि कुछ बड़े-बड़े लोगों को लम्बी-लम्बी जमीनें मिल गई हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों को प्लाट्स मिल गये। पर आम लोगों को क्या मिला? मिला यह कि टैक्स बढ़ गये इस अधिनियम के लागू होते ही।

इसके अलावा कानपुर में १ रुपया में तीन गैलन पानी पहले मिलता था। अब एक रुपया में दो गैलन ही पानी मिलता है। इक्का तांगा, और रिक्शा वालों पर जो पहले १२ रुपये टैक्स पड़ता था, वह अब ४२ रुपये हो गया। तो कठिनाईयां काफी बढ़ी हैं। ऐसा मालम पड़ता है कि इसमें संशोधन की निश्चय ही बहुत बड़ी जरूरत है।

मन्त्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं एक जरूरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले ही खंड २ में, जिसमें यह कहा गया कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक उस सेलेक्शन कमेटी में बढ़ाया जाय जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनने का तरीका बताया गया है, जो चुनाव करेगी जो लोक सेवा आयोग के जरिये चुनाव होते हैं उनके अलावा बाकी कर्मचारियों का चुनाव एक सेलेक्शन कमेटी करती है जिसमें वहां के अधिकारी होते हैं। व्यावहारिक दिक्कतों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कर्मचारियों के चुनाव में काफी गड़बड़ियां हुई हैं। और उनके ग्रेड आदि कई तरह से डिस्टर्ब हुये हैं। इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन भी दिया था। पर किसी टेक्निकल ग्राउन्ड पर, शायद वह रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें मैंने, जहां यह कहा गया है कि मुख्य नगरलेखा परीक्षक और बढ़ा दिया जाय यह मांग की थी कि अधिकारियों का एक प्रतिनिधि भी उस सेलेक्शन कमेटी में बढ़ा दिया जाय। इस सिलसिले में बड़ा कटु अनुभव है। वह यह जैसा मैंने जिक्र किया, उस सेलेक्शन कमेटी में कर्मचारियों के साथ उनके ग्रेडेशन में, बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, इसको देखते हुये हमने यह चाहा था कि उसमें एक ऐसा भी प्रतिनिधि हो, जो एम्पलाईज के इंटरेस्ट को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि इसी ऐक्ट में यह है कि वही अधिकारी जो एप्वाइंटिंग अथारिटी है वही उनको निकालने और दण्ड देने का अधिकारी भी है। अगर ऐसे मौके पर जब कर्मचारियों को दंडित किया जाना है, उनको निकाला जाना है, उनको सस्पेंड किया जाना है तो कर्मचारियों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिये उनका प्रतिनिधि भी होना जरूरी है। मैं अब भी मन्त्री जी से अपील करता हूं कि पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव होने के नाते वह हमारी इस बात पर विचार करेंगे।

इसके अलावा कई और बातें हैं जो संशोधन में कही गई हैं। इनमें कुछ निहायत जरूरी हैं और उनको लाकर, मन्त्री जी ने ठीक ही किया है। जैसे विकास निधि की स्थापना निहायत आवश्यक है, इस वक्त हमारी नगर महापालिकाओं में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कोई उनका उचित फंड नहीं है। जिसके जरिये तत्काल अगर कोई योजना सामने आये उसको पूर्ण किया जा सके। इसलिये एक विकास निधि की स्थापना की मांग की गई है। यह उचित ही है और इसको मन्जूर किया जाना चाहिये।

इसके अलावा कोर्ट फीस की अदायगी के सिलसिले में एक संशोधन है कि दो वर्ष के बजाय चार वर्ष की अवधि पैराग्राफ ४८० में कर दी जाय जिस पर बहुत एतराज किया गया। एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हमारे पास अधिनियम है, जिसको कहा गया है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल द्वारा पारित हुआ, उसमें सिर्फ १२ महीने ही लिखे हुये हैं।

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

हो सकता है कि यह बीच में बदल गया हो और दो वर्ष हो गया हो। इसकी मैं आपके जरिये से जानकारी करना चाहता था ।

इसके अलावा मैं मन्त्री जी का ध्यान दो एक बातों की ओर भी और दिलाना चाहता हूं। एक खास बात, जिसे सारे नागरिक महसूस कर रहे हैं, यह है कि महापालिका में जो अभी कानून बना है कि नक्शे कैसे पास होंगे, उसमें यह है कि पहले तो नक्शा बिल्डिंग अफसर के पास जायगा, उसके बाद इन्जीनियर के पास जायगा। अगर ये दोनों अफसर नियमों के मुताबिक उसको पास भी कर दें तो फिर प्लानिंग इन्जीनियर के पास जाता है वह नक्शा पास नहीं करेंगे। नतीजा यह होता है कि एक भी नक्शा जब से महापालिका बनी है पास नहीं हो पाया है, ऐसी मेरी जानकारी है। नतीजा यह है कि भले आदमी आज परेशानी में हैं। न वे अपनी इमारत बना सकते हैं और न उसमें आल्ट्रेशन ही करा सकते हैं। लेकिन जो इतनी शराफत नहीं बरतते, वे सीधे मकान बना लेते हैं और म्युनिसिपल अधिकारी देखते रहते हैं। इंस्पेक्टर्स, जिनकी यह ड्यूटी है, वे देखते रहते हैं और कहते हैं कि बनाओ। उसके बाद वही सुझाव दे देते हैं कि अब हम तुम्हारे खिलाफ एक नोटिस भेज रहे हैं कि तुमने क्यों अनआथराइज्ड कांस्ट्रक्शन कर लिया है, उसको डिमालिश किया जायगा और तुम एक समझौते की अर्जी दे देना। उस समझौते का नतीजा यह होता है कि कुछ जुर्माना कर दिया जाता है और समझौता हो जाता है। अजीब बात है कि कायदे के मुताबिक नक्शा पास नहीं होता है और बेकायदे मकान बनते रहते हैं। और अगर पास होने की स्टेज आ गई तो प्लानिंग आफिसर यह कह देते हैं कि वहां से सड़क निकलने वाली है। इस परेशानी की ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्रीमन्, हम समझते थे कि डेवलपमेन्ट के काम में बड़ी शानदार प्लानिंग होगी। जब विधेयक आनेवाला था तो मैं समझता था कि नगरों का उत्तम सुधार होगा, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कई एरियाओं के लिये यह कह दिया जाता है कि यहां से सड़क निकाली जायगी। इसके अलावा जमीनों को एक्वायर करने का कायदा है, उसके अनुसार कई जगहों के लिये नोटिस इश्यू कर दिये गये हैं कि यह जमीनें एक्वायर की जायंगी। कानपुर में करीब-करीब एक चौथाई बस्ती एक्वायर्ड है। ३०–४० साल से वह वैसे ही पड़ी हुई है। उसके लिये हुक्म है कि तुम बना नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हो। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि अच्छे मकान भी स्लम हो जाते हैं। होता यह है कि अगर अधिकारी नाराज हो गया तो शानदार इमारत भी एक्वायर कर ली जाती है। कानपुर में एक ऐसी इमारत है, जिसकी कीमत ७०-८० लाख रुपये होगी। वह स्लम में आ गई। उसके मालिक ने बड़ी दौड़-धूप की और बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ा सके। जहां गरीबों के झोपड़े होंगे वहां से सड़क निकाली जायगी। अगर किसी बड़े आदमी की जायदाद होगी तो सड़क टेढ़ी कर दी जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कठिनाइयां किस तरह से दूर की जायं। इसलिये इस बिल में बहुत सुधार की आवश्यकता है। अगर जल्दी सुधार न हो सके तो मंत्री जी ऐसे आदेश दे सकते हैं जिनसे रोज बरोज की कठिनाइयां दूर हो जायं।

महापालिकाओं में एक अजीब दिक्कत है! वह यह है कि अगर किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो वह अपील पर अपील करता चला जाता है और उसमें चार-चार वर्ष लग जाते हैं और वह ससपेंशन में ही रहता है। मैं ऐसे केसेज रख सकता हूं जिनमें चार-चार साल से फैसला नहीं हो सका है लिहाजा जरूरी है कि....

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं सदन में कोरम नहीं है। मैं सरकारी पक्ष से कहना चाहूंगा कि थोड़े समय में यह तीसरी बार है। अगर चौथी मर्तबा ऐसा हुआ तो मुझे सदन

स्थगित करना पड़ेगा। सरकारी विधेयक चल रहा है, इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि कोरम न हो।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उमाशंकर शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारियों के सस्पेंशन के सिलसिले में कह रहा था। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह ऐसे आदेश दें कि अगर किसी कर्मचारी पर कोई अभियोग लगाया जाय तो छः महीने के अन्दर उसका फैसला कर दिया जाय।

इसी सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के मुताबिक जब महापालिका अधिनियम बना तो उन नगरों में जहां यह अधिनियम लागू हुआ वहां के कर्मचारियों को टेम्पोरेरी कर दिया गया, सब के एप्वाइंटमेन्ट नये माने गये। दो वर्ष गुजरने आ रहे हैं वह सब टेम्पोरेरी हैं। उन्हें अब तक मुस्तकिल नहीं किया गया। हर कर्मचारी इस परेशानी में है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उनका ध्यान इस ओर जाना चाहिये और जो भी कर्मचारी इस महापालिका अधिनियम बनने के बाद नये माने गये हैं उनको मुस्तकिल कर दें।

इन शब्दों के साथ मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने भाग लिया। उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उनको भी अब यह महसूस होने लगा होगा कि यह जो उन्होंने पीस मील लेजिस्लेशन प्रस्तुत किया है उसमें बहुत कुछ खामियां हैं। बेहतर यह होता कि वह एक काम्प्रेहेंसिव बिल पेश करते। ऐसी हालत में अगर वह मेरी राय मानें तो इस बिल को वापस ले लें और एक काम्प्रेहेंसिव बिल वह सदन के सामने शीघ्र लाएं।

श्रीमन्, कानपुर के बारे में श्री शुक्ल जी ने काफी बातें बतायी हैं। विभव जी ने कुछ अपने अनुभव बताये जो उन्होंने प्रवर समिति के सदस्य के नाते रखे थे और मैंने उस समय भी उनको सुना था। लेकिन मैं एक ही बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं। वह लखनऊ नगर महापालिका की कार्य क्षमता के बारे में है। लखनऊ में मोहर्रम के अवसर पर कई सौ मुसलमान भाई अकाल मृत्यु के ग्रास बन गये। यह सब अक्षमता इसी नगर महापालिका की साबित हुई। नगर महापालिका जो उस घटना को रोक सकती थी उसने समय पर कार्य नहीं किया बल्कि यहां तक पाया गया कि नगर महापालिका के अधिकारी या तो समय पर पहुंचे नहीं या अपने कार्य में रत नहीं दिखायी दिये या कुछ बिलकुल गैर जिम्मेदार पाये गये। उनकी गलतियों का यह परिणाम हुआ कि सैकड़ों लोग मृत्यु के ग्रास बन गये। अब हमारे सामने जांच समितियां हैं। लीपापोती की जायगी। लेकिन जो अपने रोते हुए कुटुम्बियों को छोड़ गये, बिलखते हुए बच्चों को छोड़ गये, औरतों को विधवा बना कर छोड़ गये उनको कमेटियों और कमीशनों से संतोष होने वाला नहीं है। इस नगर महापालिका के कृत्यों के कारण यहां के नागरिकों को जो परिणाम भोगना पड़ा वह लखनऊ शहर के इतिहास में लिखा रहेगा और यह साबित होगा कि नगर महापालिका के अधिकारी चाहे जितने डिग्री वाले हों, लेकिन कार्यक्षमता में कमजोर हैं और उनकी छोटी-सी गलती से एक बड़ी भारी गलती हो सकती है। लखनऊ में कई घटनाएं आये दिन देखने में आती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को जवाब देते वक्त नया विषय नहीं उठाना चाहिये। जो विषय किसी ने उठाया है उसका उत्तर दे दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो बस इतना ही मैं हवाला देकर चाहूंगा कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। विशेष तौर से इस सम्बन्ध में जो इस पक्ष के बैठने वाले और उस पक्ष के बैठने वाले दोनों तरफ के लोगों ने यह बात सरकार के सामने रखी कि पीसमील लेजिस्लेशन के बजाय एक वृहत काम्प्रीहेंसिव बिल सरकार रखती तो ज्यादा अच्छा था, इस

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सर्वमान्य तथ्य को सरकार माने और उसको मानने के लिये सरकार एक साहस के साथ कदम उठावे और इसको वापस ले। यह बात कांग्रेस के पक्ष के लोगों ने भी कही। हां, यह तो उनका तरीका रहता ही है कि दबी जबान से वह कहते हैं। कोई ज्यादा सरकार के कार्यों का विरोध तो वह कर नहीं सकते। लेकिन जो समझदार होते हैं वह अपनी बात कहते जरूर हैं और एक मीठे ढंग से कहते है। तो मीठे ढंग से उन्होंने बात कही कि सरकार जो संशोधन लायी है वह तो उचित है यह तो उन्होंने एक व्यावहारिक ढंग पर कहा लेकिन जो उनकी निजी इच्छा थी वह भी उन्होंने प्रकट कर दी कि यह बिल निरर्थक है इसको और काम्प्रीहेंसिव होना चाहिये था। पिछले दो सालों के कार्यकलापों को देखते हुए उसमें जो दिक्कतें आयीं उनका निराकरण करते हुए होना चाहिये था। वह दिक्कतें जिनका अनुभव सभी महापालिकाओं ने किया है और जिनसे उन्होंने सरकार को सचेत भी किया है, जिनको सुनने के लिये सरकार ने अपेक्षा भी प्रकट की है उन सब के आधार पर सरकार को एक नया काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिये था। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी और इस विधेयक को वापस लेकर एक काम्प्रीहेंसिव बिल वह सदन के सामने लायेगी।

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, श्री अवस्थी जी ने जो संशोधन रखा है उसके सम्बन्ध में उन्होंने इस विधेयक के जो क्लाजेज हैं उनकी पूरी व्याख्या की। लेकिन क्यों यह विधेयक प्रवर समिति में जाना चाहिए वह जो मुख्य विषय था उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। यह सही बात है कि हमारे और साथियों ने भी, इस तरह के माननीय सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार रखे। लेकिन उनका मुख्य प्रश्न तो यह है कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय। उसके लिये उन्होंने इसकी क्लाजवाइज व्याख्या की। मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो दूसरा क्लाज है जिसमें पहला अमेंडमेंट है वह यह है कि दो आदमी जो उस कमेटी में हों उसमें मुख्य नगर लेखा परीक्षक और जोड़ दिया जाय। कारण उसका यह है कि जो हमारे ऐक्ट का अंग्रेजी वर्सन (रूप) है उसमें वह शब्द मौजूद है। इत्तफाक से हिन्दी वाले वर्सन में मुख्य नगर लेखा परीक्षक लिखने से रह गया। तो ऐक्ट तो दोनों ही वर्सन में एक ही है। सिर्फ एक चीज की जो अंग्रेजी वाले वर्सन में मौजूद है वही इसमें भी आ जाय इसीलिये यह अमेंडमेन्ट है। तो इसमें प्रवर समिति में इसको कोई विशेष परीक्षा करने की जरूरत नहीं।

दूसरा, जो क्लाज ३ में अमेंडमेन्ट है वह यह है कि जो जमीन अपनी नगर महापालिका बेचती है वह मार्केट रेट पर बेचती है। लेकिन वह जमीन कि जो शिक्षा संस्थाओं के लिये या और किन्हीं दानोत्तर कामों के लिये इस्तेमाल होती हैं वह नो लास नो प्राफिट बेसिस पर बेची जाती है। इसमें अमेंडमेन्ट यह किया गया है कि जो इम्प्रूव्ड एरिया हो, जहां इम्प्रूवमेन्ट हुआ हो वहां भी चूंकि यह सब काम जनता की भलाई के लिये ही किये गये हैं और उसमें रुपया भी जो लगता है वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिलता है या कभी स्टेट गवर्नमेन्ट से मिलता है और वह इस शर्त पर दिया जाता है कि जो इम्प्रूवमेंट किया जायगा उससे नगरमहापालिका कोई फायदा नहीं उठायेगी इसलिये वह उसी बेसिस पर नो लास नो प्राफिट बेसिस पर ही दी जानी चाहिये। तो इसके लिए एक अमेंडमेन्ट किया जा रहा है धारा १२९ की उपधारा (५) में कि यह जो विकास की हुई जमीन दी जाय वह भी मार्केट रेट पर न दी जाय। इसमें भी जनता की भलाई है। जनता को इम्प्रूव्ड एरिया की जमीन सस्ती मिलेगी। इसमें म्युनिसिपैलिटी को थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं पड़ती है।

तीसरा संशोधन डेवलपमेन्ट फंड का है। अवस्थी जी ने कहा था कि जब इसमें गुंजायश है और डेवलपमेन्ट फंड क्रियेट कर सकते हैं तो नगर महापालिका को यह डेवलपमेन्ट फंड अलग से करने की जरूरत क्यों? इसलिये चूंकि और जो फंड नगर महापालिका ने बनाये

ह वे उनके डिस्क्रीशन पर हैं वे चाहे बनायें या नहीं, लेकिन इस फंड को कम्पलसरी कर दिया है कि वह डेवेलपमेंट फंड बनना चाहिये जो केवल डेवलपमेन्ट के कार्यों के और कार्यों में खर्च न हो। थोड़ा बहुत फंड सभी महापालिकाओं के पास है। वाराणसी नगर महापालिका के पास वह फंड था, उसको उन्होंने जनरल एकाउन्ट में डाल दिया और दूसरे कामों में खर्च कर डाला। इसलिये जरूरत पड़ी कि इस फंड को क्रियेट किया जाय जिससे विकास के काम होते रहें।

एक संशोधन धारा ५ में है। उसमें स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट के बजाय कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० रखा गया है। उसका मन्शा यह था कि कोर्ट फीस किस तरह से लगायें। स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट के लिये कोई रिमूवल आफ डिफिकल्टी की बात नहीं है बल्कि कोर्ट फीस के लिये अलग से कानून बना हुआ है। उसको रखने की यहां पर बात है। इसलिये स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट को निकाल कर उन शब्दों को जो कोर्ट फीस के मुतल्लिक हैं, उनको यहां पर रख दिया गया है। यही सिर्फ इसका मंशा था।

इसमें ज्यादा बहस रिमूवल आफ डिफिकल्टी का जो संशोधन आया उस पर हुई। यह डिफिकल्टी आती है। इन डिफिकल्टीज को वह रिमूव नहीं कर सकती है। वह ऐक्ट के मुताबिक कठिनाई हैं। जो ऐक्ट बना हुआ है उसके बरतने में महापालिकाओं को दिक्कत पड़ती है। अगर उसके लिये संशोधन लाया जाय तो उसमें भी काफी समय लग जाता है। जैसे जब पहले यह ऐक्ट बना तो उसमें यह नहीं था कि पहली मीटिंग कैसे होगी और कौन बुलायेगा। उसके लिये यहां से आर्डर गया कि यह प्रोसीजर होगा। तो कुछ ऐसे आर्डर भी थे जो मामूली दिक्कतों को दूर करने के लिये थे। जब वह दिक्कतें दूर हो गईं तो वह आर्डर लैप्स हो गये। कुछ ऐसी दिक्कतें भी महापालिका के सामने आईं जैसे कि लैंड एक्वीजीशन के बारे में थी। वे दिक्कतें दूर हों, उनके लिये यह कह दिया गया कि रिमूवल आफ डिफिकल्टी के लिये यह है। इत्तफाक से उसमें जो अवधि थी वह सितम्बर, १९६१ ई० थी, वह खत्म हो रही है। वे दिक्कतें मौजूद हैं। उन दिक्कतों को नगर महापालिका महसूस कर रही हैं। उनको दूर करने के लिये यह रखा गया है।

कुछ जनरल बातें कही गईं। यह कहा गया कि एक काम्प्रिहेन्सिव बिल आता। हो सकता है कि कोई भी बिल बिलकुल परफेक्ट न हो। काम करने में जब दिक्कत सामने आती है और अनुभव में जब कुछ दिक्कतें आती हैं तब उसमें और सुधार किया जाता है। बहुत से कानून बनते हैं तो उनमें खामी रहती होगी लेकिन जब दिक्कत सामने आवे तो फिर उसको रिमूव करने की बात सोची जाती है। इस स्टेज पर कोई बड़ी चीज इसमें रखने की बात यदि सोची जायगी तो वह मुनासिब नहीं होगा।

जहां तक बहस का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से भी सम्भव होगा उन दिक्कतों को दूर किया जायगा। जनता के हित में और जनहित में जितना भी किया जा सकता है उसको जरूर किया जायगा लेकिन इस कम्प्रिहैन्सिव बिल के लिये अभी समय नहीं है। जैसा मैंने बतलाया इस विधेयक में उन चीजों को ही रखा गया है जो मालूम हुई हैं और जिनके बरतने से दिक्कतें सामने आई हैं। उन दिक्कतों को दूर किया जा रहा है और बातें जो माननीय सदस्यों ने नगर महापालिका के सम्बन्ध में कहीं और गड़बड़ी का जिक्र किया कि उस तरह से हो रहा है तो हो सकता है ऐसा चीजें हों।

अभी दूसरे बिल पर बहस करते हुये अवस्थी जी ने कहा था कि शासकों के जरिये से गड़बड़ होती है। इत्तफाक से प्रतिविधियों के जरिये से, यहां काम हुआ वहां भी शिकायतें आयीं, लेकिन अगर शिकायत है तो उसे दूर करने की कोशिश की जायगी। मैंने कहा था कि यह ह्यूमन एजेंसीज हैं और यह हो सकता है कि किसी महापालिका में दिक्कतें कम हों और किसी में ज्यादा हों। जो दिक्कतें दूर की जा सकती हैं वह की जायंगी और अगर सरकार अमेंडमेंट की जरूरत समझेगी तो वह लाया जायगा, लेकिन इस समय सरकार ऐसा महसूस नहीं

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

कर रही है। जो अमेंडमेंट की जरूरत सरकार समझती थी वह आप के सामने है। इस के अलावा अवस्थी जी ने उसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता बतलाई नहीं। यह मामूली सी चीजें हैं जो यहां पर ही डिस्कस की जा सकती है। इसलिये मैं समझता हूं इसे प्रवर समिति में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह है सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे। यह समिति अपना प्रतिवेदन १ हफ्ते में प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि को बढ़ाने की शक्ति होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The U. P. Nagar Mahapalika (Amendment) Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ से ५

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १०७ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १०७ की उपधारा (४) में शब्द तथा कामा "व्यक्ति," और शब्द "तथा" के बीच में शब्द "मुख्य नगर लेखा परीक्षक" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १२९ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १२९ की उपधारा (५) में शब्द "उन मामलों को छोड़ कर जिन में हस्तांतरण, शैक्षिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये किया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"उन मामलों को छोड़ कर जिनमें शैक्षिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये हस्तांतरण किया जाय या जिन में यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ या कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ या इस अधिनियम के अध्याय १४ के अधीन अर्जित सम्पत्ति का हस्तांतरण किया जाय,"

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १३९ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १३९ की उपधारा (३) में शब्द "महापालिका" तथा "ऐसी विशेष" के बीच में शब्द "एक विकास निधि की स्थापना करेगी और" रख दिए जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ४८४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ४८४ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द तथा अंक "प्राविंशियल स्माल काज़ेज कोर्ट्स ऐक्ट, १८७७" के स्थान पर शब्द तथा अंक "कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ से ५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६, प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

६—मूल अधिनियम की धारा ५८० की उपधारा (१) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायं। — उ० प्र० अधिनियम, संख्या २, १९५९ की धारा ५८० का संशोधन

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ को संशोधित करने का — उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि 'खंड ६ की पंक्ति दो में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिया जावे।

श्रीमन्, अभी मुझे स्वायत्त शासन मंत्री जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। मैं एक बात का स्पष्टीकरण कर दूं कि मैंने यह कहीं भी नहीं कहा, जिसका उन्होंने बार-बार उल्लेख किया कि अब एक कम्प्रिहेन्सिव बिल लाये बिना इस सम्बन्ध में सुधार हो ही नहीं सकता...

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया संशोधन पर बोलें। उसका जवाब देने का अवसर नहीं है। चार से तीन वर्ष क्यों किया जाय इस पर ही बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह कठिनाई निवारण का जो प्रयास है सरकार का, इसमें वह सफल नहीं हो पायेगी, भले ही इसकी अवधि वह दो से चार या छः वर्ष तक बढ़ा ले। मर्ज तब पैदा होता है जब शरीर में कोई दोष होता है और नगर महापालिका विधेयक में अनेक दोष हैं और उन दोषों को कठिनाई निवारण रूपी मलहम से दूर नहीं किया जा सकता। यह देखा गया है कि शरीर में जब तमाम फुड़ियां-फुंसी निकलती हैं तो मलहम एक स्थान पर उनको ठीक कर देता है लेकिन वह दूसरी और तीसरी जगह निकल आती हैं। आवश्यकता उस समय इस बात की होती है कि कोई ऐसा परगेटिव दिया जाय कि जिससे शरीर की दुरुस्ती हो जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि कठिनाई निवारण की यह अवधि सरकार चाहे जितनी भी लम्बी रख ले लेकिन इससे नुक्स दूर होने वाला नहीं है। वह तभी दूर हो सकता है जब नगर महापालिका के अधिकारी, सदस्य और अध्यक्ष, इन सभी की राय लेकर एक विशद विधेयक सदन के सामने लाया जाय। सरकार के सामने जो अवधि है ५-६ महीने की, वह जिस प्रकार की सरकार है उसको देखते हुये कम है और इसीलिये मैंने इस ओर संकेत किया। अगर कार्यशील सरकार होती है तो वह एक घंटे में ही सोच सकती है, किन्तु जो सरकार सोती रहती है उसके लिये १ वर्ष

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

की अवधि भी कम है क्योंकि वह तो सोती ही रहती है। ६ मास का समय तो ऐसा है कि यह सरकार करवट ही लेती रह जायेगी। हमें इस सरकार से यह आशा नहीं है कि वह कोई परिवर्तन शीघ्र कर पायेगी। कठिनाई निवारण का इस्तेमाल करके यह सरकार उसका दुरुपयोग करना चाहती है। कठिनाई निवारण के सम्बन्ध में इस अधिकार का इस्तेमाल उस समय करना चाहिये जबकि एक विशेष समय के लिये विशेष परिस्थिति हो और विशेष आवश्यकता पड़े, यह नहीं कि कठिनाई निवारण की आड़ में हम विधेयक की बड़ी-बड़ी खामियों को भी छिपा डालें। इस अधिकार को हम कभी सरकार को नहीं देना चाहते। एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका, हम और समय नहीं देना चाहते। एक वर्ष हम इसलिये बढ़ाने के पक्ष में हैं कि सरकार उस अवधि में उसको दुरुस्त कर दे। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन यह स्वीकार करे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी आवश्यकता की ओर पहले ही अर्ज कर चुका हूं। माननीय अवस्थी जी ने जो बात कही है उससे वह कठिनाई खत्म तो नहीं होगी, बल्कि और नयी कठिनाई पैदा हो सकती है। हम तो कठिनाई को दूर करने के लिये ही यह कर रहे हैं और इस तरह का प्राविजन रखा है। ऐक्ट के बरतने में जो मामूली प्रोसीजरल दिक्कत पड़ती है, अगर उसको ठीक कर दिया जाय तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये और उसी को ठीक करने के लिये यह प्रावीजन किया गया है और उसको सदन को स्वीकार करना चाहिये। मैं माननीय मोतीलाल जी के सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति दो में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६, प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १ इस विधेयक का अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The U. P. Nagar Mahapalika (Amendment) Bill, 1961] पारित किया जाय।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ और कहना नहीं है, जो कुछ कह चुका हूं वह काफी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इसका विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जब कि हम इस विधेयक को पारित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, मैं अपनी आखिरी शक्ति लगा कर यह कोशिश करूंगा कि यह विधेयक पारित न हो पाये। यह नगर महापालिका विधेयक एक थेथा इलाज सा है। सरकार जो नगर महापालिका में खामियां हैं उनको ध्यान में न रख कर यह लंगड़ा विधेयक हमारे सामने लाई है। जो सरकार का लक्ष्य है वह इससे पूरा होने वाला नहीं है। हमारा लक्ष्य यह है कि नगर महापालिकाओं का प्रशासन ठीक हो। वह लक्ष्य इससे पूरा होनेवाला नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा इसका सुचारु रूप से संचालन हो और नगरों का सुधार हो, वह भी इससे पूरा होने वाला नहीं, लेकिन नगरपालिकाओं में हमारा नागरिक जीवन सुन्दर और सरल नहीं बन रहा है। दिन प्रतिदिन टैक्सों की भरमार है, हमारी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, छोटे-छोटे व्यापारी और अन्य सभी लोग असन्तुष्ट हैं, तो हम समझते थे कि सरकार किसी अन्य सुन्दर रूप में हमारे सामने ऐसा विधेयक लावेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और मौजूदा विधेयक नितान्त अपूर्ण है और इसके औचित्य को हम

स्वीकार नहीं कर सकते। हम विधान सभा के माननीय सदस्यों से अपील करते हैं कि यह विधेयक पास न किया जाय। यह हमारे समय और धन को बरबाद करने वाला और हर प्रकार से अनावश्यक विधेयक है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुझे और कुछ नहीं कहना है। अवस्थी जी की समझ में दूसरी बात है। मैं नहीं कह सकता कि उनकी बात कहां तक ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिल पास होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१, [The U.P. Nagar Mahapalika (Amendment) Bill, 1961] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यक्रम पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, अब की बार जब से अधिवेशन शुरू हुआ है हमारे सामने दिक्कत है कि सप्ताह के प्रथम दिन, जैसा कि नियम में है, हमको कार्यक्रम नहीं बताया जा रहा है। प्रतिदिन पूछने पर एक ही दिन का कार्यक्रम बताया जाता है। आप देखें कि अगले दिन के कार्यक्रम के बारे में हम अंधेरे में रहते हैं। एक प्रोग्राम २१ जुलाई को हमको कार्यालय से भेजा गया था, जो शायद हमारे यहां पहुंचा नहीं होगा, जिसकी जानकारी हमको पीछे हुई। उसमें लिखा है कि ४ तारीख को पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक पर विचार होगा, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि सरकार के पास इस विधेयक की कापियां नहीं हैं। होगा यह कि ४ तारीख को कोई न कोई बिल तो पेश होगा ही, मगर उसकी जानकारी हमको पहले न होने से हम तैयारी नहीं कर सकेंगे। हमारे नियमों में है कि जब तक ३ दिन का समय विधेयक के लिये न मिले तब तक आप बिल प्रस्तुत करने की इजाजत न दें। उसकी भी आप सरकार के पक्ष में ही रूलिंग दे देते हैं। इसके लिये मैं अपील करूंगा कि आयन्दा यह सहूलियत सरकार को न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है। माननीय मोतीलाल जी अवस्थी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें काफी सार है। हमारे आफ़िस के बार-बार प्रयत्न करने पर भी सरकार इस सम्बन्ध में असफल रही है कि वह ठीक समय पर विधान सभा के विचारार्थ अपने विधेयक पेश कर सके। अगर भविष्य में सरकार ने ऐसा ही रवैया रखा तो स्पीकर की तरफ़ से यह रियायत सरकार को नहीं होगी कि ३६ घंटे के पहले कोई बिल सदन के सामने विचारार्थ ले लिया जाय। मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसा कोई मौका नहीं देगी।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मार्ग पर बस दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री नारायणदत्त तिवारी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर विवाद होगा :—

"विगत जून तथा जुलाई मास में विभिन्न तिथियों को बद्रीनाथ-केदारनाथ मोटर-मार्ग पर पांच भयंकर बस-दुर्घटनाएं तथा रामनगर–भतरौजखान मोटर मार्ग पर एक बस दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप सौ से अधिक व्यक्ति मरे तथा अनेकानेक घायल हुये। इन दुर्घटनाओं से भारत भर को ठेस लगी है, तथा हमारी प्रदेशीय यातायात व्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ है तथा भविष्य में इन राष्ट्रीय यात्रा मार्गों में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकने की कल्पना को भी भारी ठेस पहुंची है। अतएव यह सदन उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुये तत्सम्बन्धी घटनाओं तथा परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, अनादिकाल से हमारे देश की लाखों-लाख जनता, धर्मवीर और धर्मपरायण जनता, उत्तराखंड और नार्दर्न क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ आदि तीर्थों में दर्शन-लाभ के लिये जाती रही है। यह मनुष्यों की जनधारा ११०० वर्ष पूर्व से जब शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की तब से मनुष्यों के प्रवाह में परिणत हो गई है। मनुष्यों का यह प्रवाह परमात्मा के चिन्तन हेतु एवं धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होकर, परमात्मा की प्राप्ति की लालसा से, वहां जाता रहा है और यात्रा मार्ग के संकटों का सामना करता रहा है। लेकिन पिछले दिनों में जो दो मोटर दुर्घटनायें इस सारे क्षेत्र में हुई हैं उन्होंने सारे देश में एक अविश्वास की लहर पैदा कर दी है। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि देश के गणमान्य समाचार-पत्र भी इस मार्ग को अब मृत्यु-मार्ग या डेथ रोड के नाम से लिखने लगे हैं। आपको याद होगा कि डेथ रोड की संज्ञा इतिहास में अभी तक केवल बरमा रोड को दी गई है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके कारणों को सोचे। ऐसी दुर्घटनाओं को हमें रोकना होगा। देश के यात्री हमारी यातायात व्यवस्था पर भरोसा करके आते हैं, वे अपने जीवन को हमारी व्यवस्था के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो हमें उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कल्पना भी नहीं करनी है।

(इस समय ३ बज कर ३८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, तथ्यों को भी जरा आप देखें। कैसे एक सिलसिले से दुर्घटनायें जारी हुई और चलती रहीं। ४ जून, १९६१ को ऋषिकेश-टेहरी रोड पर ५९ की बैडफोर्ड गाड़ी का पाली नाम के गांव के पास ऐक्सीडेंट हुआ जिसमें ६ व्यक्ति मरे और २८ घायल हुये। कारण बतायागया—'Unmanageable speed down motion bill'। कहा गया कि नियंत्रण नहीं हो सका।

दूसरी दुर्घटना ६ ही दिन बाद १० जून को रुद्रप्रयाग के पास हुई जिसमें, कहा जाता है, कि सन ५२ की बैडफोर्ड गाड़ी थी। इसमें ९ व्यक्ति मरे और २६ घायल हुये। विभागीय जांच के बाद यह बतलाया गया कि बाईं ओर कीचड़ और दाईं ओर बोल्डर थे और जब गाड़ी कीचड़ को बचाने के लिये बोल्डरों पर जाने लगी तो उन्होंने स्टीयर गेयर को तोड़ दिया। जिससे गाड़ी अलखनन्दा नदी में चली गई। श्रीमन्, यह ध्यान रहे कि इस ५२ सन् की बैडफोर्ड गाड़ी में २५ पैसेन्जर अलाउड थे लेकिन उसमें ३५ पैसेन्जर चढ़े हुए थे यानी ८ पैसेन्जर ओवरलोडेड थे।

तीसरी घटना १३ जून की है। यह गाड़ी ५१ सन् की शैवरलेट माडल की थी। जिसके बारे में ज्ञात नहीं होता कि कितने पैसेन्जर थे। २९ बताये जाते हैं और वे २९ के २९ मर गय। एक बड़े क्षोभ का विषय यह है कि ड्राइवर और कन्डक्टर उसके बच गये और पैसेन्जर सारे मर गये। यह एक विशेष प्रकार की घटना है। इसमें एक रहस्य है। इसका जो ड्राइवर है उसको ७ दिन पहले ही ड्राईविंग का लाइसेंस दिया गया था। उसके पहले उसी गाड़ी में वह क्लीनर था। किसने उसकी परीक्षा ली? किसने उसको सर्विस में रखा? जो वास्तव में स्थिति है उसके अनुसार सब से बड़ी बात यह है कि ५१–५२ के माडलों को सन् ६१ में वहां चलाने की इजाजत किसने दी? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस प्रकार की पुराने माडल की गाड़ियों को वहां चलाने की आज्ञा नहीं देनी चाहिये थी, जहां कि रोड मैटिल्ड नहीं हैं और जहां का वीअर एण्ड टीअर दुगना होता है। इस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी आर० टी० ओ० और इन्सपेक्टर के ऊपर भी जाती है। इस गाड़ी का टेम्पोरेरी परमिट तीन महीने के लिये रुद्रप्रयाग-चमोली के लिये इश्यू किया गया था, उस गाड़ी के लिये जो कन्डेम्ड थी। कन्डेम्ड गाड़ी के लिये क्यों यह परमिट इश्यू किया गया? क्या इसके लिये टैक्नीकल इंस्पेक्टर ने सिफारिश की थी। मेरी जानकारी के अनुसार कन्डेम्ड गाड़ियों को इस प्रकार के तीन महीने के परमिट टैम्प रेरी तौर से दिये जाते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हुए। अनजानकार ड्राइवरों के हाथ में गाड़ियां दे दी जाती हैं जो कन्डेम्ड गाड़ियों को पहाड़ों पर चलाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौथी दुर्घटना तोताघाटी के नाम से है जिसमें ३२ मरे और १० घायल हुए। इसमें ३४ पैसेन्जरों का स्थान था और ४२ बैठे हुए थे। ६ व्यक्ति अधिक थे। इस ओवर लोडिंग की इजाजत किसने दी? जब कि सब लोग यह जानते हैं कि एक पैसेन्जर का भी ओवर लोडिंग पहाड़ में कितना असंतुलन पैदा कर सकता है।

इसी प्रकार की पांचवीं घटना सिरोबडगर में हुई जिसमें २७ आदमियों की मृत्यु हुई और ३ सख्त घायल हुए। इन सबके बारे में जांच करने के लिये जांच समिति बैठी हुई है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इन दुर्घटनाओं के बीच में भी हम उनसे लाभ नहीं उठा सके। एक नहीं दो दुर्घटनायें हुईं लेकिन अगर हम सतर्कता बरतते या कम्पनी के जो प्रबन्धक हैं वे सतर्कता बरतते, तो यह जो बाद की दुर्घटनायें हुई हैं वह न हुई होतीं। गेट टाईमिंग नहीं बदले गये। वह अभी कल १ अगस्त से बदले गये। मैं जानना चाहता हूं कि गेट टाईमिंग्ज को न बदलने का क्या कारण है? उसका क्या प्रभाव पड़ा है? रेश ड्राईविंग की बात भी सामने आती है। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनको गाड़ियां तेज चलानी पड़ीं। मैंने स्वतः देखा है कि गेट टाईमिंग को पकड़ने के लिये ड्राइवरों को कितनी तेज गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि पहली अगस्त तक गेट टाइमिंग्ज क्यों नहीं बदला गया? पहले भी जब इस प्रकार दुर्घटना हुई थी और उसकी रिपोर्ट आयी थी तो उस रिपोर्ट को देख कर फिर कार्य क्यों नहीं किया गया?

इसी प्रकार जो देवप्रयाग से ऋषिकेश की सड़क है वह २० साल से बनी है और हर साल उस पर वी० आई० पीज जाते हैं। कहीं पर सड़क पर मोड़ के साइन पोस्ट्स नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि नेशनल हाईवेज जो हैं उन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से क्यों नहीं साइन पोस्ट्स ठीक किये गये। इसी तरह से टेढ़ी-मेढ़ी अलकनन्दा की काली घाटी में साइन पोस्ट्स का पता नहीं है। श्रीनगर से देवप्रयाग तक की तमाम सड़क पर कोई साइन पोस्ट्स नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गवर्नर स्पीड कंट्रोल करने के लिये नहीं लगे थे। मैं जानना चाहूंगा कि कुमायूं मोटर कम्पनी की तमाम जितनी गाड़ियां हैं उन पर कंट्रोल सेन्टर नहीं है तो उसके लिये आर० टी० ओज ने जितनी यूनियन्स हैं उनको क्यों नहीं हिदायत दी कि स्पीड लिमिट को चेक करने के लिये इस प्रकार के मीटर्स लगाओ? इस प्रकार के आर्डर्स दिये जा सकते थे।

सब से बड़ी बात यह है जिसका हम सब पर दोष है। यात्रा सीजन के शुरू होने के समय मीटिंग हुई जिसमें सभी अधिकारी वगैरह मौजूद थे और बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पिल कमेटी की सलाह से यह तय हुआ कि कुल सात सौ यात्री इस वर्ष प्रतिदिन यात्रा के लिये लाये जायं क्योंकि ७ सौ से अधिक यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था वहां नहीं हो सकती थी। लेकिन इसके फैसले के बावजूद भी प्रतिदिन १२ से लेकर १३ सौ तक यात्री ऋषिकेश से ले जाये गये। यानी ५ सौ और ६ सौ यात्री अधिक उस सीमा के जो निर्धारित थी वहां ले जाये गये। यह किसकी जिम्मेदारी है? क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उस फैसले को लागू किया? क्यों नहीं आर० टी० ओ० साहब ने इतने टेम्पोरेरी परमिट्स ईशू किये? क्यों नहीं कम्पनी ने फैसले पर ठीक से कार्यवाही की? मैं समझता हूं कि अगर सात सौ यात्रियों को भेजने का फैसला ठीक प्रकार से लागू किया गया होता तो यह घटनायें सम्भव नहीं थीं। वहां इतना ऐकमोडेशन नहीं होता जितना ऋषिकेश और हरिद्वार में होता है। फिर भी वहां से क्यों इतनी अधिक संख्या में यात्री प्रतिदिन ले जाये गये।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये १५ मिनट ही ज्यादा स ज्यादा दे सकते हैं। आप इसका खयाल रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—धन्यवाद। अब जांच समिति की बात आती है। मैं आज तक नहीं समझा कि पहले जहां पर पी० डब्लू० डी० की सड़क पर स्लिप्स होते हैं, पहाड़ कट कर गिरते हैं या कट जाते हैं वहां पर कौन इस बात को तय करता है कि स्लिप वाली जगह मोटरेबिल है या नहीं। जब कोई नई सड़क बनती है तो आर० टी० ओ० सर्टीफिकेट देते हैं और पी० डब्लू० डी० और आर० टी० ओ० मिल कर साथ-साथ निरीक्षण करते हैं। लेकिन जब

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सड़क टूट जाती है या जब उसमें 'स्लिप' आ जाता है तो उसके ठीक होने पर सर्टिफाई कौन करता है कि अब सड़क ठीक हो गई ? मैं कई बार वहां गया हूं और मैंने देखा है कि जो ड्राइवर होते हैं या जो मेट होते हैं वही यह तय करते हैं कि अब यह सड़क इस काबिल हो गई कि उस पर मोटर आ जा सकते हैं। नतीजा यह होता है कि उनको बाडी का हिसाब नहीं मालूम रहता कि किस गाडी का बाडी ६ फुट है, ८ फुट है या ९ फुट है। कितना लम्बा चौड़ा बाडी बसों का है इसका ध्यान नहीं रखा गया और गाड़ी रूट पर डाल दीं गयीं जैसा कि २९ जून वाले एक्सीडेंट में हुआ। उस सकरे मार्ग में चौड़ी बाडी वाली गाड़ी डाल दी गई और उसका फल यह हुआ कि वह नीचे अलखनन्दा में जा गिरी। आज तक किसी ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि "स्लिप" वाली जगहों में कौन-सी गाड़ी डाली जाय किस तरह से डाली जाय, कोई स्टेन्डर्ड आज तक नियत नहीं किया गया है।

२ मोटर दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी पी० डब्लू० डी० के स्टेंडर्ड न बनाने से उन पर आती है। इसके अलावा वहां यात्रा मार्ग में यह जानते हुये कि इन्सान की कमजोरी है और शराब के कारण दुर्घटनायें होती हैं, पिछले २ वर्ष में सारे यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानें बढ़ाई गई हैं। चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग आदि स्थानों पर दुकानें खोली गई हैं। हर जगह उनकी संख्या बढ़ी है जो कि यात्रियों की जान लेने और दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हुई हैं। यह किस की जिम्मेदारी है ? मैं किन्हीं व्यक्तियों का नाम नहीं लूंगा, न मैं किन्हीं अधिकारियों का नाम लेकर उनको दोषी ठहराना चाहता हूं, लेकिन वहां जो व्यवस्था पिछले दिनों में रही है वह निश्चित रूप से हमारे ट्रान्सपोर्ट विभाग, पी० डब्लू० डी०, एक्साइज विभाग और हमारी कम्पनियों को, जो हमारे यात्रियों की जान से खेल रही हैं इन सब पर दोषारोपण करने में मुझे मजबूर होना पड़ता है। सरकार को इस दिशा में प्रभावकारी कदम शीघ्रताशीघ्र उठाना चाहिये और तुरन्त इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। हम अब इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि हमारे अतिथि, भारतवर्ष भर के यात्री, यहां आयें और उनकी जान हम कम्पनियों के हवाले कर दें जिनकी कोई वर्कशाप नहीं, कोई उनको ठीक से कंट्रोल करने वाला, उनका एन्फोर्समेंट करने वाला और उन को ठीक से चलाने वाला नहीं है। सारा मैनेजमेंट दूषित है।

मेरा सुझाव है कि एक ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन बनाया जाय जिसमें सरकार के, बद्रीनाथ कमेटी के और इन कम्पनियों के ओनर्स के शेयर्स हों। इस प्रकार की यदि सरकार व्यवस्था करे तो एक प्रभावकारी कदम उठा कर हम उन दिवंगत यात्रियों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई जानकारी देंगे ताकि सही डिबेट ठीक से हो सके। आप देना चाहें तो दें।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हुसन)---बाद में ही मैं कहूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, क्या वह जानकरी भी पहले नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि जानकारी आप लोगों को ही ज्यादा है।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट शब्दों में इस सरकार की इस विषय में भर्त्सना करना चाहता हूं। मैं अपने मित्र नारायणदत्त तिवारी जी की उस बात से सहमत नहीं हूं कि जो जाने गई हैं इसकी जिम्मेदारी केवल कम्पनियों की है। मेरी राय में यह एक मात्र जिम्मेदारी सरकार की है। मैं स्वयं १ मई से उत्तरखंड के दौरे पर गया था और वहां की सड़कों की, जो स्थिति थी उस स्थिति की जानकारी हर स्थल पर और हर अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को, सरकार को कराई। किस तरह से वहां प्राइवेट मोटर चल रही हैं, किस तरह से वह बसें यात्रियों को भरती हैं, जिस तरह से उन की बसें खराब हालत में हैं, टूटी हैं, पुरानी

हैं, जिस तरह से उन के द्वारा दुर्घटनाओं की आशंका है, इन सभी बातों से हमने, जो रोडवेज के कर्मचारी रहे हैं उनको, जानकारी कराई है। श्रीमन्, यह सही बात है कि इस समय जो ऋषिकेश से जोशीमठ तक सड़क जाती है वह चौड़ी कराई जा रही है। उसका उद्देश्य बताया जाता है कि सेना के आवागमन के लिये है और हर जगह, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कहीं एक जगह चौड़ी हो रही है, जहां सकरी है चौड़ी कराई जा रही है। एक महीने पूर्व जब हम जा रहे थे तो सरकारी कर्मचारियों, चीफ सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आदि सभी से बातें कीं और सभी लोगों ने सलाह दी कि इस बार आप यात्रा पर न जायं तो ज्यादा अच्छा है। यदि मुझे ही अकेले जाना होता तो न जाता, मगर डाक्टर लोहिया भी जा रहे थे। यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों ने बार-बार सुझाव दिया था कि लोहिया साहब को भी इस साल नहीं जाना चाहिये, सड़क बन जाय तब जायं। तो हम लोगों ने कहा कि चलकर देखें तो कि क्या दुर्दशा है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी हमको रोकते हैं? श्रीमन्, इस सरकार की नीति राष्ट्र-भक्ति से हीन है। जब हमारा कैलाश और मानसरोवर चला गया तो हो सकता है कि बद्रीनाथ भी चला जाय। हो सकता है कि पार साल हम जाना भी चाहें तो भी न जा पायें, जैसे कैलाश और मानसरोवर नहीं जा पाते। इसलिये पूरी कोशिश हुई कि इस बार चलें और अच्छी तरह से जाकर देखें।

मैं पूछना चाहता हूं कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री माथुर को क्या श्रीनगर में हमने सुझाव नहीं दिया कि क्यों इन बसों को जाने देते हो? क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण करते? क्यों नहीं सरकारी बस चलाते? उत्तर क्या मिला? सरकार की नीति, सरकार जाने।

नारायणदत्त जी की यह बात बिलकुल सही है कि शराब की दुकानें बिलकुल सड़क पर हैं और जब ड्राइवर परेशान हो जाता है---उसी ड्राइवर को दिन में भी गाड़ी चलानी और उसी को रात में भी तो वह अपनी थकान को दूर करने के लिये, ऐसा लोग कहते हैं, शराब छान लेता है। जब शराब छान कर पहाड़ी रास्ते पर जहां दो मील के अन्दर तीन-तीन हजार फीट की ऊंचाई हो जाती है, जहां दो मील के अन्दर सात-सात चक्कर काटने पड़ते हैं, वह गाड़ी ले जायगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्दशा हो सकती है। तो शराब की दुकानें खोलना, प्राइवेट मोटर कम्पनियों के हाथ में सड़कों का छोड़ना और प्राइवेट बसों को चलाना---हमारे सुझाव के बाद भी सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया---ये सारे की सारी नीति इन दुर्घटनाओं के प्रति जिम्मेदार हैं।

परसों जब मैं इस सदन में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि माननीय मंत्री जी लालबहादुर शास्त्री का अनुकरण करें। उस समय भी चुनाव का जमाना था---सन् ५६। एक ट्रेन गिरी थी, लालबहादुर जी ने इस्तीफा दे दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि एलेक्शन स्टंट है। हमने कहा कि स्टंट ही सही पर आदर्श तो प्रस्तुत किया। तो यह भी एलेक्शन स्टंट करें, आदर्श तो उपस्थित होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यातायात विभाग के मंत्री इस्तीफा दें और उससे यह साबित करें कि जो दुर्घटनायें हुई हैं वह गम्भीर हैं, सरकार उनके लिये चिन्तित है और हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। अपनी नीति की जिम्मेदारी मानते हैं इसलिये इस्तीफा देते हैं। इससे कम अगर कोई कदम उठाया जाता है तो वह प्रभावकारी नहीं होगा। इससे ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है कि किसी की भर्त्सना कर ली, निन्दा कर ली।

२२ तारीख को लखनऊ में मेरी प्रेस कांफ्रेंस थी। मुझे बताया गया कि २० तारीख को सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकार राष्ट्रीयकरण करने नहीं जा रही है। क्यों? जहां पर देश और विदेश के यात्री आयें, जहां पर हजारों की तादाद में रोज यात्री आयें-जायं उस इतनी प्रसिद्ध और आवश्यक सड़क को सरकार अपने हाथ में क्यों न ले? उस पर अच्छी बढ़िया सरकारी बसेज क्यों न चलें? इसकी कोई सफाई सरकार की ओर से नहीं है और न हो सकती है। इसका एक कारण है, जिसकी मुझे जानकारी है कि जो मोटर मालिकान हैं आगामी आम चुनाव के लिये सरकार को काफी बड़ी थैली दे रहे हैं। और क्या यह सही नहीं है कि रानीखेत के उप-निर्वाचन में भी इन मोटर मालिकान ने थैलियां दीं? कहा जा सकता है कि गुप्ताजी के पास पैसे की कमी नहीं है। मगर यह सब होते हुए भी मेरी जानकारी है, और मेरी डायरी

[श्री राजनारायण]

में वह नम्बर नोट हैं, श्रीमन्, आपको दिखाऊंगा जो गाड़ियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंगेज की गईं वोटर्स को लाने के लिये। इसलिये जब मैं समझ रहा हूं कि मर्ज कहां है तो उसका अच्छी तरह से निदान करना आवश्यक हो जाता है, और करूंगा। मैं बताना चाहता हूं आज मर्ज है सरकार की दकियानूसी पूंजीपरस्त नीति में। सरकार उनको खिलाना चाहती है। करोड़पतियों के नोटों ले कर गरीबों के वोट को छीनना चाहती है और इस प्रकार शासन में आना चाहती है। यह सरकार की नीति है। इसलिये मैं नारायणदत्त तिवारी जी से कहूंगा कि मोटर मालिकान को ही दोषी कह कर अपने कर्त्तव्य की पूर्ति नहीं समझनी चाहिये। कहना है, भर्त्सना करनी है, निन्दा करनी है तो सरकार की होनी चाहिये, मुक्त कंठ से और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से मांग होनी चाहिये, कम से कम यातायात विभाग के मंत्री इस्तीफा दें, यों इस्तीफा तो सारी सरकार को देना चाहिये, मगर यदि पूरी सरकार नहीं देती, तो यातायात विभाग के मंत्री तो अवश्य ही जनतांत्रिक और राजनीतिक मर्यादाओं के लिये इस्तीफा दें।

मैं श्रीमन्, निवेदन करूं और आपको जानकारी कराऊं कि १० तारीख को जोशीमठ के डाक बंगले में मैं पहुंचा। ऋषिकेश से जोशीमठ का एक टिकट यात्रियों को मिलता है। बस वालों का कर्तव्य होता है कि जब टिकट दे दिया तो जोशीमठ में उतारें। पानी पड़ रहा था पीपलकोटी में, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कई सौ की तादाद में यात्री बसों से जबरदस्ती उतार दिये गये और वह बेचारे डेढ़, दो मील अपने सिर पर गठरी ले कर भाग रहे थे। डाक्टर लोहिया ने कहा कि इसको रोका जाय और पता लगाया जाय कि क्यों इस तरह की बदमाशी हो रही है? वह उतर कर आये। सरकारी कर्मचारी आये उन्होंने कहा कि इसकी निन्दा होनी चाहिये। सुबह छानबीन की तो पता चला कि एक टैक्स लगता है पुल का। मोटर मालिक कुछ गाड़ियां पुल के उस पार रखते हैं और कुछ इधर और उधर वाली बसों से यात्रियों को आगे को ले जाते हैं। इस तरह से उस टैक्स से अपने को बचाते हैं। और सरकारी बसेज होतीं तो क्या इस तरह के कुकर्म होते? हरगिज नहीं। इसलिये मैं मांग करूंगा कि सरकार तुरन्त उस रोड को अपने कब्जे में ले और वहां अच्छी सरकारी बसों को चलाने की व्यवस्था करे।

मर गये बेचारे, और जो कहा जा रहा है, न मालूम ऐसे कितने माई के लाल इस दुनिया से उठ गये जिनकी गणना नहीं है। मिलिटरी की लारी उलट गई, जैसा मैंने कल बताया था, १८ तारीख को मैं वहां मौजूद था, १२ बजे रात को भरी हुई ट्रक उलट गई। उसकी खबर कहीं अखबारों में नहीं आयी। बाद में जब बहुत पूछ पाछी की तो एक दरोगा जी कहते हैं कि ऐसा पता लगता है कि कुछ साधू उसमें थे। साधू कैसे आये? कहा कि मिलिटरी के ड्राइवर को दया आ गई और उसने कुछ साधुओं को, यात्रियों को बैठा लिया। इस तरह की बातें हो रही हैं। मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री जी का दौरा हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है, अस्पताल गमन हो रहा है और फिर भी कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। क्या इतनी घटनाओंके बाद कोई भी सरकार जिसका दिमाग स्वस्थ है इस प्रकार की घोषणा कर सकती है कि राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। ऐसी बातें वही सरकार करेगी जिसका दिमाग नरक के कीड़े ने चल चल कर चलनी की तरह कर दिया हो। इसलिये मैं कहता हूं आज यह सरकार जरा अपनी हैसियत को संभाले, समझ ले। यह सरकार हत्या कराने वाली, हत्या के दोष की भागिनी है। इसलिये इतनी कलंकिनी सरकार को अब गद्दी पर रहने देना नहीं चाहिये। क्या यह सरकार अब भी अपने हाथों से अपने चेहरे पर शर्म की कालिख पोतेगी? मैं चाहता हूं कि न पोते। क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने यह फैसला लिया था कि इस साल यात्रा बन्द कर देनी चाहिये? मगर वहां जो दिल्ली में बैठे हुए हैं यहीं इलाहाबाद के रहने वाले माननीय श्री जवाहरलाल जी। केन्द्रीय सरकार से यह बात हुई कि अगर यह यात्रा बन्द कर दी जायगी तो बड़ी बदनामी होगी और आगामी आम चुनाव आ रहा है, उस पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसलिये सड़क भी बनती रहे और यात्रा भी चलती रहे। और, श्रीमन्, एक बार तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि शायद यह पहाड़ का पत्थर हमारे सिर पर ही पड़ेगा,

क्योंकि एक दफा जब हम वापस आ रहे थे तो हल्ला मचा कि रुक जाओ, क जाओ और तब तक एक बड़ा भारी रोढ़ा खड़-खड़ करता हुआ हमसे थोड़ी दूरी पर आ कर रुका। वहां पर पहाड़ तोड़ा जा रहा था, ब्लास्ट किया जा रहा था। तो क्या इस प्रकार की मृत्युओं के लिये यह सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्यों नहीं सड़क बनाने में जल्दी करायी गयी? क्यों नहीं समय के अन्दर सड़क को बनवाया गया? इसमें भी एक राज है। ठेकेदारों से भी हमारी बात हुई क्योंकि जो अच्छी सड़क थी उसको तो इस सरकार ने खड़ा करवा दिया और जो खराब सड़क थी उसकी मरम्मत करवाई नहीं। तो यह कहा गया कि ठेकेदारों को पैसा कम दिया जाता है इसलिये ठेकेदार धीरे-धीरे चलते हैं। इस तरह से जो कई सौ यात्रियों की जानें गयीं यह सरकार उनको मुआवजा क्यों न दे?

इन तमाम बातों के बाद मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि लाल बत्ती हो गयी है कि इस सरकार के चेहरे पर जो कलंक की कालिमा लगी है उसको वह धोये, इस सड़क का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करे और जो मरे हैं उनको मुआवजा दे।

*विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, जो दुर्घटनायें हुई हैं उन सब का हम सब को अफसोस है और अफसोस होना भी चाहिये। २५ तारीख को यह दुर्घटना हुई। उस समय मुख्य मंत्री जी टेहरी में थे। उससे पहले भी परिवहन मंत्री ने, क्योंकि मैं उस वक्त ऋषिकेश में था, मुझसे टेलीफोन पर यह कहा था कि जरा जा कर देख आओ कि क्या कारण है इन दुर्घटनाओं का। मुख्य मंत्री जी ने भी मुझे यह आदेश दिया और मैं जहां-जहां दुर्घटनायें हुई थीं वहां देखने के लिये गया भी। हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते। दुर्घटनायें बड़े दुख का कारण हैं। हम जानना भी चाहते हैं कि वह क्यों हुई? यह भी मैं आपसे बता दूं कि श्रीनगर से आगे सड़क चौड़ी की जा रही है। उससे पहले भी कुछ सड़क, जैसी की हमारी नयी स्कीम है, चौड़ी और अच्छी बनायी जा रही है, पक्की भी की जा रही है। पहले एक विचार यह भी था कि चूंकि यह सड़क चौड़ी नहीं है इसलिये यात्रा रोक दी जाय। पर चूंकि यात्री आते हैं और वे चाहते भी हैं कि जायं इसलिये शायद यह सम्भव नहीं हुआ कि वहां की यात्रा बिल्कुल रोक दी जाय। पर जैसा कि मैंने आपसे बताया, मैं सभी स्थान देखने गया और भाई नारायणदत्त जी और राजनारायण जी को बताना चाहता हूं कि जो ये चार दुर्घटनायें हुई हैं इनमें से कम से कम तीन जगहें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भी खराब नहीं हैं। तोताघाटी की सड़क, जैसा कि मैंने देखा, वहां कोई तब्दीली नहीं हुई और इस पर २०-२५ वर्षों से निरन्तर लारियां चल रही हैं। दूसरा स्थान भी ऐसा ही है। एक स्थान पर मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि वहां कुछ सड़क चौड़ी हो रही थी लेकिन ऐसी नहीं थी कि कोई ऐक्सीडेंट हो जाय।

जहां तक इन लारियों का सवाल है, मैं यह मानता हूं कि इनमें से दो माडल पुराने थे, लेकिन दो माडल्स, एक चम्बा वाला और दूसरा तोताघाटी वाला, डेफिनिटली बिल्कुल नये माडल्स थे। तोताघाटी वाला तो १९६१ का माडल था और १५ रोज पहले ही उसमें बाडी लगी थी। चम्बा वाला १९६० का माडल था। इनमें दो माडल नये थे और दो पुराने थे। इनकी बाडीज उसी तरह की हैं जो २० साल से चली आ रही हैं। (व्यवधान) मैं इस बात को जानता हूं और अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो अच्छा होगा। इस समय आप मेरी बात सुनें और बाद में जवाब दे दें। तीन ड्राइवर ऐसे थे जो बहुत पुराने थे और एक ड्राइवर जो तोताघाटी वाले ऐक्सीडेंट का था वह न केवल अच्छा ड्राइवर ही बल्कि एक अच्छा मिकैनिक भी था। मैं भी उसको जानता हूं और जब कभी हमारी गाड़ी खराब हो जाती थी तो हम उसको बुलाते थे। उसको काफी ज्ञान था। एक ड्राइवर जरूर ऐसा था जिसके लिये हमारे भाई नारायणदत्त जी ने कहा है। मैं किसी को डिफैंड नहीं करना चाहता हूं। जो मुझे पता लगा उसको मैं सदन को बता देना चाहता हूं। माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि ७/८ रोज पहले ही उसने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्ति पन्न शर्मा]

लाइसेंस लिया था। बात ऐसी नहीं थी। उसका लाइसेंस १३ जून, १९५९ को बना था। यह मुमकिन है कि पहाड़ों पर ३, ४ महीने से ही मोटर चलानी शुरू की हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके लाइसेंस में हिल इंडोर्समेंट किस तारीख को हुआ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जहां पर ऐक्सीडेन्ट्स हुए हैं वहां की सड़कें खराब नहीं हैं। तीन ड्राइवर पुराने थे और एक ड्राइवर जरूर ऐसा था जिसके पास पुराना लाइसेंस नहीं था। इस रूट में गेट नियम ऐसे बने हुए हैं कि कोई मोटर ८ मील प्रति घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती है। यह मैं मानता हूं कि यह मुमकिन हो सकता है कि अगर मोटर को ५ घंटे में पहुंचना है तो ड्राइवर बीच में कहीं रोक दे और फिर भगाकर मोटर ले जाय। लेकिन जो गेट के नियम हैं वह ऐसे हैं कि ८ मील से ज्यादा मोटर एक घंटे में चल नहीं सकती है।

श्रीमन्, मैंने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ऐक्सीडेंट हुए हैं उनमें से कोई ड्राइवर शराब पिये हो। दो ड्राइवर तो रहे ही नहीं, इसलिये उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। वैसे ड्राइवर शराब पीते हैं लेकिन जहां तक मुझे लोगों ने बताया वह यह है कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो शराब पिये हुए हो। एक बात का जरूर पता चला कि कुछ ड्राइवर रात को देर तक ताश वगैराह खेलते रहे। इसलिये यह संभव हो सकता है कि वह थक गये हों।

एक बात मैं अवश्य मानता हूं कि जो ड्राइवर चलते हैं उनके ठहरने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है। उनके लिये कोई ऐसे रेस्ट रूम नहीं हैं जहां पर ड्राइवर्स आराम कर सकें और जब सुबह गाड़ी चलावें तो आसानी से चला सकें। ऐसा हमारे प्रदेश में कहीं भी इंतजाम नहीं है। मुझे यह भी बताया गया कि कम से कम दो ड्राइवर्स ऐसे थे जो रात भर ताश खेलते रहे। यह बात मैं मानने के लिये तैयार हूं।

एक बात और है। जहां पर ऐक्सीडेंट हुआ है, जब कभी भी लोग वहां जायेंगे तो देख कर इस नतीजे पर वह पहुंचेंगे कि आखिर वह ऐक्सीडेंट हुआ कैसे। मैं आज भी यही जानने की कोशिश में हूं। चौधरी साहब गये थे, और लोग भी गये थे। ऐसी जगह ऐक्सीडेंट हुआ है जहां सड़क चौड़ी है, नयी गाड़ी, अच्छा ड्राइवर। जानते नहीं कि ऐक्सीडेंट हुआ कैसे? एक बात जरूर हमारे सुनने में आयी। गुप्ता जी जब एक मरीज को अस्पताल में देखने गये तो डाक्टर साहब ने कहा कि ड्राइवर तेज चलाने वाला था, कभी-कभी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करता था। लेकिन जहां ऐक्सीडेंट हुआ है वहां यह मालूम नहीं पड़ता कि तेज चलाने की वजह से ऐक्सीडेंट हुआ है। मालूम यह पड़ता है कि इस ड्राइवर का ऐक्सीडेंट होने से पहले हार्ट फेल हो गया और हार्ट फेल होने की वजह से.....(शोर).....जरा सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—जरा खामोश रहें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—संत तुको जी ने बताया कि उनको यह पता चला कि उस ड्राइवर ने एक रोज पहले जब दो गोलियां दवाई की खायीं तो उन्होंने पूछा कि आप गोली क्यों खा रहे ह? उसने कहा कि मुझको कुछ विजन डबिल दिखता है। जब मैं दवायी खा लेता हूं तब कुछ ठीक हो जाता है। हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर या कोई दूसरा मर्ज हो और दवायी खाने से उसको कुछ रिलीफ मिलता हो। मैं नहीं जानता कि यह कारण है या कोई और कारण है। वह चीज हमारी कमेटी के जिम्मे है और और लोग भी हैं, उनके देखने की है।

एक बात यह कही गयी कि लोगों को रोकते क्यों नहीं। मैं जब यात्रा से लौट रहा था तो सड़क खराब होने की वजह से यात्री रुके हुए थे। एक रानी साहिबा भी थीं, मैंने चाहा...

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय शर्मा जी सम्बन्धित समिति के मेम्बर हैं। मेम्बर होते हुए उन्हें फाइंडिंग करनी है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या उनको यह कहना चाहिये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं उसका मेम्बर हूं ही नहीं। आपका खयाल गलत है।

श्री अध्यक्ष—हमारी "कमेटी" उन्होंने कहा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मुझे इसका दुख है कि यह घटनायें हुयीं। लेकिन जो उनके कारण हैं वह आपको ढूंढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपसे बताया कि जो आपने एक चीज बतायी वही एक चीज नहीं है। अगर आप यह समझे कि गाड़ियां खराब होने की वजह से ऐक्सीडेंट हुए तो दो गाड़ियां तो पुरानी थीं लेकिन दो गाड़ियों बिलकुल नयी थीं। जहां ऐक्सीडेंट हुआ है वहां सड़क खराब नहीं है। तो जो चीज आपके दिमाग में हैं वही ऐक्सीडेंट का एक मात्र कारण नहीं है। दूसरे भी कारण हैं। आपको उनको ढूंढ़ने की बात है। सरकार के भी ध्यान में है और कमेटी भी एप्वाइंट हुई है वह डिटेल में जायेगी।

मैं जो बात कह रहा था वह यह थी कि कुछ यात्री ऐसे चलते हैं, कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं कि अगर आप उनसे कहें भी कि आप न जायें तो मानते नहीं। मैंने जैसा कहा कि मैंने जब लोगों से कहा जब वहां ऐक्सीडेंट हो गया था, कि वहां तो अब बहुत खतरा है, आप आगे न जायं, तो उन्होंने यह कहा कि आप हमें यह बताइये कि अगर हम अपने घर पर रह जायं तो वहां क्या आप हमारी जान की गारंटी लेते हैं कि वहां हमारी जान नहीं जायगी ? जो जब वह इतना तुले हुए हैं तो यह कहना कि आप उनको रोक क्यों नहीं देते, कोई मानी नहीं रखता है क्योंकि वह रुक नहीं सकते थे। अगर आप वेहिकिल्स रोक दें तो वह पैदल ही चले जायगें। बहरहाल यह फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को आपको जानना चाहिये। आप एक तरफ आइडिया न बना लें। मैं यह नहीं कहता, हो सकता है कि वह भी कारण न हों जो कि आपके दिमांग में हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया केवल वही कारण नहीं हैं। उसके अलावा और कारण भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट तो ऐसे होते ही हैं, लेकिन यह हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम और आप इस बात का प्रयत्न करें कि ऐसे ऐक्सीडेंट्स को होने से बचावें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की आशा करता था कि शर्मा जी ऐक्सीडेंट के कारणों पर कुछ प्रकाश डालेंगे परन्तु मुझे दुख है कि उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा। अंग्रेजी का एक फ्रेज है 'मैटर्स हैव बीन वर्स कन्फाउंडेड'। उन्होंने यह स्वयं स्वीकार किया कि ऐक्सीडेंट के कुछ कारण और हैं। लेकिन वे क्या हैं, यह उन्होंने नहीं बताया। माननीय मंत्री जी मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत होऊं, अभी कल जब शार्ट नोटिस क्वेश्चन पर यह विषय चल रहा था तो माननीय मंत्री जी ने बहुत जोर से कहा था कि सड़कें खराब हैं, लैंड स्लाइड हो गया। आज शर्मा जी कहते हैं कि जहां ऐक्सीडेंट हुआ वहां सड़कें नहीं खराब हैं। तो हम किस चीज को सही मानें ? कल को सही मानें या आज को सही मानें ? हम इस पर विचार क्या करें ? जो सूचना शर्मा जी ने हमको दी उसमें यह जानना चाहता था कि जो नयी बसेज की बातें उन्होंने कही उनका व्हील बेस क्या था ? उनका टर्निग बेस क्या था ? क्योंकि मैदान में जो बेस बसें चलती हैं उनका व्हील बेस बड़ा होता है, उनका टर्निग बेस बड़ा होता है और पहाड़ में जो बसें चलती हैं उनका व्हील बेस छोटा होता है, उनका टर्निग बेस छोटा होता है, इतना ही नहीं, २१ सवारियां पहाड़ की बसों में साधारण तौर से चलती हैं और २९ अगर उस पर लोड था तो क्या उसका व्हील बेस था और क्या टर्निग बेस था ? मैं जानना चाहूंगा कि नयी बस अगर थी तो उसके टेकनिकल डीटेल्स सरकार सदन के सामने रखे। अगर मान लिया जाय कि सड़क ठीक थी, ड्राइवर ठीक था, तो महज क्या टेकनिकली वह बसें डिफेक्टिव थीं जो घूम नहीं सकीं ? इस दृष्टि से भी इसके ऊपर प्रकाश पड़ना चाहिये था, लेकिन प्रकाश नहीं पड़ा। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ड्राइवर्स पुराने थे। मैंने मान लिया, लेकिन पहाड़ पर गाड़ियां चलाने के

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

लिये जो लाइसेंस दिया जाता है उसके पहले उनका एक विशेष टेस्ट होता है । क्या वह विशेष टेस्ट उन्होंने पास किया और उसके बाद उनको लाइसेंस दिया गया ? या कहीं और चलाते रहे, उनको लाकर यहां लगा दिया गया, इन सब बातों पर भी मंत्री महोदय ने प्रकाश नहीं डाला ।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि ड्राइवर जो था उसको डबल विजन दिखता था । वह कुछ गोलियां खा रहा था । तो वह नया ड्राइवर था या पुराना था ? वह गोलियां स्टिमुलेंट थीं या इन्टाक्सिकेंट थीं, या हिन्द केमिकल्स की टिंचर जिंजर की गोलियां थीं ? कैसी गोलियां थीं ? इस पर भी मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला । अगर इन्टासिकेंट गोलियां थीं तो जो इधर से चार्ज नारायणदत्त जी ने लगाया कि ड्राइवर्स पीकर चलते हैं अब चाहे वह बोतल से पीये हों या सालिड रूप में खाया हो, बात एक ही है उनका वह चार्ज सही है। अगर स्टिमुलेंट थीं तो ऐसे पेसेंट को क्यों वहां परमीशन दिया गया ? इनका इन्फोर्समेंट स्क्वाड कहां गया ? वह जो सारे रूल्स हैं उनका एन्फोर्समेंट कोई स्क्वाड ही तो करता होगा या कोई स्क्वाड ही नहीं है ? बिलकुल स्वतंत्र छूट है ? मैं चाहता था कि इस पर मंत्री जी प्रकाश डालते, लेकिन उन्होंने इस मामले को भी अन्धकार में ही डाल दिया ।

श्रीमन्, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि यात्रा के समय टेम्पोरेरी परमिट्स दिये गये । परन्तु इसका अर्थ क्या ? क्यों टैम्पोरेरी परमिट दिये गये ? क्या बदरीनाथ की यात्रा लोग पैदल नहीं कर सकते हैं ? अगर मंत्री महोदय ने यह मान लिया था कि वह यात्रा रोक दी जाय तो विहिकिल्स ट्रैफिक रोक देते, ट्रान्सपोर्ट ट्रैफिक रोक देते और पैदल यात्रा चलने देते । यह कहकर हटना उचित नहीं समझा जा सकता कि यात्रा रोक दी जाती । मैक्निकल ट्रान्सपोर्ट को रोका जा सकता था । इसमें किसी को आपत्ति की बात नहीं हो सकती थी। आज तो यह देखने में आता है कि जो यात्री मुक्ति के लिये गये वह तो जग जीवन से जरूर मुक्त हो गये, किन्तु उनको बदरीनाथ के दर्शन हुये या नहीं, इसको मंत्री महोदय ही बता सकते हैं।

मैं माननीय परिवहन मंत्री का ध्यान इसी प्रकार की एक रेल दुर्घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस एक एक्सीडेंट को लेकर माननीय लालबहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था। आपके यहां तो ३, ३ एक्सीडेंट हो गये और ५, ५ एक्सीडेंट हो गये तब भी वह उनका अनुसरण नहीं करते और इस्तीफा नहीं देते। लोक सभा में उसके सम्बन्ध में यह कहा गया कि हम चाहते हैं कि देश के अन्दर एक राजनैतिक डेमोक्रेटिक परम्परा बने और विभागों का चरित्र ऊंचा हो। उस परम्परा का हमारे परिवहन मंत्री महोदय परिपालन करने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

दूसरी चीज हमको यह देखना है इन एक्सीडेंट के पीछे क्या है । जब यात्रा का समय आता है तो सब प्रकार की सवारी मुनाफा कमाने की दृष्टि से प्रयोग में लाई जाती है । उनको किराया मिलता है । मुनाफा कमाने की अन्धाधुन्ध दृष्टि से वहां जहां मालिकों ने गड़बड़ की वहां सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह इस प्रकार से न होने दे और इस प्रकार की गड़बड़ी वहां न होने पाये । वह सरकार ने नहीं किया। उनको चाहिये था कि इस प्रकार विहिकिल्स को रोक देते। अगर उनको विहिकिल्स नहीं मिल सकते थे तो पैदल ट्रैफिक ही जाने देते । परन्तु दोनों बातें सरकार ने नहीं की। मैं चाहता था कि माननीय मंत्री महोदय नारायणदत्त जी तिवारी के बाद इस विषय को स्पष्ट करते, परन्तु उन्होंने कुछ नहीं कहा । शर्मा जी ने कुछ कहा । उसको मैं मान लेता हूं कि वह शायद मंत्रि मंडल की तरफ से ही उन्होंने कहा है । परन्तु उन्होंने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा कि उनके विचार में क्या कारण थे कि ट्रान्सपोर्ट को रोक दिया जाता लेकिन मैं यह समझता हूं कि उन्होंने कोई प्रकाश उन कारणों पर नहीं डाला । जहां गड़बड़ी की सम्भावना है वहां सरकार की ओर से प्रबन्ध हो लेकिन सरकार की ओर से कर्त्तव्य में व्हाइट वाश कर दिया गया है । मैं समझता हूं यह उचित नहीं है । यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है । इसमें किसी दल का प्रश्न नहीं है । इसमें मनुष्य के जीवन का प्रश्न है । यह ऐसा प्रश्न है जिस पर सरकार की ओर से बहुत स्पष्ट वक्तव्य आना

चाहिये । बड़े दुख का विषय है कि सरकार की ओर से स्पष्ट वक्तव्य नहीं आया । इसमें वास्तविकता को देखने की बात है । जो वक्तव्य दिया गया है उसमें वास्तविकता को अलग किया गया है । मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह किसी ने जानबूझ कर किया और न मैं किसी की नीयत पर आक्रमण करता हूं । परन्तु मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार का वक्तव्य आना चाहिये वह नहीं आया । वास्तव में होता रहा है कि जिस प्रकार से हर विभाग में वक्तव्य तैयार होते हैं उसी प्रकार से इस विभाग ने व्हाइटवाश करने का प्रयत्न किया है । अवास्तविकता के साथ और बिना विचारे हुए सदन के सामने वक्तव्य रखा गया, यह दुख की बात है । जो सरकार कल्याणकारी राज्य होने का दावा करे, उस राज्य में मनुष्य जीवन की सुरक्षा के प्रति इस प्रकार से खिलवाड़ की जाय उसको कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता । बदरीनाथ की यात्रा में यह जो दुर्घटनायें हुई हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनमें मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ की गई है और गैर जिम्मेदारी के साथ खिलवाड़ की गई है । यह नहीं होना चाहिये । इस प्रकार की जो बातें थीं वह बहुत स्पष्ट आना चाहिये थीं, वह नहीं आईं ।

अब रहा मुआवजे का प्रश्न । यह सरकार उनको मुआवजा देगी या नहीं ? इस सम्बन्ध में अब लीगली कुछ भी कह लें लेकिन क्या राज्य पर मुआवजा दिलाने की मारेली जिम्मेदारी है या नहीं ? चाहे आप दें या कुमायूं मोटर यूनियन से दिलायें लेकिन उनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिये । उसको दिलाने की सरकार की जिम्मेदारी है । उससे सरकार भाग नहीं सकती है । यह नहीं हो सकता है कि लीगल फ्ला लेकर आप उसकी जिम्मेदारी से भागें । मैं समझता हूं सरकार इस ओर विचार करे ।

तीसरी बात जो, श्रीमन्, कही गई है कि हमने वहां वन वे ट्रैफिक कर रखा है और फाटक ऐसे बनाये हैं कि ८ मील की स्पीड से गाड़ियां चलें, ८ घंटे में ६४ मील चलती हैं, यह ठीक है । लेकिन यह स्वाभाविक है कि जब गाड़ियां लेट होने लगती हैं तो ड्राइवर्स उन्हें तेज भगाते हैं ताकि समय के अन्दर गेट पार कर सकें । अगर समय पर गेट नहीं पार कर सकेंगे तो ट्रैफिक जाम हो जायगा । मैं अपने अनुभव को बतलाऊं । शिमला में पहले वन वे ट्रैफिक था और फिक्सड टाइम पर गाड़ियां कालका से छूटती थीं । लेकिन देखा जाता था कि अगर ४५ मिनट भी बाकी हैं तो भी गाड़ियां छोड़ दी जाती थीं और नतीजा यह होता था कि रास्ते में गाड़ियां रुक जाती थीं । मुसाफिर नहीं चाहता कि जंगल में उसे रुकना पड़े और ड्राइवर ही ऐसा क्यों चाहेंगे । वह सोचता है हम पड़े रहकर क्या करेंगे । तो गेट्स कितने ही बनें लेकिन यह स्वाभाविक टेम्पेटेशन है और इस कारण ओवर स्पीडिंग होती है यह दोष उसमें रहता है । इसके लिये या तो आप डबल ट्रैफिक रखें अन्यथा आपका इंफोर्समेंट स्क्वायड इतना स्ट्रांग हो कि वह इस प्रकार का टेम्पटेशन न होने दे अन्यथा दुर्घटनाओं के बाद दुर्घटनायें होंगी । मैं तो समझता था कि एक दुर्घटना के बाद सरकार को सचेत हो जाना चाहिये था, लेकिन यहां चार, पांच दुर्घटनाओं के बाद कमेटी नियुक्त की गई है । माना कि इस समय कमेटी नियुक्त करना ठीक था लेकिन पहली या दूसरी दुर्घटना के बाद सरकार ने क्या कदम उनको रोकने के लिये उठाये ? अगर कहीं हैजा फैल जाय या महामारी फैल जाय, तो सरकार क्या यह कहेगी कि हम इसकी जांच करेंगे, लोगों को मरने दिया जायगा ? पहले दूसरे ऐक्सीडेंट के बाद ही यह जरूरी कदम उठाये जाने चाहिये थे । सरकार को इमीडियेट ऐक्शन लेना चाहिये था, लेकिन वह नहीं हुआ ।

अंत में एक बात की मांग करूंगा और वह उचित मांग है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग को सरकार अपने हाथ में ले और वहां अपनी रोडवेज की बसें चलवाये और वहां का यातायात सुनियोजित, सुनिश्चित और उचित ढंग से चलाया जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनायें होने का अवसर न आने पाये ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, बद्रीनाथ तीर्थ-स्थान का अपना एक महत्व राष्ट्रीय पैमाने पर है । उसके मार्ग में जो दुर्घटनायें हुई हैं उनको मैं राष्ट्रीय महत्व की घटना मानता हूं । मेरा खयाल है कि प्रयाग की कुंभ दुर्घटना के बाद इस प्रकार की दुखद दुर्घटना .....

(इस समय सदन में बिजली के पंखों से बंधे तारों के टूट जाने से कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अब आप जारी रखें ।

श्री झारखंडेराय—मैं यह कह रहा था कि प्रयाग की कुम्भ दुर्घटना के बाद यह पहली महत्वपूर्ण दुखद दुर्घटना है जिस पर हम इस सदन में विवाद कर रहे हैं । मैं इसको मनुष्यकृत हत्याकांड समझता हूं और मेरा अपना विचार है कि पी० डब्ल्यू० डी०, यातायात विभाग और मोटर कंपनी पर इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी है । यदि सड़कें दुरुस्त होतीं और उनमें कोई गड़बड़ न होती और यातायात विभाग मोटरों की ठीक जांच-पड़ताल करके व्यवस्था कर पाया होता और कम्पनी इस मार्ग पर अपने कर्त्तव्य का ठीक से निर्वाह करती तो पहले तो यह दुर्घटना ही न होती या पहली या दूसरी दुर्घटना के बाद उनकी कुछ रोकथाम की जा सकती थी । सन् १९५१ में सतपुली में एक भीषण दुर्घटना हुई थी जिसमें कि २२ मोटरें और उनके चालक गंगा की गोद में समा गये थे । उसके बाद की यह पहली घटना है जिस पर कि आज विचार हो रहा है । अक्सर ऐसी घटनाओं में अधिकारीगण मजदूरों पर ही दोषारोपण करके अपने बचाव की कोशिश करते हैं ।

इस घटना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि जब पहली घटना हुई, दूसरी घटना हुई, तो उसके बाद यातायात को क्यों नहीं रोक दिया गया ? माननीय शर्मा जी ने इस बात की चर्चा की कि लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इसलिये वैसा करना ठीक नहीं होता । किन्तु ऐसी बात नहीं है, यातायात को रोका जा सकता था । यह सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि पहली या दूसरी घटना के बाद यातायात को रोक देना चाहिये था । उन दुर्घटनाओं की पूरी तरह से जांच करके ही यातायात को खोलना चाहिये था । यह नहीं किया गया, इसलिये इन घटनाओं के लिये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है ।

मान्यवर, मैं तो गया नहीं, किन्तु मेरे पास सूचना यह सब है कि दुर्घटनाओं के बाद, अर्थात् २१ जुलाई को जो दुर्घटना हुई उसके बाद पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के कर्मचारी इस कार्य में लगे रहे कि किसी तरह वहां के मलवे को, यानी पत्थर के टुकड़ों वगैरह को साफ किया जाय बजाय इसके कि वे यह प्रयत्न करते कि उस दुर्घटना में जो घायल खड्ड में पड़े थे—मृत अथवा जीवित उनकी मदद करते । उनको बचाने की कोशिश के बजाय उन कर्मचारियों ने मिट्टी और पत्थर आदि के मलवे को सड़क के नीचे उन लाशों पर डालते रहे । इस बात की भी माननीय मंत्री जी जांच करें और अगर उनके पास कोई सूचना हो, तो वे दें ।

राष्ट्रीयकरण की बात भी कही गई है । अब यह अवसर आ गया है कि सरकार को मुख्य मुख्य मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । ऐसा करने से सम्भव है कि मोटर मालिकों को आपत्ति हो और वह इसका प्रतिरोध करें, किन्तु यहां सदन में जो भावनायें व्यक्त की गई हैं उनको देखते हुए सरकार को यह कार्य करने में कठिनाई नहीं होगी और बल ही मिलेगा । कम से कम सरकार को इस मार्ग पर तो रोडवेज की बसें ही चलानी चाहिये थी । इसका एक राष्ट्रीय महत्व है और सरकार को अब इस ओर अधिक तेजी से कदम उठाना चाहिये ।

मान्यवर, इन सड़कों पर चलने वाले जो क्लीनर्स और ड्राइवर्स होते हैं उनकी हालत भी बड़ी खराब होती है । शर्मा जी ने भी दबी हुई जबान से उसको स्वीकार किया है । यह विषय भी एक महत्वपूर्ण विषय है । उन ड्राइवरों और क्लीनरों के लिये आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं है । वे लोग मोटरों में ही गठरी बंधे हुये पड़े रहते हैं और उसी में रात गुजार देते हैं, फिर थकान और नींद भरी आंखों से वे मोटर चलाते हैं और इस प्रकार की घटनायें हो जाया करती हैं । इसलिये उनके लिये खाने पीने तथा रहने व आराम करने का उचित प्रबन्ध प्रत्येक केन्द्र पर होना चाहिये ।

शराब की दूकानों की काफी चर्चा हो चुकी है । यह रोग भी हमारे मोटर ड्राइवरों में काफी घर कर गया है और इसकी रोकथाम जरूर कुछ करनी होगी। आये दिन जो ट्रकों से दुर्घटनायें होती है, मैदानों में और सीधी सड़कों पर, उसका भी बहुत कुछ कारण यही होता है कि ट्रक ड्राइवर्स या मोटर ड्राइवर्स शराब में काफी बुत चलते हैं और कभी-कभी उनका दिमाग गड़बड़ हुआ तो मोटरें लड़ जाती हैं और बहुत सी घटनायें भी आये दिन होती हैं । यदि शराब पीकर मोटरें पहाड़ों पर चलाई जायेंगी तो कितनी घटनायें होंगी, इसका अन्दाज नहीं किया जा सकता है ।

पहाड़ पर ८० फीसदी मोटर्स उधार या कर्ज पर ली जाती हैं और इसलिये उनके मालिक चिन्तित रहते हैं कि हमें जल्दी से इन्स्टालमेंट को पूरा करना है । वे दबाव देते हैं ड्राइवरों पर और क्लीनरों पर कि तुम जितना तेज चला सकते हो, चलाओ । जितनी बार आ जा सकते हो, आओ-जाओ और लाइसेंस के सरकारी प्रतिबंधों को तोड़कर भी, अगर यह काम कर सकते हो, तो करो ताकि पैसा काफी निकले। जिससे वे मजदूरों को मजदूरी दे सकें, अपना हिस्सा ले सकें और इन्स्टालमेंट भी दे सकें । इस बात का टोटल असर इन घटनाओं पर पड़ता है ।

ड्राइवर्स और क्लीनर्स की हालत पूरे क्षेत्र में यह है कि जिस तरह से जारशाही के समय में अर्थदास थे, उन अवस्थाओं में वहां के ड्राइवर्स और क्लीनर्स को रखा जाता है । उन्हें वेतन समय पर नहीं मिलता और उसका असर भी उनके दिमागों पर रहता है । इसलिये मैं कहता हूं कि जो कमेटी बिठाई गई है वह इन सब बातों को देखें और सोचें कि किस प्रकार से इन घटनाओं की रुकावट हो सके, इनको रोकने के कौन से उपाय हो सकते हैं ।

अन्त में, मैं एक बात और कहूंगा कि जो यात्री उसमें चल रहे थे वह तीर्थयात्री थे या मामूली यात्री। उनका कोई दोष तो नहीं था । इसलिये उनको मुआविजा न मिले, इसका कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता। मैं इस बात का पक्षपाती नहीं हूं कि कहीं भी किसी प्रकार की घटनायें हों तो उनको मुआविजा दिया जाय, लेकिन यह जो घटनायें हुई हैं इनके लिये जिम्मेदारी बहुत मानों में सरकार पर भी आती है, इसलिये कि सीमा से अधिक यात्री लाद दिये गये, तो उसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है जिन्होंने उनको इतना अधिक लादने दिया या बीच में चेक नहीं किया । इस मरने में यात्रियों की जिम्मेदारी तो थी नहीं। इसलिये सरकार इस बात के लिये नैतिक रूप से बाध्य है कि इन मरे हुये या घायल लोगों को भरपूर मुआविजा दे ।

मैं इन घटनाओं के महत्व पर पुनः एक बार जोर देते हुये चाहूंगा, इसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह उससे ऊपर की बात है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को, जिस अंश तक उसकी जिम्मेदारी है, सड़कों के खराब रहने, यातायात के नियंत्रण और संचालन करन आदि की, उस वह स्वीकार करे और साहस के साथ सही तरीके से अपने कर्त्तव्य का पालन करे ।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में आज जो चर्चा चली है उसका महत्व सर्वविदित है । माननीय नारायणदत्त जी ने उस पर काफी प्रकाश भी डाला है । वैसे तो इस मार्ग का महत्व था ही लेकिन अब इधर सीमा का जो सिलसिला खड़ा हुआ है उसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है । ऐसी सड़क पर इन दुर्घटनाओं का होना तो दुखद है ही । हम तमाम लोगों को इसका दुख है । आज यहां पर जो डिबेट चल रही है और उसमें जिस प्रकार की बातें कही गई है, उन्हें अगर चैलेंज करें तो मंत्री जी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फैक्ट्स होंगे ही और वह उनको रखेंगे भी ।

माननीय नारायणदत्त जी ने इन दुर्घटनाओं का एक कारण ओवरलोडिंग बतलाया है । जितनी गाड़ियों की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा आदमी भरे गये, यह बतलाया गया है । यह तो उनकी सुनी हुई बात हुई । आन दि स्पाट इंक्वायरी तो सरकार की ओर स करने के लिये शर्मा जी गये थे, ट्रान्सपोर्ट और पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर गये । उनका हाउस में जो वक्तव्य होगा वह तो प्रमाण माना ही जायगा ।

एक बात और कि कुछ कारण यहां गिनाये गये-थे। ड्राइवरों ने शराब पी ली थी, अनट्रेन्ड ड्राइवर्स थे, गाड़ी पुराने माडल की थी, ये सब कारण पेश किये गये । जहां तक पुराने माडल की

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

गाड़ियों का संबंध है, यह हमने अपनी आंखों से देखा है कि कुमायूं रीजन में जो रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं और जो प्राइवेट बसेज भी चलती हैं, उनमें से कई ४८ के माडल की शेवरलेट हैं लेकिन वे बहुत अच्छी हालत में हैं । इसलिये गाड़ी का पुराना होना एक्सीडेंट का कारण नहीं हो सकता। हां, अगर उसने ओवरलोडिंग किया है तो यह बात हो सकती है । अब ड्राइवर कौन था, कौन नहीं था, इस बात का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं मालूम होता है ।

एक बात अवश्य है कि इन घटनाओं से इस बात की गंभीरता अवश्य बढ़ जाती है और हमें इस बात को अवश्य सोचना होगा कि आया इन गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय या नहीं । श्रीमन्, हमारे रीजन में रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं और प्राइवेट गाड़ियां भी चलती हैं । माननीय राजनारायण जी ने उनका जिक्र करते हुये कहा कि रानीखेत में जो प्राइवेट गाड़ी चलती है उसके मालिक ने गुप्ता जी के चुनाव में बड़ी मदद की थी, यह बात बिलकुल गलत है । उसने कोई मदद नहीं की । तो मैं यह कह रहा था कि प्राइवेट गाड़ियों से रोडवेज की गाड़ियों में पब्लिक को अधिक आराम मिलता है। रोडवेज की गाड़ियों की मैंटेनेन्स अच्छी होती है, साइन्टिफिक तरीके से ३–४ महीने के बाद उनकी ओवरहालिंग हो जाती है, उसके मिकेनिक भी हर जगह रहते हैं । नतीजा यह है कि पिछले ५–६ वर्षों के आंकड़ों को अगर देखा जाय तो रोडवेज की गाड़ियों के नाम मात्र के ऐक्सीडेंट हुए हैं जब कि प्राइवेट गाड़ियों में अक्सर ऐक्सीडेंट होते रहते हैं । इसलिये मेरा भी सरकार से यह अनुरोध है कि इस बात को गंभीरतापूर्वक सोचा जाय कि इन गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय या नहीं ।

श्रीमन्, कंपेन्सेशन की बात भी कही गयी । अगर सरकार दे सकती है तो दे, लेकिन अगर नहीं दिया जा सकता हो तो देखा जाय कि गाड़ियों का इन्शोरेंस भी होता है और ऐसा सुना जाता है कि अगर पेसेन्जरों की जिन्दगी को कुछ हो जाता है तो उनको भी इंश्योरेंस कम्पनी देती है । मुमकिन है वहां से उनको कंपेन्सेशन मिल जाय ।

ड्राइवरों आदि को सुविधा देने की बात भी कही गयी । ये तमाम समस्यायें तभी हल हो सकती हैं जब कि इस सारे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम का ही राष्ट्रीयकरण हो जाय। यह आजमाई हुई चीज है कि रोडवेज की बसों में यात्रियों को अधिक आराम मिलता है, कम दुर्घटनायें होती हैं, ड्राइवरों आदि को भी अधिक सुविधायें उनमें हैं । इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

*श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)––माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दुर्घटना से २ मास के भीतर १०२ व्यक्तियों का मर जाना, मैं समझता हूं कि किसी भी सभ्य देश की सरकार के लिये एक लज्जा का विषय है । मान्यवर, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से और माननीय मंत्री जी का जो भाषण हुआ उसमें यही कहा गया कि सड़क खराब नहीं थी, ड्राइवर भी ठीक थे, बस भी ठीक थी लेकिन प्रश्न यह है कि जब सब कुछ ठीक ही था तो एक्सीडेन्ट हुआ क्यों, कैसे हुआ ? २१ जुलाई को जो आखिरी बस दुर्घटना हुई उसमें ६१४ नम्बर की गाड़ी रुद्रप्रयाग से श्रीनगर को जा रही थी और ११वें मील पर सरोबगढ़ के पास जहां कि सड़क खराब थी वहां गाड़ी कंट्रोल के बाहर हुई और वह ४०० फुट नीचे जा गिरी । वहां पर प्राइवेट कम्पनियां हैं। उन पर जिम्मेदारी डाल कर और यह कह कर कि मोटर पुरानी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती । सरकार के अफसर हैं, आर० टी० ओ० हैं वह बस को देखकर परमिट देते हैं, उनको सरकार नियुक्त करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब वहां गये थे तो उन्होंने पहाड़ के लोगों के सामने वक्तव्य दिया था कि पहाड़ के ड्राइवर्स को बहुत काम करना होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर यह वक्तव्य देने के बाद ड्राइवरों के सुभीते के लिये उन्होंने कोई कदम उठाया या नहीं ? मंत्री लोग सदन के बाहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो वक्तव्य देते है उसके बाद वह भूल जाते है वे यह जानने की कोशिश नहीं करते कि उनके आश्वासन पर या उस कथन के अनुसार विभाग कोई अमली कार्यवाही कर रहा है या नहीं।

दूसरे कहा गया कि वहां पर शराब की केवल ३ दुकाने थीं लेकिन मुझे मालूम है कि वहां के हर रास्ते पर ४ और नई दुकानें खोली गई हैं। जब उन लोगों को कोई काम वहां ठहरने पर नहीं रहता तो वह शराब जरूर पीते है। आपने इस तरह से ड्राइवरों को दावत दी है कि सर्दी ठंड में शराब वह जरूर पीवें। जब वहां पर १०-६-६१ को पहला एक्सीडेन्ट हुआ तो उसके बाद सरकार ने कौन सा ऐसा कदम उठाया कि जिससे आगे कोई और दुर्घटना न हो ?

इस ऋषिकेश-श्रीनगर मोटर मार्ग को २ साल पहले ही "मौत की सड़क" कहा गया था लेकिन फिर भी कोई स्टेप सड़क को सुधारने के लिये नहीं लिया गया और एक के बाद दूसरा एक्सीडेन्ट होता रहा। जहां सड़क थी वहां काम हुआ और जहां जरूरत थी वहां कोई काम नहीं किया गया। नई सड़क बनने से कटान से 'स्लिप' हुए और सड़क रुक गई। इसके अलावा उसका एलाइनमन्ट भी खराब था। गाड़ी म चलत-चलत एक झोंक सी आती थी और मोटर पर उस हालत में कंट्रोल नहीं रहता। उसका नतीजा यही है कि गाड़ी नीचे गिर जाय। इतना बड़ा पी० डब्लू० डी० है, इतना बड़ा ट्रान्सपोर्ट विभाग है और अब तो गुप्ता जी ने अपनी केबिनेट भी खूब लम्बी चौड़ी कर ली है लेकिन आज तक कमायूं में वह वन-वे-ट्रैफिक नहीं कर पाये। वहां पर चमोली में, उत्तराखन्ड भर में लोगों में तरह-तरह की भावनायें हैं और तरह-तरह की खबरें फैली हैं। लोग समझते है कि जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर शीघ्र ध्यान दें।

कमेटी बना देने का मतलब तो यह होता है कि किसी काम में और देर लगा दी। वहां पर यह दुर्घटना चाहे किसी कारण हुई लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। चाहे मोटर खराब हो, सड़क खराब हों, ड्राइवर शराब पिये हुए हों, हर हालत में जिम्मेदारी सरकार की ही है। सरकार किसी तरह भी उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। मुझे अफसोस है कि इस तरह का गंभीर प्रस्ताव आये और उस पर बहस हो और मंत्री जी दलील दें कि यह कारण भी नहीं था और वह कारण भी नहीं था। जब कोई कारण नहीं था तो आखिर घटनायें हुईं कैसे ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह खड़े होकर इसके लिये सदन में माफी मांगे और कहें कि हमें बड़ा अफसोस है और यात्रियों का जितना दर्द आपके दिल में है वह हमें भी है, हम इसके लिये माफी चाहते है। उन्हें आश्वासन देना चाहिये कि भविष्य में ऐसी चीज नहीं होगी। लेकिन आश्वासन देना तो अलग रहा, सड़क भी ठीक बताई, शराब भी नहीं पिये थे, मोटर भी ठीक थी, ये सब बातें थीं तो एक्सीडेन्ट कैसे हुआ ? हम पता लगाएं, सरकार के पास विभाग हैं, वह पता लगाए।

माननीय पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर यहां हैं। उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि सड़क बिलकुल ठीक थी लिहाजा पी० डब्लू० डी० की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कम्पनियों की कभी जांच की गई ? मैं नहीं कहता कि कौन किसको चन्दा देता है। लेकिन कभी जांच हुई ? आज एक की १० मोटर चलती हैं और किसी को एक मोटर का भी परमिट नहीं मिलता है। वहां के मोटर मालिकान अमीर बनते जा रहे हैं, न ड्राइवरों की तनख्वाह बढ़ाते है और न उनको कपड़े दिये जाते हैं। यूरीनल, लैटरिन्स और शेड्स तक यात्रियों के लिये नहीं है। रोडवेज न बनाये तो शिकायत कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट कम्पनियों से कुछ नहीं कह सकते। हमारा सुझाव है कि एक हिमालयन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाना चाहिए। बद्रीनाथ टम्पिल कमेटी के नुमाइंदे भी उसमें होने चाहिये। मोटर मालिक जो अच्छे रहे हों, जो जनप्रिय हों और जिन्होंने जनता की सेवा की हो, वह भी रहें। जो हमारे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स मेरीटोरियस वर्क रहे हैं उनको भी उसमें लिया जाय।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि कुमायूं और उत्तराखण्ड में जितनी भी ट्रांसपोर्ट की सड़क हैं उन पर डबल-वे ट्रफिक होना चाहिये। ये एक्सीडेन्ट क्यों हुए, इसकी सारी तस्वीर जनता के

[श्री प्रतापसिंह]

सामने सरकार को रखनी चाहिये। वह बार्डर का इलाका है। वहां के लोगों को संतुष्ट करना सरकार का परम कर्त्तव्य होना चाहिये। एक ओर सरकार बार्डर एरियाज के डेवलपमेन्ट के लिये रुपया लगाती है और दूसरी तरफ वहां इस तरह से निर्मम हत्याएं हो जाती हैं। हत्या मैं इसलिये कहता हूं कि एक-दो एक्सीडेन्ट नहीं, पांच-पांच ऐक्सीडेन्टस होने के बाद भी कहा जाता है कि एक कमेटी बैठाई है। क्या करेगी कमेटी ? पहले, दूसरे एक्सीडेन्ट्स के बाद सड़क को बन्द कर देना चाहिये था। यात्री लोग यही तो कहते कि रास्ता बन्द कर दिया लेकिन दो एक्सीडेंटों के बाद जो मृत्यु हुई और खास तौर से जो आखिरी एक्सीडेन्ट हुआ जिसमें २५ व्यक्ति मरे, ये न मरते। लेकिन छान-बीन नहीं की गई। मैं यह चार्ज लगाता हूं कि जितनी भी मृत्यु हुई वह सरकार की असावधानी के कारण हुई। पहले एक्सीडेन्ट के बाद, यदि जरा भी सावधानी से काम लिया गया होता तो कोई एक्सीडेन्ट न होता। सरकार की तरफ से जो दलील दी जाती है वह उचित और न्यायसंगत नहीं है। सरकार को कहना चाहिये कि हमें अफसोस है और भविष्य के लिये गारंटी देनी चाहिये कि इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी।

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो विषय पेश है वह बड़ा गंभीर है। इस सिलसिले में कोई स्ट्रांग लैंग्वेज इस्तेमाल करने से काम नहीं बनेगा। हमको और सरकार को और सभी माननीय सदस्यों को, य जो दुघनाएं हुई ह, उन पर बड़ा दुख है और खेद है। प्रतापसिंह जी कहते हैं कि एक एक्सीडेन्ट हो जाता तब तो जाने देते, लेकिन १०० से ज्यादा मृत्यु हो गई, बड़े शर्म की बात है। मैं तो कहता हूं कि एक भी व्यक्ति इस तरह की दुर्घटना से मर जाय तब भी हयादार आदमी को पानी-पानी हो जाना चाहिये।

एक सदस्य—हया हो तब ना।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उधर तो पानी है नहीं। बलिया में तो सूखा पड़ा है। हमारे नारायणदत्त जी ने नेशनेलाइज करने की बात कही। प्रतापसिंह जी ने तरमीम लगाई और माडी-फाई किया। मैं जानता हूं कि दुर्घटनाएं हुई। मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन जो माननीय मित्र वहां हो आए है उनसे मालूम हुआ कि जहां-जहां पर दुर्घटनाएं हुई, वहां सड़कें खराब नहीं है। अब हमारे मित्र को शिकायत है कि कमेटी क्यों कायम की गई। यहां इतनी स्पीचें हुई, किसी ने कोई बात डेफीनिट नहीं कही, कयासी बातें सब ने कहीं। कमेटी उसके लिये बैठाई गई है। वह हर एक जगह जायेगी। अगर उस कमेटी की यह रिपोर्ट आती है कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी है तो अवश्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। उस वक्त हम मुआफी मांगने के लिये तैयार होंगे और अफसोस भी जाहिर करेंगे। लेकिन प्रतापसिंह जी ने जो यह कहा कि हम मुआफी मांगे, तो मुआफी हम नहीं मांगेगें जबतक कि ठीक तरह से हमारी जिम्मे-दारी कोई साबित न करे। हमारे मित्र नारायणदत्त जी ने कहा था कि आप मोटरों की स्पीड पर कन्ट्रोल करने के लिये गवर्नर लगा दीजिये। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं। मैं समझता हूं कि पहाड़ों की चढ़ाई पर कोई गवर्नर नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर हर समय एक सी स्पीड से जाना संभव नहीं है।

हमारे मित्र ने एक बात और कही है उसको सुन कर हमको खुशी भी हुई है। खुशी इस बात को सुन कर हुई कि वहां पर जो बस आपरेटर्स का यूनियन है वह बहुत खराब काम करता है और बस आपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष हमारे विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकीसिंह हैं। जिस यूनियन के नेता श्री त्रिलोकीसिंह जी हों, उसके लिये मैं ऐसा कयास कर लूं कि उसका इन्तजाम खराब है, तो कम से कम, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं तो यही समझता हूं कि हमारा जहां भी इन्तजाम है और जैसी मुझे इत्तिला मिली है, वह यह है कि बसेज का चेकिंग होता ह। यह भी यहां पर शिकायत की गयी कि इनकी स्पीड को चेक नहीं किया जाता है। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वहां पर सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि हम आगे निकल कर उसकी स्पीड को चेक कर सकें। उनकी बस आगे चलती है और हमारा चेक करने वाला आदमी उसके पीछे चलता

है जिससे पता नहीं चलता है कि कितनी स्पीड से वह बस चल रही है। हमने जगह जगह पर बसें छूटने के टाइम दिये हैं। हमारी जो दिक्कतें है उनको देखते हुए अगर आप यह कहें कि मंत्री जी इस्तीफा दें और तमाम इल्जामात हमारे ही ऊपर लगाये तो यह सही नहीं है। अगर आप भी इस काम को करेंगे तो आपके सामने भी ये दिक्कतें होंगी। न मालूम कहां पर एक्सीडेन्ट्स होंगे, उन्हें तो आप भी नहीं रोक सकते है। जो एडजर्नमेन्ट मोशन आया है उसके लिये मैं अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूं। कम से कम हमें यह मालूम हो गया है कि पहाड़ के जितने लीडर हैं वे सब चाहते है कि इस सड़क को सरकार ले ले। हमेशा यह रिकार्ड रहा है कि जब भी सरकार ने इस सड़क को लेने की बात सोची तो न मालूम कितनी सिफारिशें आईं और न मालूम कितने रेप्रिजेन्टेशन आये कि इसको नेशनलाइज न किया जाय।

आज जो इस सदन में बहस हुई है उससे यह मालूम होता है कि नारायणदत्त जी, प्रताप सिंह जी और गालिबन त्रिलोकीसिंह जी इस बात से इत्तिफाक करते है कि हम इस सड़क का नेशनलाइजेशन करें और इन यूनियन को समाप्त कर के हम अपनी बस सर्विस यहां पर चलायें। जितने भी हमारे मित्र आज बोले हैं सभी ने कहा कि हमारी बस सर्विस ठीक चल रही है और जो वहां पर प्राइवेट आपरेटर्स की बस सर्विस है वह ठीक नहीं चल रही है। यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर तभी आयेगी जब कि हम पहाड़ के नेताओं की राय से इस सड़क का नेशनलाइजेशन कर लें। तो हम ऐसा अवश्य करें। जब हम इसको करगे तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि वे कोई बाधा नहीं डालेंगे। हमारी चेष्टाओं को वे माडीफाई नहीं करवायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले आप मैदानी क्षेत्र में बस सर्विस को ठीक करवाइये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो मैदानी क्षेत्र में कर ही रहे हैं। पहाड़ों पर अपनी इच्छा से नहीं करने जा रहे हैं बल्कि आप कह रहे है कि वहां पर भी नेशनलाइजेशन किया जाय। लेकिन जब ऐसा करने के लिये सोचते है तो आप ही कहने लगते है कि वहां की गरीब जनता के पास केवल यही एक उद्योग है, इसलिये इसका नेशनलाइजेशन नहीं करना चाहिये। लिहाजा इस एडजर्नमेन्ट मोशन से लाभ ही हुआ है। मैं अपने मुख्य मंत्री जी और साथ ही ट्रान्सपोर्ट मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भी दिक्कतों को सुन लिया है।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस गंभीरता की अपेक्षा करके सदन में आया था, क्योंकि १०२ आदमियों का मातम अपने प्रदेश में हुआ था, उस गंभीरता के साथ इस पर विचार नहीं हुआ। मैंने देखा कि सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी, श्रम मन्त्राणी जी व गृह मंत्री जी अपनी फाइलों में उलझे हुए थे और माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी भी इधर-उधर लोगों से बातें करने में लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि १०२ आदमियों का मातम नहीं मनाया जा रहा है बल्कि उनकी मौत और जिन्दगी का उपहास हो रहा है। एक गम्भीर मामले के संबंध में इस तरह से न्याय मंत्री जी का कहना कहां तक उचित है ? १०२ आदमियों की लाश पर उपहास करना इस प्रदेश के मंत्रियों के लिये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे भी ज्यादा शर्मनाक और कोई बात हो सकती है। जहां १०२ आदमियों की मृत्यु हो गई हो और न्याय मंत्री की ओर से वकालत की जाय, ऐसे हमारे यहां के न्याय मंत्री हो गये, उनको न्याय मंत्रो का पोर्टफोलियो मिल गया, यह किसी तरह से भी हंसी की बात नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी यहां उसका मजाक हुआ।

मान्यवर, मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में गंभीरता से इस बात पर बिचार करेंगे और इस दुर्घटना के प्रति खेद प्रकट करेंगे। लेकिन जब हमने मोटर मालिकों के बारे में ही सुना, आपरेटरों के बारे में सुना कि उनकी तरफ से ऐसी कोई असावधानी नहीं हुई और वहां १०२ आदमियों की मृत्यु हो गई हो, वह आप को मजाक मालूम देती है, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। जब मोटर मालिकों के पक्ष में ऐसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]
बातें यहां के मंत्रिपरिषद् की तरफ से कही जाती है, जहां कि १०२ आदमियों की मृत्यु हो जाने पर भी कुछ असर नहीं पड़ता। यदि हम दुनियां के दूसरे देशों को देखें, जहां कि केवल दो आदमियों की मृत्यु से ही बहुत गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाती है। मेरा कहना है कि उसी तरह की नीति से इस सरकार को इस पर सोचना चाहिये।

इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हुई? आपने बड़ी-बड़ी साइज की मोटरों के मालिकों को परमिट दिय, इसका एक कारण तो यही है। सवाल यही है कि उनको परमिट क्यों मिलते है? आप की तरफ से जब इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो कम से कम इतना इन्तजार तो करना ही चाहिये था कि जो जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त हुई है उसकी रिपोर्ट आ जाने देते। मुझे उम्मीद है कि यह कमेटी अच्छी तरह से सारी बातों की जांच करेगी। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील है कि वहां पर इस तरह की प्राइवेट बसेज नहीं चलनी चाहिये और वे इस नीति की घोषणा करें कि इस रूट पर सरकारी बसेज चलेंगी। इस भीषण दुर्घटना पर गंभीरतापूर्वक सोचते हुए और न्याय की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। इस तरह के तीर्थस्थानों में सरकारी रोडवेज की बसेज चलनी चाहिये। जब गोरखपुर और बनारस में सरकारी रोडवेज की बसेज चल सकती हैं, तो इस तीर्थस्थान में क्यों नहीं चल सकती? गोरखपुर और बनारस में रोडवेज की बसेज क्यों चलती है, इसकी मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि सरकारी रोडवेज की बसेज इन तीर्थ स्थानों में भी चलनी चाहिये। श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा जी की तरफ से भी जिस तरह से मोटर मालिकों के पक्ष में बातें कही गई हैं, तो मेरा कहना है कि जब कमेटी इसका फैसला करने जा रही है और सारा मामला उसके समक्ष आयेगा, तो सरकार की तरफ से यहां इस तरह की बात क्यों कही जाती है?

मान्यवर, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मंत्रिपरिषद् की तरफ से अव्यवस्थित और अवहेलना की बातें इस दुखद दुर्घटना के संबंध में सुनने को मिलीं, उससे मुझे बोलने के लिये मजबूर होना पड़ा। मंत्रिपरिषद् के सदस्य इस सारे मामले को एक मजाक समझते हैं। इतनी बड़ी मृत्यु की दुर्घटना हो गई और इस तरह की बातें कहीं जायें, यह कहां तक शोभा देता है? श्री शांतिप्रपन्न शर्मा जी ने इतनी बातें कहीं, लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं बतलाया। सड़क कैसी बनी थी, कितनी चौड़ी थी, गाड़ी कितनी बड़ी थी और कैसे दुर्घटना हुई, इन बातों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये था। दूसरे देशों में इस तरह की दर्घटना से यदि केवल दो ही व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती, तो आफत आ जाती, लेकिन इस प्रदेश की सरकार को तो १०२ आदमियों की इस तरह की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर भी, उसे एक तरह से मजाक सूझ रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात से सारे देश के प्रति आप मजाक करते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो वाद-विवाद सदन के समक्ष प्रस्तुत है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेषकर जिस दिलचस्पी के साथ इस विवाद में हिस्सा लिया है श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख हो रहा है और मुझे एक कहावत इस समय याद आ गई कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।" मैं श्रीमन्, माननीय गौरीशंकर राय जी की तरह से ही बड़ी गौर से सुन रहा था कि हमारे मंत्री महोदय,इस सम्बन्ध में क्या कहते है? इससे पहले कि मैं इस आदरणीय सदन में अपनी राय जाहिर करूं यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग इन दुर्घटनाओं के शिकार हुये है वह पहाड़ी इलाके के नहीं थे, बल्कि मैदान के ही सब लोग मरे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग भी मरे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे पहाड़ों के नेता कोई बात माननीय मंत्री जी से कहें, चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों, और अपना असर डालें तो माननीय मंत्री जी उधर ध्यान दें और इस बात का जरूर खयाल रखने की कृपा करें कि इन घटनाओं में मरने वाले लोग सब के सब मैदान के ही लोग थे।

श्रीमन्, होता क्या है ? राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है लेकिन करते कुछ नहीं है । इस सदन में भूतपूर्व परिवहन मंत्री जी विराजमान हैं । बाराबंकी–फैजाबाद रोड के कही राष्टीयकरण की बात की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ । इसी तरह से कर्वी और वांदा रोड के राष्ट्रीय करण की बात भी हुई । पहाड़ों की सड़कों के राष्ट्रीयकरण की ही बात नहीं है । माननीय-न्याय मंत्री जी ने अपने विभाग से भी आगे की बात कही है कि पहाड़ी नेता राष्ट्रीयकरण की बात करते है। जब माननीय न्याय मंत्री जी राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा क्यों की कि इस सड़क का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अच्छी सड़कें हैं, जो अन्तर्राष्टीय सड़कें हैं, जहां देश विदेश के लोग आते हैं, जैसे बदरीनाथ की सड़क है तथा कैलाश-मानसरोवर की सड़क है । इनका राष्ट्रीयकरण जरूर होना चाहिये । इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। राष्ट्रीयकरण न करने में सरकार की ही कमजोरी दिखाई देती है, परिवहन विभाग की कमजोरी है । माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि हम इन सड़कों का राष्ट्रीयकरण करेंगे लेकिन एक न एक बाधा देकर नहीं कर रहे हैं।

एक बात हमारे मित्र माननीय शर्मा जी ने कहीं कि जहां पर यह ऐक्सीडेंट्स हुए हैं वहां पर ड्राइवर्स भी अच्छे थे, सड़कें भी अच्छी थीं और मोटरों के माडल भी अच्छे थे । लेकिन पता नहीं एक्सीडेंट कैसे हुये ? इतने दिनों से अंग्रेजों के राज्य में भी लोग इन सड़कों पर चलते रहे । हर एक गांव के पीछे कम से कम एक आदमी ऐसा अवश्य होगा जो बद्रीनाथ की यात्रा कर चुका होगा लेकिन एक भी एक्सीडेंन्ट नहीं होता था । जब से माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी आये हैं और इनकी सरकार आई है तब से ७ दुर्घटनायें हो चुकी है और उनमें १०२ आदमी मर चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करें कि जिस तिथि से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से अब तक सात दुर्घटनायें हो चुकी हैं और इतने आदमी मर गये हैं। चाहे उन्हें स्वर्ग मिले या न मिले, लेकिन इस जीवन से उनको मुक्ति अवश्य मिल गई ।

श्रीमन् ,अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में सरकार न्याय का गला घोट रही है । अगर किसी का कत्ल हो रहा है तो वह न्याय का हो रहा है । हमारे न्याय मंत्री जी किस तरह से सफाई देते हैं वह बात मेरी समझ में नहीं आई । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और विरोधी पक्ष के लोगों ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूं कि एसी महत्वपूर्ण सड़क पर इस तरह से दुर्घटनायें हों, तो यह अच्छा नहीं मालूम होता है । इतना मै और कह देना चाहता हूं कि माननीय परिवहन मत्री जी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि हमारे मुख्य मंत्री गुप्त जी जो कि पहाड़ के नेता बन गये हैं और पहाड़ की जनता ने जिनको चुनकर यहां भेजा है उनके मुंह पर कालिख लग गई है । इसलिये माननीय प्रतापसिंह जी और नारायणदत्त जी चिल्ला रहे हैं । इस दुर्घटना पर माननीय गुप्ता जी को अविलम्ब इस्तीफा देना चाहिये । मुज्जफरहसन जी इलाहाबाद चले जायेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई दूसरे साहब मैनपुरी या बदायूं से चले आयेंगे ।

श्रीमन्, मैं कोई मोटर आपरेटर नहीं हूं लेकिन रोडवेज से कुछ संबंध रखता हूं और कुछ समझ भी रखता हूं। डिपार्टमेन्ट के लोग जब मोटर की चैकिंग करते हैं तो मोटर में, यदि ब्रेक न हो, तो वे माफ कर देते हैं लेकिन प्राइवेट गाड़ियों में अगर भोंपू नहीं होता है तो उसका चालान कर देते हैं । बड़े-बड़े सरदार मोटर आपरेटर्स हैं जिनके यहां हमारे मंत्री लोग विराजमान रहते हैं । वे बड़े शान से बैठते हैं और राजनीति में हिस्सा लेते हैं । उनकी सड़क का सरकार कैसे राष्ट्रीयकरण कर लेगी ? हम जानते हैं कि सरकार उनको कतई नहीं लेगी, यह तो दिल बहलाने के लिये गालिब खयाल अच्छा है । सदन का समय साढ़े पांच बजे खत्म हो जायगा । इसलिये मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। जरा इन घटनाओं को सोचे । इस आदरणीय सदन के सामने १०२ लाशें पड़ी हुई हैं, उस पर जरा हम विचार करें ।

श्री मुजफ्फर हसन——अध्यक्ष महोदय, सरहदी पहाड़ी जिलों में नयी सड़कों के बनाने की और पुरानी सड़कों को बेहतर बनाने की एक स्कीम पिछले साल से ही चल रही है। पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाने में कई तरह की दुश्वारियां हैं। कई जगह पहाड़ काटने पड़ते हैं। कई महीने ऐसे होते हैं कि मौसम की वजह से काम नहीं लगाया जा सकता और मजदूरों की भी कमी पड़ जाती है। इन सब दुश्वारियों के होते हुए यह काम जारी है।

तीर्थ यात्रा का मौसम भी अप्रैल से नवम्बर तक होता है। खासतौर से मई, जून और जुलाई में ज्यादा यात्री उस सड़क पर जाते हैं और यही मौसम सड़क के बनाने का भी है। तो न इस मौसम में सड़क के बनाने का काम रोका जा सका और न यात्रा का रोकना मुनासिब समझा गया। यह बात सही है जो राजनारायण जी ने कही कि सरहदी जिलें होने की वजह से अगर यात्रा रोक दी जाती तो मुल्क में बड़ा पैनिक फैल सकता है और तरह-तरह की खबरें उड़ सकती हैं। साथ ही साथ, इस यात्रा का एक धार्मिक महत्व है। जब सड़कों पर मिलिटरी ट्रैफिक को नहीं रोका जा सकता, बड़े पैमाने पर सामान आता जाता है, वहां प्लानिंग का काम बहुत जोरों से हो रहा है इसलिये गाड़ियां चलती रहती हैं, तब जब बहुत बड़ी तादाद में यात्री वहां पड़े हों उनको भी रोकना मुश्किल होता है। यह सच है कि दुर्घटना हुई और उसका अफसोस है। एक के बाद दूसरी, तीसरी और चौथी दुर्घटना हुई। लेकिन हमारे भाई झारखंडेराय जी ने कहा कि एक दुर्घटना होने के बाद ही रोक दिया जाना चाहिये था। क्या वह दुर्घटना यह ऐलान करते हुए आयी थी कि अगर न रोका गया तो दूसरी और तीसरी दुर्घटना हो जायगी? अगर दुर्घटना होने का अन्देशा होता तब तो बात ही दूसरी थी। किसी दुर्घटना के बाद कोई दूसरी दुर्घटना होने ही वाली है, इस बात को कोई सोच भी नहीं सकता। अफसोस की बात है कि एक के बाद दूसरी दुर्घटना हुई। लेकिन उससे इस नतीजे पर पहुंचना कि यात्रा रोक दी जानी चाहिये थी, यह सही नहीं है। अभी चन्द दिनों के लिये जो यात्रा रोकी गयी तो मुझे वहां जाने का मौका मिला। मैंने वहां देखा कि किस तरह से कमजोर और बूढ़े बीमार आदमी कदम बकदम चलते चले जा रहे थे और उनको कितनी तकलीफें थीं। अगर हम यह कह भी देते कि यात्रा के लिये गाड़ियां नहीं चलेंगी तब भी हजारों आदमी उस रास्ते पर जाते और तकलीफ उठाते।

गाड़ियों के सिलसिले में मैं आपसे यह अर्ज करूं कि नवम्बर से पहले डिपार्टमेन्ट के हमारे जो टेक्निकल इंस्पेक्टर हैं वह एक-एक गाड़ी की पूरी तरह से जांच करते हैं। उसका एक एक पुर्जा देखकर मंजूरी होती है। अप्रैल के पहले ही जिन गाड़ियों की मंजूरी होती है वही इस यात्रा सड़क पर चल सकती हैं। इसके अलावा यों तो जो भी ड्राइवर्स हैं, जिनके पास ड्राइवर का लाइसेंस है, चाहे वह पहाड़ी इलाके के हों, चाहे मैदानी इलाके के हों, उनको किसी जगह रोका नहीं जा सकता मगर गवर्नमेन्ट की हिदायत के मुताबिक उन कम्पनियों के लिये यह लाजिमी है कि सिर्फ उन्हीं ड्राइवर्स को वह मुकर्रर करें जिनके कि लाइसेंस में हिल पर गाड़ी चलाने की एन्ट्री हों। और जो दो साल वहां गाड़ी चलाये हुए टेस्ट लेने के बाद ही उनके लाइसेंस में हिल ड्राईविंग का सर्टिफिकेट शामिल किया जाता है। सिर्फ ऐसे ड्राइवर्स को वहां चलने की इजाजत होती है। अभी नारायणदत्त जी ने कहा कि सात दिन पहले उनको लाइसेंस दे दिया गया। यह बात सही नहीं है। जैसा कि बताया गया, सन् ५९ से उस आदमी के पास लाइसेंस था...

श्री नारायणदत्त तिवारी——मैं जरा स्पष्ट कर दूं, श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष——वह बैठ नहीं रहे हैं।

श्री मुजफ्फरहसन——यात्रा के सीजन में पौड़ी में जो इंसपेक्टर है, वह रामनगर में मुकर्रर कर दिया जाता है और एक दूसरे इंसपेक्टर ऋषीकेश में मुकर्रर किये जाते हैं जो आती जाती तमाम गाड़ियों की बराबर चेकिंग करते हैं। यह जो दो दुर्घटनायें हुई उसमें से १० तारीख को जो दुर्घटना हुई उसमें गाड़ी की चेकिंग ९ तारीख को हमारे जो असिस्टेन्ट कमिश्नर रोडवेज हैं उन्होंने की थी। १३ तारीख की जो दुर्घटना हुई उसकी चेकिंग १२ तारीख

को रेकर्ड में मौजूद है। तो मुसलसल चेकिंग होती है और इस तरह से जो चेकिंग हुई उसकी तादाद ५८३ है, जिनमें से १६५ गाड़ियों को दुरुस्त करने के लिये इन्फार्म किया गया। अलावा उन इंसपेक्टर्स के आर० टी० ओ०, ए० आर० टी० ओ०, असिस्टेन्ट कमिश्नर बराबर वहां दौरा करते रहते है। एन्फोर्समेन्ट का जो वहां डिपार्टमेन्ट है वह भी वक्तनफवक्तन वहां दौरा करता रहता है और इनके जरिये से ओवरलोडिंग के १३ चालान हुए। परमिट को छिपा कर, उसकी खिलाफबाजी करके जो गाड़ियां चल रही थीं उनमें से चार का चलान हुआ। बगैर परमीशन के चार गाड़ियां चलती हुई पकड़ी गई और उनका चालान हुआ। फिटनेस सर्टिफिकेट रद होने के बावजूद जो तीन गाड़ियां चल रही थीं उनका चालान हुआ और मुतफर्रिक दूसरे छोटे-मोटे कामों में ८–९ गाड़ियों का चालान हुआ। इस तरह से इसी सीजन में ३२–३३ चालान किये गये। इन सबके बावजूद, बदकिश्मती की बात है कि इतना सब लिहाज करने के बावजूद भी इतनी दुर्घटनाएं हो गईं जिनका हम सबको दिली अफसोस है। जितना किसी और को इसका अफसोस हो सकता है उतना, आप यकीन कीजिए, मुझे भी है और इधर के बैठने वाले अन्य लोगों को भी है।

इसी के साथ साथ, क्यों यह दुर्घटनायें हुई वह मामूली तौर से, सरसरी तौर से इसके बारे में हम किसी नतीजे नहीं पहुंच सकते। इसलिये एक कमेटी इसके लिये मुकर्रर की गई कि वह तमाम चीजों को देखकर उसके कारण को ढूढ़े और वह अपनी तजवीजें पेश करे जिनके जरिये से हम आगे इन दुर्घटनाओं को रोक सकें।

जो इब्तदाई जांच की गई उसकी रिपोर्ट विभाग की तरफ से यह है कि गाड़ियों में मेंकेनिकल खराबी कोई बजाहिरा नहीं दिखाई पड़ी। राजनारायण जी ने कहा कि रात दिन गाड़ियां चलती हैं तो वह तो उस रास्ते पर हो आये हैं। उस रास्ते पर रात को तो गाड़ियों के चलने की इजाजत ही नहीं है।

श्री राजनारायण—हैं, हैं। स्पेशल परमीशन से रात को चल सकती हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—नहीं चल सकती हैं। उसके लिये परमिशन लेनी होगी। वहां पर गाड़ी चलने का दस्तूर रात में नहीं है। जैसा मेरे भाई ने कहा कि रात में वहां पर ड्राइवरों के लिये बहुत अच्छा इन्तजाम नहीं है, यह हो सकता है कि उनको आराम करने का पूरा मौका न मिला हो लेकिन यह सोचने बात है कि इसका हल कैसे निकाला जाय। यह बात सही नहीं है कि रात दिन दोनों वक्त वहां पर गाड़ियां चलती हैं।

जहां तक ओवरस्पीडिंग का सवाल है, पहाड़ी इलाके में उसको गिरफ्त कर सकना मुश्किल है। वहां की सड़कें पतली हैं। ओवर स्पीडिंग के लिये जरूरत इस बात की होती है कि जांच करने वाला आदमी उसके बगल से निकल कर, आगे रोके और स्पीड को देख पाये लेकिन वहां जो चलने का सिस्टम है उसमें ओवर स्पीडिंग की गुंजायश नहीं है। जो गेट मुकर्रर हैं उन गेटों में थोड़ा बहुत इसमें कुछ कर ले लेकिन ज्यादा गुंजायश नहीं है। जैसा कि मेरे भाई शान्तिप्रपन्न जी ने कहा कि अगर उसको नाप लिया जाय तो उसमें सिर्फ ८ मील की रफ्तार ही हो सकती है। यही वजह है कि जहां हम मैदानी इलाके में एक दिन में २००,२५० मील कवर कर लेते है वहां पर ७०–७५ मील दिन भर में चल पाते हैं। इस वजह से मैंने अर्ज किया कि ओवर स्पीडिंग की इसमें कोई खास गुंजायश नहीं है।

श्री राजनारायण—अगर कोई जोशीमठ में ४ बजे गेट छोड़ेगा, तो वह कहां जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई छोड़ा नहीं जायगा। इस बात पर जोर दिया गया कि नेशनलाइज किया जाय। इसके लिये एदादो शुमार इकट्ठा हो रहे हैं। वह चीज हमारे जेरेगौर है लेकिन मैं इतनी बात जरूर अर्ज करूं कि जो दुशवारी वह पर गाड़ी चलाने में किसी प्राइवेट ओनर को है, वही दुशवारी रोडवेज को भी

[श्री मुजफ्फर हसन]

हो सकती है। मैं अभी वहां गया था। पिछले तीन सालों का उन्होंने मुझे वीयर टीयर दिखाया था। इस साल जो उनका गाड़ी चलाने में वीयर टीयर हुआ है वह पिछले साल से ज्यादा हुआ है। वही दुशवारियां हमारे सामने भी आयेंगी। सड़क की दुशवारी, रास्त की दुशवारी और दूसरी दुशवारी हमारे सामने भी आयेगी। जो दुशवारियां आज किसी कम्पनी के सामने हैं वह रोडवेज के सामने भी आयेंगी। फिर भी वह चीज हमारे जेरेगौर है। उसके लिये एदादों शुमार इकट्ठा किये जा रहे हैं।

हमारे भाई यादवेन्द्रदत्त जी ने कहा कि ट्रेनिंग बेस मालूम करने में डिफीकल्टी होती है। मैं उनसे अर्ज करूं कि वहां तो कि खास पैमाने की ही गाड़ियां घूम सकती हैं। वहां के लिये वही गाड़ियां मंजूर की जाती है और वहां वही चालू हैं जो पहाड़ी इलाके के लिये मंजूर की जाती है। जो मैदानी इलाके की गाड़ियां होती है वह वहां पर चालू नहीं की जाती हैं। इस पर आमतौर से अमल होता है।

तिवारी जी ने कहा कि ७०० आदमियों को आप ले जाते। जब वहां पर इतने बड़े पैमाने पर आदमी थे तो उनमें से ७०० को हम मोटर पर बैठा देते और बाकी से कह देते कि चले जाओ। यह कोई सही तरीका नहीं हो सकता था। जितने आदमी आये उन सब के लिये इन्तजाम होना लाजिमी था। यह नहीं कि उनमें कुछ को चुन लिया जाय और बाकी से कहां जाय कि तुम पदल जाओ। यह कोई इन्तजाम नहीं हो सकता था।

झारखंडेराय जी ने शिकायत की कि पी० डब्लू डी० के लोग दुर्घटना होने के बाद ईंट पत्थर फेंक रहे थे। जब मैं गया तो मुझसे भी यह शिकायत की गई कि बजाय कुछ मदद करने के वे ऐसा कर रहे थे। जो हिस्सा बाकी रह गया था उस हिस्से से वह लैण्ड स्लाइड को कमकर रहे थे लेकिन उसमें उन्होंने यह एहतियात बरती कि जहां पर पहिये का निशान बना था उसको उन्होंने टच नहीं किया और न उसको नीचे फेंका लेकिन फिर भी एक गलत बात थी। वहां मजदूर थे। कोई जिम्मेदार आदमी वहां नहीं था। उस पर मुनासिब कायवाही मौका आने पर की जायगी।

मुझे एक बात शराब की दूकानों के बारे में कहना है। यह ठीक है कि इस मार्ग पर नयी तीन दूकानें वहां खुली हैं। पहले भी सड़कों पर दूकाने थीं लेकिन सन् १९५२ से १९५७ तक वे बन्द कर दी गयीं थी। जब शिकायत आयी कि वहां गैरकानूनी शराब बनती है और बिकती है और एक्साइज एडवाइजरी कमेटी ने और वहां के हुक्काम ने इस बात की सिफारिश की, तो यह दूकान खोल दी गयीं। लेकिन मैं यह जरूरी समझता हूं कि यह प्वाइन्ट भी ऐसी है जिस पर ठंडे दिल से विचार होना चाहिये। इन दूकानों में से जो करीब की दूकानें हों उनको बंद करने के लिये विचार किया जायगा। साथ ही साथ, मैं यह भी अर्ज कर दूं कि पहले टेहरी एक रियासत थी। उस समय ८१ दुकानें उस जिले में थीं और ११ दूकानें पौड़ी में थी, कुल ९२ दूकानें थीं। अब उस जिलें में कुल ६ और ४, १० दुकानें हैं। लेकिन फिर भी रास्ते पर जो दूकानें हैं उनको बंद करने के बारे में संजीदगी से विचार किया जायगा कि अगर डाइवर्स को शराब पीने का मौका उनके कारण मिलता है, तो उसको रोका जायगा।

मुआवजे के बारे में मैं पहले ही बतला चुका हूं कि यह बसें जो हैं उनका कंप्रेसिव इंश्योरेन्स है और उसके लिये, अगर कोई आदमी इन बसों के मालिक, उस कंपनी पर दावा करता है तो वह मुस्तहक हो जायगा कंपनी से मुआवजा पाने का और जब वह मुआवजा उसे मिलेगा तो वह हिस्सा रसदी से बंट जायगा। जितनी भी बसें हैं उनका इंश्योरेंस है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से माननीय मंत्री जी की बातें सुनी। उन्होंने फरमाया कि....

श्री अध्यक्ष---५ मिनट रह गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रा का मौसम था और यात्रियों को रोका नहीं जा सकता था। मेरा सरकार पर आरोप है कि यात्रियों को आल्टरनेटिव रूट बतलाया जा सकता था। पहली या दूसरी दुर्घटना के बाद इस प्रकार के

आदेश निकल सकते थे कि कोई आदमी इस रास्ते से न जाय बल्कि दूसरे रास्ते से अल्मोड़ा, गरूड़ खराली हो कर जाय। उस से डेढ़ दो दिन का पैदल का रास्ता उनको चलना पड़ता लेकिन वह सारे के सारे इंसान जिन्दा तो लौट आते। मुझे याद है कि माननीय पातंजलि शास्त्री जब वहां यात्रा करने गये थे तो पैदल गये थे। मैंने उनसे पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो कर पैदल जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी तो दक्षिण से पैदल आये थे। अगर एक आदमी इतना भी पैदल नहीं चल सकता, तो शर्म की बात है। आपको उसके लिये शास्त्रीय प्रमाण भी मिल जाते।

दूसरी बात शराब की दूकानों के बारे में है। वहां के डाइवर्स बहुत ज्यादा शराब पीने लगे हैं। गढ़वाल के सत्यपंथ और कर्मभूमि अखबारों में मुतवातिर इसका विरोध होता रहा, लेकिन मंत्रि मंडल के एक मंत्री हैं जिनके यहां जिंजर बेरी बनती है और वह जहर की तरह पहाड़ के लोग खरीदते हैं और पीते हैं। उसको किसी केमिस्ट के यहां से होना चाहिये। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर टिंचर जिंजर का प्रयोग वहां होता है कि उससे बड़ा नुकसान हुआ है। इसके थोड़े से पीने से ही हालत खराब हो जाती है। मैं एक उदाहरण आपके सामने दूं। एक लड़का था। उसका तीन चीजों में डिस्टिंक्शन था। मगर उसको टिंचर जिंजर के पीने की लत थी। इसी के कारण उसने एक दिन खुदकशी कर ली और एक लेटर उसके पास से निकला, जिसमें उसने यह लिखा था कि इसके पीने से ही उसकी हालत इतनी खराब हो गयी थी। उससे इतनी जलन होती थी कि उसको मजबूर होकर खुदकशी करनी पड़ी। इसलिये सरकार को उसके प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में लोगों के प्रति जरा भी हमदर्दी है, तो आप कृपया इसको बन्द कर दीजिये।

तीसरी बात सड़कों के बारे में कही गयी। जब सड़क ठीक थी, ड्राइवर होशियार थे, सब बातें ठीक थीं, फिर यह समझ में नहीं आता कि यह दुर्घटनायें और ५-५ दुर्घटनायें कैसे हो गयीं? कोई चीज तो ऐसी जरूर रही होगी, मगर उसको शर्मा जी बताना नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि अगर उस रोड का एलाइन्मेंट खराब है, तो आप क्यों नहीं कोई आल्टरनेटिव रोड बनाते? यही नहीं, चीन के हमले का डर हमारे सामने है। हमने कई बार कहा और ४४ सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर लिखा भी कि जो टनकपुर-पिथौरागढ़ रोड है उस पर ट्राफिक रुक जाता है। अतः उसकी एवज में बाढ़ीछीना-बेरीनाग एक सड़क बना दी जाय लेकिन हमारी बात सरकार सुनती ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—इस पर दो घंटे का ही समय विवाद के लिये था, इसलिये अब यह समाप्त किया जाता है।

आगामी कार्यक्रम के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं परसों के कार्यक्रम के बारे में एक सूचना देना चाहता हूं। परसों के लिये कोई विधेयक हमारे सामने नहीं है, इसलिये उस दिन कोई विधेयक नहीं लिया जायेगा। अगर कोई विधेयक आता भी है तो वह केवल पुरःस्थापित ही किया जा सकेगा, उस पर विचार नहीं होगा।

परसों के लिये जो नियम ५२ के प्रस्ताव हैं उन पर वक्तव्य होगा और फिर उसके बाद नियम ५३ के अनुसार जो प्रस्ताव ग्रहण किया जा चुका है और जिसके लिये ढाई घंटे का समय निर्धारित है उस पर विवाद होगा। उसी दिन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर भी विचार होगा। इन्हीं विषयों पर परसों वाद-विवाद होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३८ मिनट पर शुक्रवार, ४ अगस्त, १९६१ के ११ बज दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
३ अगस्त, १९६१।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

सूची

हरिजन सहायक समिति, इलाहाबाद द्वारा सन् १९५८-५९ से १९६०-६१ तक जो धन स्वीकृत किया गया और जो अभी तक प्रार्थियों को नहीं दिया गया, उसकी सूचना निम्न प्रकार है :

	स्वीकृत धन	नहीं दिया गया धन
	रु०	रु०
१—नये और पुराने कुओं के लिये	१,१७,८५०	४८,६८२
२—कृषि उत्थान	५२,७००	११,६८०
३—कुटीर उद्योग	६६,०००	१३,५३४
४—भवन निर्माण हेतु	२,६३,७००	१,१९,०३०
	५,००,२५०	१,९२,९२६

नत्थी 'ख'

(देखिये त.रांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

देवरिया जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सड़कों की सूची, जिन पर कार्य शेष रह गया है :

नव-निर्माण

१--सिसवा-हाटा

कच्ची सड़कों का पक्का किया जाना

१--बरहज-लार
२-- लार-गुठनी बाजार
३--पांडे-चाक-मतौध

सी० सी० ट्रैक्स का निर्माण—

१--पौहरिया-कवासर
२--कैप्टेनगंज-सिक्टा
३--रामबाग-लक्ष्मीगंज
४--रामपुर-गौरीहाटा-हाटा-देवरिया
५--छितौनी-नौरंगिया
६--फैक्टरी-रतासिया
७--रामकोला-सिवा
८--रामकोला-कसिया
९--तुलसीबारा-भटनी
१०--फैक्टरी-खिरकिया का पुल
११--खिरकिया-पिरारी
१२--देवरिया-पकौली-पथकौली
१३--देवरिया-बनजरिया
१४--खतकुयान-गधिया
१५--खड्डा-नेववा
१६--बैतालपुर-हरेन्दपुर-बैजनाथपुर
१७--देवरिया-भरगांव
१८--हाता-करमाहा

शुगर फैक्ट्री एरिया में सी० सी० ट्रंक्स तथा पेंटेड रोड्स

१--हरिन्दापुर-डुमरिया-करमाहा
२--करमाहा-बैजनाथपुर
३--लटवा सड़क, लटवा बाजार
४--परसाखन्ड-ग्रहरौली-भाटी
५--रामनगर-सोसा
६--पडरौना-पुरनवा
७--ग्रमनिया-लमना
८--फटौली-पाकर भिन्डा
९--लक्ष्मीगंज-हरपुर (लक्ष्मीगंज की ग्रोर से)
१०--कठकुइयां-चगराना
११--मथया-कोटवा
१२--फैक्टरी-तिनवरवहा
१३--पाटनपुर-महुग्रा-पाटनरोड़

सत्यमेव जयते